



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक 7230 / मान्यता / उपा/ 2012  
प्रति, 2013

132083

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

रायल पब्लिक हाईस्कूल  
महावीराजी मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/7/12

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रॉप / दो इन्डोर रवेल्स की-फोटो
- 2 अप्रॉप / प्रयोगशाला की फोटो अप्रॉप / सुरक्षा निधि मुल्य 250000 का
- 3 चालान अप्रॉप / इति के तत्काल भेजे
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / उपा/ 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. 7/12/2012  
2013

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता --12.7.2012--14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162109

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2815 / मान्यता/उताव/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सरस्वती शिक्षा/विद्या मंदिर

कई स्कूल करैरा

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 2/2/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का परीकृत किराघाना 2011 अवधि 2015 तक का
- 2 असाफ है। आडिट रिपोर्ट 2012 की असाफ के खर्च खेचों की रैगिन
- 3 जोटे असाफ/सभी सभी अभिलेख संस्था सचिव/असाफ है समाहित होना
- 4 आवश्यक है।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव →

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता/उताव/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवाच्य

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/2875 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

162083

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उत्तर के.ए.सी., हाई स्कूल

ग्राम-खैर-रानी

जिला-शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 07.07.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था से आर्डर रिपोर्ट, 2012 की अपाउ है। संस्था पदाधिकारी/
2. स्टाफ पर आपराधिक मुकदमा दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अपाउ/संस्था
3. मवन के हीन सामने पदाधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो तय करना करके समझी-
4. रंगीन फोटो तय मोटा शपथ पुस्तकालय से डाक्टर खोले, दो अध्यापन बकों की-
5. रंगीन फोटो अपाउ है। सभी दस्तावेज संस्था सचिव अध्यक्ष के-
6. तय करवा लेना आवश्यक है।
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक/2876 /मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

162068

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/ 2875 /मान्यता/29/1/2013  
प्रति

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री. डॉ. कान्वर, हाई स्कूल

जिला- कोलार

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 37/6 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अनुशासनात्मक नहीं है, शाखा भवन व भूमि, लक्ष्मी
- 2 पुस्तकालय प्रयोगशाला, पेजलस, विद्युत रूप प्रसाधन सुरक्षा एवं अग्निरोधक उपकरण
- 3 अप्रमाणित/अगडिट रिपोर्ट 2012 की संलग्न है। संस्था भवन के सामने पदाधिकारी/शाखा
- 4 रंगीन फ्लोरो सावधान बताने समझ की रंगीन फ्लोरो प्रयोगशाला, पुस्तकालय को अध्या
- 5 कक्षा, दो इन्टेल रबेले की रंगीन फ्लोरो सावधान उपकरण अप्रमाणित/अगडिट रिपोर्ट
- 6 संस्था समर्थित/अध्यक्ष के समाप्ती नहीं है। समाप्ती होना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/ 2876 /मान्यता/29/1/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, कोलार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

162056

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

पं० नेहरू आदर्श उच्च माध्यमिक  
स्कूल परी के सामने, झौंसी रोड शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716, दिनांक 7/2/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के आडि रिपोर्ट 2012-13 में (असंगत) संस्था स्वयं के ही
- 2 सामने पदाधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो प्रार्थना करने समय में रंगीन फोटो
- 3 प्रयोगशाला पुस्तकालय दो अध्यापन कर्मों की रंगीन फोटो मान्यता मापदंड अंक
- 4 अचरुप असंगत/दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रसारित होना आकष्यक
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कड़िका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876  
पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2815 / मान्यता / उता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

भरवर, 612 स्कूल

भरवर

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ - कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 37/6 दिनांक 7/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपका/संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर 2012-13 के अनुसार खेल मैदान हेतु पर्याप्त
- 2 भूमि नहीं है। अनुसूची (अभिमत) अंगीत नहीं की है। आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्र
- 3 संस्था पदाधिकारी/हस्ता पर आपराधिक पुनर्जात न होने का श्राव शपथ पत्र
- 4 आपका/संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी/हस्ता की रंगीन फोटो प्रार्थना करने
- 5 समय की रंगीन फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, के अलावा बच्चों, दो इकोर खेलों
- 6 की रंगीन फोटो आपका/संस्था अभिलेख संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित
- 7 लेना आवश्यक है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / उता / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उता/मिपा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

162093

क्रमांक 2875 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

केरिया कान्हेर, 30 मार्च 2013

वदरवास

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण दल/अनुभागीय
- 2 अधिकारी कोलारस ने अभिमत अंग्रेज नही किया।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876  
पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

2875

162053

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक / ~~2875~~ / मान्यता / ~~उत्तर~~ / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

विद्या मेमोरियल हाई स्कूल

पोहरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716, दिनांक 7/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई

1. विद्या मेमोरियल हाई स्कूल द्वारा उभरवा किया है विद्या मेमोरियल
  2. नाम का पोहरी में स्कूल होना नवी प्राप्त गया/नहीं मिली ले बालिप में जो
  3. दस्तावेज भरने किये/प्रतिवेदन में प्रान्तवार लिख है/पंजीकृत किराया/
  4. सूचि भवन सुशोभी दस्तावेज अपाए/आरि रिपोर्ट 2013 की अपाए/पुस्तकों की सूची
  5. अपाए/पुस्तिका शिक्षकों की सूची अपाए/राफ्त सूची अपाए/प्रयोगशाला उपकरण
  6. की सूची अपाए/सोफा पर्याप्त/राफ्त या अपराधित प्रमाण दान केने का इत्य 2144
  7. पत्र अपाए/संस्था भवन के हीफ सामने पर्याप्त/राफ्त की रंगीन फोटो प्रार्थना करते समय
  8. की रंगीन फोटो पुस्तकालय, प्रयोगशाला दो अध्यापन के से दो इस्टाट रिली की रंगीन फोटो
- अप्राप्त/दस्तावेज संस्था संचित/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक / प्रति. / मान्यता / अगस्त / 2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

इंदिरा गाँधी उपाचार्य

सिद्धेश्वर शिवपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सत्र 2012-13 के मान्यता के लिए आवश्यक नहीं है।
2. संस्था में शिक्षक/अध्यापिकाओं का अभाव है।
3. आपकी संस्था में शिक्षक/अध्यापिकाओं का अभाव है।
4. आपकी संस्था में शिक्षक/अध्यापिकाओं का अभाव है।
5. आपकी संस्था में शिक्षक/अध्यापिकाओं का अभाव है।
6. आपकी संस्था में शिक्षक/अध्यापिकाओं का अभाव है।
7. आपकी संस्था में शिक्षक/अध्यापिकाओं का अभाव है।
8. आपकी संस्था में शिक्षक/अध्यापिकाओं का अभाव है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा. क्रमांक / प्रति. / मान्यता / अगस्त / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तराधिकारी

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162080

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2014

क्रमांक / 2875 / मान्यता / जवाब / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

मखराठा पताप हाई स्कूल  
स्टेडियम रोड जवाहर बागोड़ी शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर / जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभगीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाव हैं।
- 2 सचिव/अध्यक्ष के पत्राचार के अभाव में।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव-  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2014

पृष्ठा क्रमांक / 2876 / मान्यता / जवाब / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक 2875 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

162121

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शुक्ला कान्वेंट, हाई स्कूल  
मुल्तानी बस्ता, देहू सानिपा धाना  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कथियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर गैर में संश्लिष्ट है, निरीक्षण करते समय
- 2 शाला बंद पायी गई। अभिलेख अहित नहीं किया है। प्रीमिअर किया जाना प्रतीत होता है।
- 3 तहसील का अपात्र है। आडिटरिपोर्ट 2012 की अपात्र है। संस्था प्रदाधिकारी/सहायक प्रा.आपत्ति
- 4 मुद्रा का दर्ज न होने का मूल अपात्र पत्र अपात्र है। संस्था भवन के सीक सामने प्रदाधिकारी/सहायक प्रा.
- 5 रंगीन फोटो स्थापना करने समय ही रंगीन फोटो लगे। प्रयोगशाला प्रयोगशाला दो अध्यापन केंद्र
- 6 दो इलेक्ट्रिक रिलों की- रंगीन फोटो अपात्र/कॉपी, मकान प्रयोगशाला प्रयोगशाला विद्युत ए
- 7 आग्निशामक व्यवस्था अपात्र है। प्रयोगशाला प्रयोगशाला प्रयोगशाला प्रयोगशाला प्रयोगशाला
- 8 प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित लेना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2876 / मान्यता / उत्तर / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अधीन

सहायक सचिव



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162080

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/2875/मान्यता/जा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

महाराजा प्रताप हाई स्कूल  
रेडियम रोड, जवाहर जालोनी शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716, दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के ऑडिट रिपोर्ट 2012 की अपूर्ण हैं। अभिलेख संस्था
- 2 सचिव/अध्यक्ष के पत्राचार लेता आवश्यक है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव-  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2876/मान्यता/जा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहर जालोनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल  
 WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक 2875 / मान्यता / ज्वा० / 2013  
 प्रति

162121

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
 फ़ैक्स - 0755-2551499, 2552067  
 भोपाल दिनांक 29/1/2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शुकता कान्वेर, हाई स्कूल  
 सुकरीबारा, जेठू खनिजा धाना  
 जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 2/2/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमेंटियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर गैर में अंकित है, निरीक्षण करते समय
- 2 शाखा बंद पायी गयी, अभिमत अंकित नहीं किया है। पंजीकृत किया जाना 2011
- 3 तक का अपात है। आडिट रिपोर्ट 2012 की अपात है। संस्था पदाधिकारी/स्थापक या आपकी
- 4 पुराना दस्तावेज न होने के कारण अपात पत्र अपात है। संस्था अंत के हीक सामने पदाधिकारी/स्थापक की
- 5 रजिस्टर को तैयार करने समय ही रजिस्टर फोरे, प्रयोगशाला प्रत्येक वर्ष दो संस्थापक के
- 6 दो इन्डोर रजिस्टर की- रजिस्टर फोरे अपात/फोरे, प्रयोगशाला प्रत्येक वर्ष दो संस्थापक के
- 7 (आग्निशमन व्यवस्था अपात है। आप इतमकेल संस्था सचिव/अध्यक्ष के
- 8 तैयार नहीं है। तैयार होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमेंटियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमेंटियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2876 / मान्यता / ज्वा० / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपलब्ध

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/2875/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

162104

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उत्तरांचल पब्लिक, हाई स्कूल

पुरानी शिवपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन की 71 पंक्तियों में 71 पंक्तियों में निरीक्षण के दौरान बंद मिलान/स्कूल संचालन के परामर्श स्थान नहीं हैं। नवीनीकरण के योग्य नहीं हैं। प्रतिवेदन प्राथमिकी निरंकुश है। आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रति/प्रतिष्ठित शिक्षकों की सूची अप्रति है। संस्था पदाधिकारी/स्नातक पर आधारित प्रमाण प्रस्तुत करने का प्रयास अप्रति पत्र उत्तरांचल/संस्था भवन के बंद सामने पदाधिकारी स्नातक की रजिस्ट्रार को, प्रार्थना करते समय की कोशिश, प्रमाणशास्त्र, पुस्तकालय के अध्यापन दायकों, दो इंडोर खेलों की रजिस्ट्रार को अप्रति/वर्षावेध संस्था संचिक/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक/2876/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/11/2013

162107

क्रमांक / 2875 / मान्यता / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री विद्या सागर शुक्रकुलम्, 30 मार्ग वि०

स्वतंत्र धाना

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत अंकित नहीं है। आपकी
- 2 रिपोर्ट 2012 की अपात्र है। संस्था भवन के बीच सामने पदाधिनारी/स्टाफ की
- 3 रंगीन फोटो लगाना करते समय की रंगीन फोटो, प्रयोगशाळा, पुस्तकालय के
- 4 अपात्र वक्तों के इंडोर खेले की रंगीन फोटो मान्यता मापदण्ड अनुक्रम
- 5 अपात्र/न्याय दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित
- 6 होना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2876 / मान्यता / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, शिवपुरी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

162081

क्रमांक / 2875 / मान्यता / असा / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

पोहरी पाठशाला, उरमाठ की

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमिया पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाठ है/संस्था परामर्शकारी/
- 2 स्टाफ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अपाठ/
- 3 सभी दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होने आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2876 / मान्यता / असा / 2013.

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तामिप्र  
सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

162076

क्रमांक/2875/मान्यता/गुवा/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सरस्वती विद्या मंदिर कक्षा

हडि स्थल शिवपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत उद्धृत नहीं है। आदि
- 2 रिपोर्ट 2012 की अपाप्त है। पूर्णिकृत किराया नामा। अभिमत संबंधी अभिलेख पूर्ण
- 3 अपाप्त 2015 तक का अपाप्त है। संस्था पदाधिकारी। दस्तावेज पर अपराधिक प्रकरण दर्ज न
- 4 होने का मूल शपथ पत्र अपाप्त है। संस्था भवन के बाह्य सामने पदाधिकारी। दस्तावेज की-दि
- 5 कोरे प्रारवना करने समय की- रंगीन कोरे प्रयोगशाला। उपलब्धता के अध्यापन कक्षा
- 6 दो डकॉर शैलों की- रंगीन कोरे उमान्तरा मापदण्ड अनुकूल अपाप्त है। पाप दस्तावेज
- 7 संस्था समिति/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2876/मान्यता/गुवा/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

गुवालिप

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 29/11/2012

162082

क्रमांक/2875/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य  
गीता प्रबोध, हाई स्कूल  
मन्डपुर शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

आपकी संस्था की उत्तर रिपोर्ट 2012 की अपूर्ण है। निरीक्षण प्रतिवेदन पर उचित नहीं है। साथ दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/11/2012

पृष्ठा. क्रमांक/2875/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

गुवांरिभर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162094

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/2875/मान्यता/आ.0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

राजीव गांधी मेमोरियल  
हाई स्कूल मंगरौली ब्लॉक, नरवर  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 37/16 दिनांक 2/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत उर्वर नहीं है। खेल मैदान
2. हेतु भूमि है, जो पर्यटन नहीं है। भूमि के स्वामित्व की जांच तहसीलदार
3. द्वारा सरवर से कराई जा रही है। खेल मैदान का प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया।
4. समस्त विनियम संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2876/मान्यता/आ.0/2013

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवासिगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

41



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162036

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 26/1/2013

क्रमांक 2875/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शारदा, 37 मा.पी.ओ.  
नरवर

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716, दिनांक 2/2/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमिया पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाई है।
- 2 सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876  
पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 25/1/2013

162100

क्रमांक 2875/मान्यता/उता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सुभाष मिश्र, उता/वि०

रानी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आडिटर रिपोर्ट 2012 की अप्रामाण/पंजीकृत किराया नामा 2012
- 2 अप्रामाण 2012 तक का अप्रामाण/संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर या अप्रामाण पत्र का दर्ज
- 3 न होने का मूल शपथ पत्र अप्रामाण/नवीनीकरण भवन के डीक सामान्य पदाधिकारी/हस्ताक्षर
- 4 शैक्षणिक प्रयोग करने समय की शैक्षणिक प्रयोग प्रयोगशाला, के इन्फ्रारेड स्क्रीन
- 5 के अप्रामाण बकों की शैक्षणिक प्रयोग मान्यता आपदा अनुक्रम अप्रामाण/सभी दस्तावेज
- 6 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित लेता आकर पत्र है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 25/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2876/मान्यता/उता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 23/1/2013

क्रमांक/2875 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

H  
16 20 60

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

पद्मा लाल मंदिर 30 मार्गिक  
नवाब साहब रोड, अस्मीबाई कालोनी शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ रॉनगन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत दर्जित नहीं है। संस्था
2. पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक मुकदमा दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र संस्था
3. संस्था भवन के हीट सामने यदाधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो प्रार्थना कर रहे सम
4. की-रंगीन फोटो, पुस्तकालय न्योगाशाला, के अध्यापन ब्रको, डी इल्लो (रुकेले) की
5. रंगीन फोटो, मा.प्र.रा. मा.प्र.रा. अयुक्त अस्थाप/प्राप्त कालागेल संस्था
6. स्याचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 23/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2876 /मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2014

क्रमांक 2875 / मान्यता / 2013  
प्रति,

162096

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

मदर टेरेसा पाब्लिक हाई स्कूल  
डो.डी.नो. 27 डी.पी.डी. शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

सुदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 2/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की ऑडिट रिपोर्ट 2012 की अभाव/संस्था परीक्षारी/
- 2 स्टाफ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का मूल शपथ अभाव।
- 3 समाप्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा. क्रमांक/2876 / मान्यता / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2014

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रति,

162003

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

स्वस्थ विद्या भवन, 30 मार्च  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716, दिनांक 2/2/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था में भूमि मूल्य की दस्तावेज कुल भूगर्भ, कुल स्थली
- 2 भूमि, कुल निर्मित क्षेत्रफल सह पर्यवेक्षण अभिलेख की रूपरेखा दीयापरी
- 3 क्षेत्र / दस्तावेज संस्था सचिव / अधिका के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2876 / मान्यता / 2010 / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162022

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2014

क्रमांक 2875/मान्यता/उवाप/2013

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

कमल हरि स्कूल

नर कालोनी कौरा

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 2/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत अंकित नहीं है। आडिट रिपोर्ट
- 2 2012 की अपाप्त है। पंजीकृत किरायानामा में काटकाट है मूल किरायानामा
- 3 भेजे। दस्तावेजा संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक
- 4 संस्था पदाधिकारी/स्वाक्षर पर आपराधिक तक्रा इत न होने का मूल शिप
- 5 पत्र अपाप्त है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2014

पृष्ठा क्रमांक 2876/मान्यता/उवाप/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

गुवालिमा

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875/मान्यता/2013/2013  
प्रति,

112038

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उपस्थित शाखा बलराम दास

उपस्थित शाखा बालमोह

जिला- मुँना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 241 दिनांक 26/9/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था का कृषि भूमि के संदर्भ में जिला स्तरीय अभिलेख में
2. निरीक्षण प्रतिवेदन में काट दंड है, पुनः भेजें / दस्तावेज संस्था सापिन / अथवा
3. 6 समाप्ति होने आवर पत्र है।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2876/मान्यता/2013/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

16 20 67

क्रमांक 2875/मान्यता/उता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शिक्षा भारती काल निकेतन  
अ.मा.०/६० कलेक्टर बाग शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 37/6 दिनांक 7/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 में अपाफ है। निरीक्षण प्रतिवेदन
- 2 पर जिला स्तरीय समिति ने अनुशासकीय रैंक अंकित नहीं की है।
- 3
- 4 पाफ रंगीन फोटो एवं इस्ताबिल संस्था साधक/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2876/मान्यता/उता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्वाहियत

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता / उवा / 2013  
प्रति,

162040

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य  
राजविराज सिंह उधमपुर  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन के साथ मान्यता संपादन हेतु आवश्यक सभी
- 2 अभिलेख संलग्न नहीं हैं। सचिव कृषि उपल मन्त्री पिठौर शिवपुरी का सत्र शिक्षा पत्र जिला
- 3 संस्था समिति पिठौर की क्षति पर अधिलेख वर स्कूल विभाग पर संस्थापना करना
- 4 बताया गया है। पंजीकृत किराया नामा/संविभवत संबंधी अभिलेख पूरा अवधि 2015 तक का अ
- 5 आर्टि रिपोर्ट 2012 की उपलब्ध/पुस्तकों की सूची संस्थापना/संविभवत विभागों की सूची उपलब्ध/पु
- 6 शाखा उपकरणों की सूची संस्थापना/संस्थापना पदाधिकारी/संस्थापना आंध्र प्रदेश/पुस्तक
- 7 सत्र संपन्न पत्र (संस्थापना/संस्थापना के सामने पदाधिकारी/संस्थापना की रंगीन फोटो प्रार्थना करते समय
- 8 की रंगीन फोटो, सत्र 2012-13, संस्थापना दो इन्डोर खेचों को आसपास क्रमों की रंगीन फोटो

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2876 / मान्यता / उवा / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

162066

क्रमांक 2875 / मान्यता / ज्वाब / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

हेल्प डेज 38 मार्च को

कल्याण शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से पंजीकृत किराया नामा पूर्ण अर्थात् 2015 तक का
- 2 अर्थात् है/संस्था पदाधिकारी/स्थापक या आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने
- 3 का मूल शपथ पत्र अर्थात्/सभी दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष
- 4 से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना मुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / ज्वाब / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

162092

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शिवपुरी कलेक्टर, हाई स्कूल

करीम

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत उल्लिखित नहीं है, जिला
- 2
- 3 स्तरीय समिति से स्पष्ट अनुशासनात्मक प्रमाण भेजे / आडिट रिपोर्ट 2012
- 4 की- असाफ/संस्था पदाधिकारी / स्टाफ पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने
- 5 के लिए शपथ पत्र असाफ/संस्था अफन के सामने पदाधिकारी/स्टाफ पर की रीजिन फोरो
- 6 आपका करने समय की रीजिन फोरो, प्रमोशन शाला, डी. अध्यापन कक्षा की रीजिन
- 7 फोरो मान्यता मापदंड अनुक्रम असाफ/दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष
- 8 प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्वाधिकार

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 20/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

162105

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

नवीन अकेडमी, हाई स्कूल

दिलारा

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 2/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के भूमिगत संबंधी दस्तावेज पर कुल भूमि, कुल खुली भूमि
- 2 कुल निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं है। आडिट रिपोर्ट 2012 की
- 3 सी. उलगा है। संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है। दस्तावेज संस्था
- 4 सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 20/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2876 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

उत्तम पब्लिक, हाई स्कूल  
कल्याणमिण्ड के सामने एच बी रोड, शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर जिला स्तरीय समिति ने अभिमत
- 2 अनुयाया अर्थात् नहीं है। डाइट रिपोर्ट 2012 की अपाठ है। दस्तावेज
- 3 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2876 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 5/2/2013

172043

क्रमांक 2983 / मान्यता/उता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री श्री अर्जुन उता मा 0 वि 0

हनुमान बाघोरी गुना  
जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ सलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमिया पाई गई -

- 1 आपकी संस्था निरीक्षण प्रतिवेदन उपरोक्त सूचियतन संदर्भित / किरतानामापना
- 2 पूर्ण विवरण 2015 तक के अक्षाण्ड/अक्षांड रिपोर्ट 2012 की अक्षाण्ड/पुस्तकों की
- 3 सूची, कक्षा सूची, रोज सामग्री सूची, प्रयोगशाला उपकरणों की सूची, अभिलेख, शिक्षकों
- 4 की सूची, गुना भवन के रीड सामने प्राध्यापिका/स्टाफ की रीजिन फोटो, प्रार्थना करने समय
- 5 की रीजिन फोटो, प्रयोगशाला पुस्तकालय के अध्यापन बच्चों, दो स्टॉक रखने की रीजिन
- 6 फोटो, अक्षाण्ड/संस्था प्राध्यापिका/स्टाफ पर अपराधिक नकारा उचित करने का अक्षय
- 7 शापक पत्र (उत्तर) / सत्री कलेक्टर के संस्था सत्रीक / उता 172043 के संदर्भित हेतु
- 8 अक्षय चतु है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना मुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 5/2/2013

2984  
पृष्ठा क्रमांक / मान्यता/उता /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

172011

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 5/2/2013

क्रमांक/2983/मान्यता/2010/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सरस्वती शिक्षा/विद्यामंदिर, 30 मार्च वि०

जिला- बीना जंल  
मुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3255 दिनांक 12/6/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत अहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रार/कुल शूनि, कुल शूनी
- 2 भूमि, कुल निर्मित क्षेत्रफल का उल्लेख सह पूर्णतः अभिलेख नक्सा
- 3 अप्रार है/दस्तावेज संस्था सचिव/सदस्य के समक्ष लेना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 5/2/2013

पृष्ठा क्रमांक/2984/मान्यता/2010/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

172010

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 5/12/2013

क्रमांक 2983 / मान्यता / प्रवर्त / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमि. ए. चिन्मय

सहायक शिक्षा

जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1887 दिनांक 28/5/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियों पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आउट रिपोर्ट 2012 की अपाफ है। दो स्टडी रोलो की
- 2 रीजिन लिये अपाफ/संस्था प्रदायिकारी/स्टाफ पा अपराफिस एगण दर्जन
- 3 होने का मूल प्रतिपत्र अपाफ/कुल खुली धर्मि, कुल धर्मि, क्षेत्र ध्या, कुल
- 4 क्षेत्र ध्या, विवरण सहित पंजीकृत अभिलेख अपाफ/दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष
- 5 से समाहित होता आवश्यक है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कान्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 5/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2984 / मान्यता / / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, गुना म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875/मान्यता/29/2013  
प्रति,

162071

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

नदीश्वर, 30 मार्च/13

संनियामक

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3216 दिनांक 2/2/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अभिमत अंकित नहीं है/आडिट रिपोर्ट
- 2 2012 में (आपका है) संस्था पदाधिकारी/स्थापक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने
- 3 का प्रमाण पत्र (आपका) प्राप्त न होने/संस्था सचिव/अध्यक्ष के समाप्ती
- 4 नहीं है/
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कामों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876  
पृष्ठा क्रमांक / मान्यता/29/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्वाहिया

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 5/12/2014

17/2014

क्रमांक/प्रति/मान्यता/पत्र/2014

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

हिन्दू पाठशाला, हाई स्कूल  
वीता राज

जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3255, दिनांक 12/6/12

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाठ है/दस्तावेज
- 2 संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है/
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 5/12/2014

पृष्ठा क्रमांक/प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 3/12/2013

18/2039

क्रमांक 2927 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री राम दुष्का विद्यालय  
हाई स्कूल, अशोक नगर  
जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 14.07.2012

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की डाटा रिपोर्ट 2012 में डायग्नोसिस है।
- 2
- 3 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित लोक आवेदन है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध सा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/12/2013

2928

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

172064

कार्यालय-0755-2551650; 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 5/12/2013

क्रमांक 12983/मान्यता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आर. एन. कान्हेर  
हाई स्कूल, सी.एम. कॉलोनी, के. 2 रोड गुना  
जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओ  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 4226, दिनांक 27/7/2012.

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत् सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर जिला स्तरीय समिति ने
- 2 सुझाव नहीं दिए। जिला की-रूप अंकित है। आडिट रिपोर्ट 2012 की
- 3 उम्पाएँ दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत् सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 5/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 12984 / मान्यता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/2/2013

क्रमांक/2027/मान्यता/अता/2013  
प्रति,

112238

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उद्देश्य गोवर्धन, लई स्कूल

जोरा

जिला- मुरैना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आरिटि रिपोर्ट 2012 की उपलब्ध है/दस्तावेज
- 2 संस्था सचिव/अध्यक्ष के समाप्ति हेतु आशय है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कामियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/2/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2028/मान्यता/अता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/12/2013

क्रमांक/2024/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

112231

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

के० डी० कान्वेंट, हाई स्कूल

भरतपुर

जिला- बुन्देलखण्ड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण कर अनुभागीय
- 2 अधिकारी पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर नहीं हैं।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 3/12/2013

2928

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भरतपुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भरतपुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तारिपि

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/2/2013

112247

क्रमांक/2028/मान्यता/ /2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

जय श्री राम 30 मार्च

एम. एस. रोड मुनेना

जिला- मुनेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिटर रिपोर्ट 2012 की सेवा संचित/अध्यक्ष प्रम द्वारा प्रसारित
- 2 उपाय/समाप्त देखावेन सेवा संचित/अध्यक्ष से प्रसारित नहीं है
- 3 समाप्ति के आदेश पत्र है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/2/2013

2028  
पृष्ठा क्रमांक/ /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुनेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुनेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

172049

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/2/2018

क्रमांक 2927 मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

गायत्री चिन्मय लई स्कूल  
सिसौदिमा कापौरी गुना  
जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL, दिनांक NIL

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अक्षरशः सहित अपाप्त।
- 2
- 3
- 4 संस्था प्राध्यापिका/स्टाफ पर आपराधिक तमाम इवेंट्स होने का मूल्यपत्र
- 5 उपलब्ध है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 3/2/2018

2928

पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तरदाता

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142208

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/12/2011

क्रमांक 2027/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आस्था मान्यता, उषमा 010  
जी. शिक्षा कार्यालय, कोशीपुरा स्टेशन उत्तर  
जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090, दिनांक 17/09/2012

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर S.D.M. की टीप अंकित है अनुशासित
- 2 समस्त नहीं है। आडिट रिपोर्ट 2012 की भंगे/दस्तावेज संख्या सचिव/अध्यक्ष
- 3 है समाप्ति होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/12/2011

पृष्ठा क्रमांक/ 2928 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 3/12/2013क्रमांक 2927 / मान्यता / 2013  
प्रति,

172045

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

विद्या निकेतन,  
श्री विद्यापति, उ०सा वि०शासकीय अस्पताल के पीछे कुम्भराज  
जिला- गुन्ना म.प्र.मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3255 दिनांक 12/6/12.

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 की अज्ञात है/दस्तावेज
- 2.
3. संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/12/2013

2928

पृष्ठा क्रमांक / मान्यता / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुन्ना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुन्ना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, गुन्ना म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/12/2013

182026

क्रमांक 2928/मान्यता/उताव/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सेंट मीराज, हाई स्कूल  
मैरी रोड, पिपरई  
जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

व्य- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय कारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां आई -

आपकी संस्था का जिला स्तरीय समिति की अनुशासक सह निरीक्षण प्रतिवेदन आप ही प्रेषित किया गया। अभिमत एवं प्रतिवेदन 2013 तक का आपका ऑडिट रिपोर्ट 2013 की आपकी संस्था पराधिकारी/स्थापक पर उपरोक्त प्रमाण दर्ज न होने का ब्रह्म शपथ पत्र आपकी संस्था भवन के तहल सामने पराधिकारी/स्थापक की रंगीत फोटो, सापेक्षा करते समय की रंगीत फोटो, त्योगाशाला, पुस्तकालय के आपकी कक्षों, दो इकोर खेले की रंगीत फोटो का सापेक्षा आपकी अनुपस्थिति आपकी संस्था सापेक्षा/उपस्थिति प्रमाणित नहीं है प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित दिनांक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/12/2013

2928  
क्रमांक / मान्यता/उताव/2013

कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।  
जिला, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।  
जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।  
सहायक सचिव, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
भोपाल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/2/2013

122025

क्रमांक 2927 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

अशा 0 फ्राप अशा 0 वि

शंभूपुर

जिला- शंभूपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 235 दिनांक 2/2/2013

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण अनुसार फर्नीचर, पुस्तकालय, प्रयोगशाला
- 2 उपलब्ध है/पंजीकृत विराचानामा प्रो. विषय सह प्रो. 2015-16 तक का अप्रूप/
- 3 आडि2 रिपोर्ट 2012 की अप्रूप/संस्था प्रदायितारी/स्टाफ की रंजित कोरे, प्रार्थना
- 4 करने संसा. की, रंजित कोरे प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अध्यापक रहने, दो शो (स्कोने
- 5 की रंजित कोरे मान्यता मांगक अनुक्रम अप्रूप है/संस्था प्रदायितारी, स्ट्राफ, प अप्रूप/
- 6 प्रस्ताव दर्ज कर होने का स्ट्राफ अप्रूप पत्र अप्रूप/स्ट्राफ दर्जापत्र संस्था
- 7 सचिव/अध्यक्ष हे समाप्ति नहीं है, समाप्ति होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/2/2013

पृष्ठा क्रमांक 2928 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शंभूपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शंभूपुर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/12/2013

112048

क्रमांक 2927/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

राजसुख पाता सिंह, 370 मारु विट

किरात कैथारस  
जिला- मुरैना म.प्र.मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/11/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का अभिभव संस्था के सामने पदाधिकारी/स्थापक की शैली को प्रदर्शित करने समर्थ की-शैली
- 2 के बीच सामने पदाधिकारी/स्थापक की शैली को प्रदर्शित करने समर्थ की-शैली
- 3 कोश, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के अध्यापक/स्थापक के इंडो रंगो की शैली को
- 4 मान्यता प्राप्त/अनुभव प्राप्त/स्थापक/स्थापक के अध्यापक/स्थापक के अध्यापक के अध्यापक
- 5 कोश है/प्रदर्शित होना आवश्यक है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/12/2013

2928  
पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

17 20 57

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/12/2013

क्रमांक 2027/मान्यता/उता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मैट्रिक्स कॉन्वेंट

हाई स्कूल (आरौन)

जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक N.I.L. दिनांक N.I.L.

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अनुशंका सहित उपलब्ध है/सुरक्षा भवन
- 2 के बीच सामने पदाधिकारी/शिक्षक की रंगीन फोटो प्रदर्शित करने सम्बन्धी रंगीन फोटो
- 3 प्रयोगशाला पुस्तकालय, के अध्यापन दलों, दो उच्च/उच्चको की रंगीन फोटो मान्यता
- 4 प्रणाली अनुक्रम अक्षर/सुरक्षा लिपि 25000/- का चालान अक्षर/आडिट
- 5 रिपोर्ट 2012 की उपलब्ध है/आफर दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रामाणिक
- 6 मदी है, प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

2028

पृष्ठा क्रमांक / मान्यता/उता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/12/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

172039

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/2/2013

क्रमांक R927/मान्यता/गुना/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

दयाल पाठशाला, 30 मार्च वि०

श्रीराम बाबाजी गुना

जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक.....NIL..... दिनांक.....NIL.....

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां आई गई -

1. आपकी संस्था का स्तरीय समिति द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन
2. (अपार/आडि रिपोर्ट 2012 की अपार/सुरक्षा निधि 40.000) का
3. साक्षात् अंश है। दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के समाहित होने आवश्यक है।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/2/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2028 / मान्यता/गुना/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, गुना म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/2/2013

112183

क्रमांक 2924/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सर्वोदय, हाई स्कूल, पाती की रेंकी  
के पास, सुमाध नगर, मुर्ना  
जिला- मुर्ना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमिया पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 की उम्माप है/संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर
- 2 पर आपराधिक मुकामा दर न होने का प्रमाण प्रमाण पत्र उम्माप/संस्था मुख्यालय
- 3 के सामने पदाधिकारी/स्वाधु की रेंगीन कोरे, प्रार्थना करने समय की रेंगीन कोरे,
- 4 प्रयोगशाला, पुस्तकालय, के अद्ययापन बकों, के इण्डो/खेलों की रेंगीन कोरे
- 5 मान्यता प्रमाणपत्र उम्माप/पत्र-दस्तावेज संस्था सचिव/उम्माप/
- 6 प्रमाणित नही है/प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनास के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/2/2013

2928

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुर्ना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुर्ना, मध्यप्रदेश।
- 4 सभागीय अधिकारी, सभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/2/2013

182009

क्रमांक/2027/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री कृष्णा, उच्च माध्यमिक

सुरावली

जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 19/6/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था में दाग धूसर सैलिया के प्रान्त पर पर्याप्त शिक्षित
- 2 शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं है आपका/दस्तावेज संस्था सचिव/-
- 3 अध्यक्ष के परामर्श लेना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 3/2/2013

2028

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 2125/मान्यता/ /2013  
 प्रति,

112223

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री कृष्णा, 30 मार्च को  
 रेलवे स्टेशन के पीछे कैम्पारस  
 जिला- बुन्देलखण्ड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण स। 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आती संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की शीप पत्र तहल पत्रा / अनुविभागीय अधिकारी ने उचित
- 2 लिमा है / कुल खुली भूमि नहीं फर्निचर नहीं घर खरबरा है पुस्तकालय प्रयोगशाला
- 3 अपचय / अनुशंसा नहीं की है / आडिट रिपोर्ट 2012 की अज्ञात / संस्था पदाधिकारी /
- 4 शिक्षा पा अपराध पर प्रमाण दर्ज न होने का दृष्टा शपथ पत्र सं प्राप्त / संस्था भवन के
- 5 संकेत सातने पदाधिकारी / शिक्षा की शंका को सार्थक करने सम्पत्ती शक्ति प्रमाण पुस्तकालय
- 7 प. प्रमाण शाला के अद्यपन कड़ो, दो शंका श्रेणियों की शंका प्रमाण / सुरक्षा निधि
- 8 श्रुतक संख्या 40, 000 / का चालान प्रमाण / प्रमाण दर्ज न होने संस्था संचालक / अध्यक्ष

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना मुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2226/मान्यता/30/2013  
 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- बुन्देलखण्ड मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- बुन्देलखण्ड मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2725 / मान्यता/उत्तर/2013 प्रति.

112256

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

पं० रामचान उपाध्याय 30 मार्च वि०

शाम-रेहरा (संगतली)

जिला- सुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NLL दिनांक NLL

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से पंजीकृत किराचानामा पूर्ण अर्थात् 2015 तक का अप्रार
- 2 आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रार/संस्था पदाधिकारी/हस्ता पर (उपराधिक प्रकृत)
- 3 दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रार/संस्था भवन के दिक सामने पदाधिकारी/-
- 4 स्याक. बी. रंगीन फोटो, प्रार्थना करने समय की रंगीन फोटो, के अड्डो (रवेल) की
- 5 रंगीन फोटो अप्रार
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनास के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता/उत्तर/2013 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपाधिपत

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक 2725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

112250

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

जय दुर्गे, हाई स्कूल  
सुरजमपुर, सातलसैण  
जिला- सुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 25/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत किरायानामा 20 दिनांक 2013 तक का
- 2 अज्ञात/तत्काल भेजें
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिना कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



112251

क्रमांक/2127/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

जेन हाई स्कूल  
सुभाष रोड जोरा  
जिला- मुँजा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था के परीक्षण किरादाना पूरा अवधि 785 रु का अडवांस
2. जोरा का मान्य नहीं है तथा स्लाबेन संस्था सचिव/अध्यक्ष से
3. प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना मुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2128/मान्यता/उत्तर/2013.

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँजा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँजा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

क्रमांक / 2727 / मान्यता / जवाब / 2013  
प्रति,

112268

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

जनना हाई स्कूल  
ए.एस.पी. बंगला के पी.के. उर्लेना  
जिला- मुर्लेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। अनुशासन का उल्लेख नहीं है।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.न. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2728 / मान्यता / जवाब / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुर्लेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुर्लेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाब  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





112267

क्रमांक 2727 / मान्यता / जवा0 / 2013  
प्रति

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सी. एस. पाठ्यक्रम, हाई स्कूल  
नहर कापुरा बरवाई  
जिला- मुँना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था में पंजीकृत विद्यार्थीनामा शुरू किए गए सहित उ.प्र. वि. वि.
- 2 2012-13 का अंश प्राप्त है। आरि रिपोर्ट 2012 की अंश प्र. संस्था
- 3 पदाधिकारी/स्टाफ पर आपकी संस्था द्वारा दर्ज होने का मूल शपथ
- 4 पत्र अंश प्र.
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.ग., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2728 / मान्यता / जवा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवा0/म.प्र.  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक / प्रति, 2727 / मान्यता/उत्तर/2013

112203

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

गंगा पाठशाला, इन्द्रावती

दन्पुरा

जिला- सुन्ना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आडि रिपोर्ट खाल में उपचार हेतु दस्तावेज
- 2 संस्था सचिव/अध्यक्ष के समक्ष होना आवश्यक है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2728/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुन्ना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुन्ना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तर।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक 2725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112201

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्रीशिवन पब्लिक उच्च माध्यमिक

भोपालपुरा सुरेन्द्र

जिला- सुरेन्द्र म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था का पंजीकृत किराया नामा भवन एत कुषि हेतु पूर्णतः खरिद
2. 2015 तक का अपात ही/करावेस संस्था सत्यव/सध्यस हेतु प्रमाणित होना
3. आवश्यक
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंतर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेवार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11 / 1 / 2013

क्रमांक/ 2125 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112230

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सरंजान पाठ्यशाला, हाई स्कूल

आर.सी. नैपारस

जिला- कुर्ना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था के आडि रिपोर्ट 2012 की अपाउ हैं/के इंडोर खेलों
2. श्री इंजिन को चे अपाउ/के सभी दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष
3. से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना मुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11 / 1 / 2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- कुर्ना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- कुर्ना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2725 / मान्यता / उता0 / 2013  
प्रति,

112240

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

पं० नेहरु, हाई स्कूल  
यवतगढ़

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संस्था के पास शांता भवन व धर्म
- 2 कनिष्ठ पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, सुरक्षा रेल, अग्निशमन उपकरण अपूर्ण हैं
- 3 मान्यता हेतु आवश्यक नहीं की जाती है। अनुशासन नहीं है। संस्था पदाधिकारी/स्थाप
- 4 या अपराधिक संक्राण दर्ज न होने का स्थल शपथ पत्र अपूर्ण। सभी छोटे मान्यता
- 5 आपदा अनुक्रम अज्ञात/प्राप्त सभी दस्तावेज सौदा संचित। अध्यापक
- 6 प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शे.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता / उता0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/11/2013

112258

क्रमांक 2725/मान्यता/उताव/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आर. वी. एस. उताव नि. उताव

ग्राम. प. उताव उताव

जिला- सुरेता म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 25/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से परीक्षण किरादा नामा पत्र दिनांक 2013 तक
- 2 उपप्राप्त/अभिलेख संख्या सचिव/अध्यक्ष (लेपगणित होना) आवरपत्र
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726/मान्यता/उताव/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेता मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेता मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उताव

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





क्रमांक/2725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112245

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

पारस कान्हेर, कृषि विद्यापीठ, म.प्र.  
सुमावली  
जिला-सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक: N/L दिनांक N/L

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण है/ पूर्ण किरायानामा/...
- 2 पूर्ण अवधि 2015 तक का अपूर्ण है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनास के अंतर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तराधिकारी

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbose.nic.in & E-mail id : mpbose@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्टरा - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11 / 1 / 2013

112254

क्रमांक 225/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

डाइट केरिया अकेडमी, आई इन्स्टीट्यूट

अमरावती

जिला- मुल्ना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्राप्त है/पंजीकृत किरायानामा
- 2 शीत अवधि 2015 तक का अप्राप्त है/संलग्न सूचना सचिव/अध्यक्ष के
- 3 प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जागी, जिसके लिए सरथा स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11 / 1 / 2013

पृष्ठा. क्रमांक 226/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुल्ना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुल्ना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2725 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

112222

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सेन्ट्रल कॉलेज, 30 मार्च/2012  
खानपुर  
जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत विराप्रानामा/भूमिभवन संबंधी दस्तावेज में कौन सी तरीक के
- 2 बना है उत्प्रेषण नहीं है/संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी/स्थापकी-
- 3 रंगीन फोटो, स्मार्पनि करे-समय की रंगीन फोटो, न्ययोगशाखा, पुस्तकालय,
- 4 दो ऊपरमाणु कक्षों की रंगीन फोटो मान्यता इगपदकड अतुकप ऊपर/आपकी
- 5 संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर मान्यता नवीनीकरण के अडुशांसा नवीनी
- 6 उपरती है; स्थल भवन उपपधरि है/इतने विहारिओं के इतन भवन बंदने की व्यवस्था नहीं

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.न., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्य प्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2725 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक/2725 /मान्यता/उत्तर/2013 प्रति.

112217

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

अशोपी शंकर, आई स्कूल  
कैलारस

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार शक्ति भवन व धूमि लनी-र
- 2 पुस्तकालय, प्रयोगशाला, पेयजल, विद्युत एवं स्नान सुविधाएं अग्निशमन
- 3 व्यवस्था उपलब्ध है। शिप में अंकित किया है संचालक द्वारा आई स्कूल नली की
- 4 गंभीर है। मान्यता नवीनीकरण की अनुशंसा संभव नहीं है। आरि रिपोर्ट 2012 की
- 5 आपकी संस्था भवन के हीन सामने परावर्षारी/लगाव की शक्ति प्रयोग प्रार्थना करते
- 6 समझ की शक्ति लोटी, प्रयोगशाला पुस्तकालय के इन्टरनेट कनेक्शन के इन्टरनेट की
- 7 शक्ति लोटी मान्यता मापदंड अनुक्रम उपलब्ध। दस्तावेज/अभिलेख संचालक/अध्यक्ष
- 8 से प्रसारित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शिम, म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव,

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2725/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तराधिकारी

8

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



112233

क्रमांक 2725/मान्यता/उताव/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य,

पारवती, उताव वि०

जोरसा

जिला- सुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत किरायानामा में अवधि का उल्लेख नहीं है
- 2 पूर्व अवधि 2015 तक का रेंज सिद्धा भवन के दो, सामने प्लाधिकमी/-
- 3 एकाद की रेंजिन छोड़े, आपका कर के रेंजिन छोड़े तमोराशाखा, पुस्तकालय
- 4 के इतने खोले, दो अहमापन कहे की रेंजिन छोड़े माकलन म/पदतु अतुरूप
- 5 अहमापन/अभिलेख/दस्तावेज सभी संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित
- 6 होना आवश्यक है। सुरक्षा निधि शुरुक 40,000 का चालान अपाए
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726/मान्यता/उताव/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उताव वि०

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक/ 2725 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

112264

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

राम देव गांधी हाई स्कूल

रामनगर, भुरेना

जिला- भुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत किराघानामा/भूमिभवन संबंधी अभिलेख
- 2 पूर्णतः 2013 तक का उपलब्ध है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक 2725 / मान्यता / 5 वा 0 / 2013  
प्रति,

112262

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

जेठ डी 0 हाई स्कूल  
सुभाष नगर सुरेता  
जिला- सुरेता म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/1/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किरायेनामा पूर्ण अभाव है।
- 2 सुरक्षा निधि शुल्क 25,000/- का चालान अभाव है।
- 3 सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित कहेना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता / 5 वा 0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेता मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेता मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक/2725 / मान्यता/2725/2013 प्रति.

112015

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उपस्थित 30 मार्च को जलेशा

शाम-पोर जलेशा

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 24/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से सुरक्षा मिट्टी - कुल 40 टर्करों का चालान उपस्था/
- 2 पंजीकृत किराया नामा/भूमि भवन संबंधी कृता अभिलेख भेजे/संस्था पदाधिकारी/
- 3 हत्या पर अपराधिक प्रकाश दर्ज न होने का प्रमाण शपथ पत्र उपस्था/आई
- 4 रिपोर्ट 2012 की संस्था भवन के बीच सामने पड़ा बाकी/हत्या की रैमीन कोटे, प्रस्ता
- 5 नर. संस्था की रैमीन कोटे, लॉकर/शाखा, पुस्तकालय के अस्थापन करों, दो इंडोर
- 6 स्कोर की रैमीन कोटे मान्यता मापदंड अनुरूप उपस्था/जान समस्त दस्तावेज
- 7 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं प्रमाणित होगा आवेदन है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शे.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/2726/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश. उपस्था/
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/11/2013

क्रमांक / 2725 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

112001

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

दानवार उच्च माध्यमिक, तुरेवा

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- सुरेवा म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत किताबानामा अधिममत संबंधी पूर्ण अवधि
- 2 2015 तक का अप्रदाप्त पढ़ने योग्य नहीं है। दस्तावेज संपन्न सचिव/अध्यक्ष
- 3 से समाप्ति होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्थर जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2725 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेवा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेवा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक / 2725 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

112029

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

मंगली हाई स्कूल

उत्तरांचल पुरा

जिला- मुँना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु

कारण बताओं

सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2764 दिनांक 15/6/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किराया नामा / भूमि भवन सर्वे की दस्तावेज सम्पूर्ण
- 2 अथवा 2015 तक का सम्पूर्ण अर्थात् ही दस्तावेज सम्पदा सचिव।
- 3 सम्पदा के सम्बन्धी लेन देन काव्यवहार है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना मुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2726 / मान्यता / उत्तर / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11 / 1 / 2013

112006

क्रमांक 127257 मान्यता/उता0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

नवरघार उच्च माध्यमिक, उर्सवा +2  
ने.स.प.र.सा

जिला- उर्सवा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1272 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागी अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति व अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का परीक्षण किराघानामा वर्ष 2015 तक का अभाव
- 2
- 3 दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिना कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11 / 1 / 2013

पृष्ठा क्रमांक 12726/मान्यता/उता0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उर्सवा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उर्सवा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाबिया

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112057

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री. डी. एस. उपाध्याय  
उसैनपुर परिसर, गुरेना  
जिला- गुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 67, दिनांक 26/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से पंजीकृत किराघानामा पूर्ण अवधि 2015 तक का अक्षय
- 2 सुरक्षा निधि शुल्क 40,000 का चालान अम्पल/डामादेन संस्था -
- 3 सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., मा.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर/प्र.

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551850, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552081

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक/ 2725 /मान्यता/उत्ता/2013 प्रति.

112077

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सुअवल्यम कॉन्वेंट हाई स्कूल  
देवीसिंह कापुरा मुँना  
जिला- मुँना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2764 दिनांक 15/6/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अगल है। दो उपस्थापन कर्मियों
- 2 दो इन्ट्री खेपों रंगीन लोरो अगल है। संस्था का प्रजीकृत किराया नामा/भूमि भवन
- 3 संबंधी अभिलेख अगल पढने योग्य नहीं है। संस्था पदाधिकारी/स्थापक/प्राचार्य/अध्यक्ष
- 4 त्प्राण दर्ज न होने मूल शपथ अगल हस्ताक्षर नहीं। सुरक्षा, धुलक निधि शुल्क
- 5 2000/ की स्थापन अगल। दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से समाविष्ट होना
- 6 आवश्यक आवरपत्र है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/उत्ता/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तापत्र

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



112042

क्रमांक 2721/मान्यता/उत्तर/2013 प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आर एस, उमराविका दौरा

मान्यता नवीनीकरण हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र

जिला- मुँना म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2764 दिनांक 15/1/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के सभी परीक्षित किराघात्रामा/भूमि भवन संबंधी दस्तावेज
- 2 (अभिलेख) पूर्ण विधान सहित पूर्ण (सकल) 2015 तक का अप्रार/आडिट रिपोर्ट
- 3 2012 की अप्रार/संस्था भवन के बीच सामने प्रदाधिकारी/रहास के नीचे रंगीन
- 4 मोटे प्रार्थना करे समग्र नी-रंगीन मोटे प्रयोगात्मक, पुस्तकालय के
- 5 अहवाल नकले, दो 2011 रेलवे की रंगीन मोटे मान्यता मापदण्ड संयुक्त
- 6 उपप्रार/आडिट दस्तावेज संस्था समिति अहवाल ले प्रमाणित नहीं है/प्रमाणित
- 7 होना आवश्यक है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2721/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक/2227/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112025

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

डा. बा. ब्रह्मचारी, 31 मार्च 2013

सा.वे. पोरसा

जिला- मुनेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172/67 दिनांक 4/8/12 एवं 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 की अपात है।  
दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2228/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुनेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुनेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जालंधर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 15/11/2013

112089

क्रमांक 2727 / मान्यता / जा0 / 2013  
प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीराम जानकी कन्या हाई स्कूल  
बाराही - खैरपुर जिला  
जिला - खैरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था ने आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाफ है/संस्था पदाधिकारी
- 2 स्टाफ पर आपका शिक्षण प्रकाश दर्ज न होने के कारण शपथ पत्र अपाफ/
- 3 दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष ने प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2728 / मान्यता / जा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला - खैरपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - खैरपुर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उन्नाव।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

112056

क्रमांक/प्रति 2127 / मान्यता/उत्तर/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सुमित्रा बाई, उपमावि 0

पोरसा

जिला- मुँदा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2035 दिनांक 6/5/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था में भूमि परीक्षण भूमि मालन संबंधी अभिलेख।
- 2 किरायावारी कुल शुल्की भूमि, कुल निर्मित क्षेत्र काप, कुल क्षेत्र क्षेत्रफल सह
- 3 का उल्लेख सह इन्सॉलेज ड्रा प्रकृति 2015 तक का अपाए है।
- 4 सुरक्षा निधि शुल्क 40000/- का व्याज अपाए है। प्रयोगशाला
- 5 के रंगीन फोटो, इंडो इंडो (रेवेनो, पुस्तकालय की रंगीन फोटो अपाए)
- 6 इन्सॉलेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित हस्ताक्षर है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/ 2128 / मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँदा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँदा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जिला-मुँदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mptse@mp.nic.in

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112020

क्रमांक 2325/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सुभाष 30 मार्च विर

जिला-कैलारस म.प्र.  
मुरैना

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन ए। साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का किराघाना नाम 2015 तक का समाप्ती-
- 2 डाइट रिपोर्ट 2012 की समाप्ती है। दस्तावेज संलग्न सापेक्ष/अध्यक्ष 6
- 3 समाप्ती होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पुष्ता. क्रमांक 12726/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-मुरैना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-मुरैना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तराधिकार

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





112076

क्रमांक 2125 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

वासुदेव, उम्मा वि. इम्मेदगाह

वासी और

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के आरिफ रिपोर्ट 2012 की अत्राप/दस्तावेज संख्या
- 2 सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना (आवर 2 प्रश्न)
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2126 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तापिका

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112091

क्रमांक/2725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

जी.पी.ओ. उ.प्र. शा. वि. 05, बलाकपुरा

जिला-भोपाल

म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/1/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से संस्था पदाधिकारी/स्थापक पर आपराधिक प्रकृत
- 2 दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र (अपना/आउट रिपोर्ट 2012 के असाप)
- 3 दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के पत्राक्षरित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा, क्रमांक/2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-भोपाल मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-भोपाल मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112065

क्रमांक 2725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

राम सेवक दास उपाध्यक्ष वि. निरीक्षक  
नेहरू नगर - कलकत्ता  
जिला - सुर्सेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन की शीप अनुसूची नेहरू नगर एवं अनुभागीय
- 2 अधिकारी में छान्दित डिफरेंस जॉब में इस विद्यार्थी के नाम के कोई भवन ही नहीं है यहाँ
- 3 इस कारण मान्यता संभव नहीं है। परीक्षा किराया नामांक पूर्ण उक्ति 2012 तक भुगतान
- 4 आउट रिपोर्ट 2012-13 की सजाप/सुरक्षा निधि शुल्क 40000/- का नालान उभार/पुस्तक
- 5 की सूची सजाप/मशिक्षित शिक्षकों की सूची सजाप/रिजिस्ट्रेशन सूची सजाप/संस्था पदाधिकारी
- 6 2012 पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र सजाप/संस्था भवन के रीडिंग
- 7 पदाधिकारी 2012 की रजिस्ट्रेशन प्रार्थना करने समय की रजिस्ट्रेशन प्रयोगशाला, पुस्तकालय दो
- 8 अध्यापन दलों के दो दफ्तर रखने की रजिस्ट्रेशन प्रार्थना/इसके अलावा संस्था सचिव अध्यक्ष के प्रमाणित हो

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुर्सेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुर्सेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

112068

क्रमांक 2325/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

पुर्गेडा हाई स्कूल  
राय का राय

जिला- सुरेन्द्र म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचन-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक Nil दिनांक Nil

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से सुरक्षा निधि शुल्क 75000/- का न्यायान उपजा
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / प्रति, 2725 / मान्यता/उत्तर/2013

112064

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

अशा. उ. मा. वि. सुभावाती

ने. 50. जौरा

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का विषय पंजीकृत विराधानामा पूर्ण सवधि 2015 तक का
- 2 आपका/कृषि सहाय हेतु एक एक ड भूमि का अभिलेख अप्रूप/डाइटरीफोर
- 3 - 2012 की अप्रूप/संस्था पदाधिकारी/हॉल पर अपराधिक प्रमाण दर्ज होने का प्रत्यक्ष
- 4 शेष पत्र अप्रूप/संस्था भवन के बीच समने पदाधिकारी/हॉल की रंगीन फोटो प्रार्थना
- 5 करते समय की- रंगीन फोटो, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, दो अप्रूप/कक्षा, दो उच्च
- 6 स्कोलों की रंगीन फोटो मालपत्रा साफरुख अंतु रूप अप्रूप/प्रारूप दस्तावेज संख्या
- 7 सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है प्रमाणित होना अप्रूप/है। सुरक्षा निधि शुल्क
- 8 40,000/- का आपान किया।

अंतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शिम., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं ज़िम्दार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2014

पृष्ठा. क्रमांक 2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तरिपत्र

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



112018

क्रमांक 2725 / मान्यता / उवाच / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

राम. स्व. डी. उवाच वि. (अन्तर्गत)

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- भुरैना म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रार है/संस्था पदाधिकारी/स्थापक
- 2 पर अप्रारित सूचना दर्ज न होने का दल शपथ पत्र अप्रार/प्रतिष्ठित स्थापक
- 3 शिक्षकों की सूची अप्रार/सुरक्षा निधि शुल्क 40,000/का-पालन अप्रार
- 4 संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी/स्थापक की रंगीन फोटो प्रार्षना करते समय
- 5 की रंगीन फोटो प्रयोगशालाये, पुस्तकालय, दो अस्थापक कक्षा दो इन्डोर खेल
- 6 की रंगीन फोटो मान्यता मापदंड अनुसार अप्रार/प्रार्षना सभी दस्तावेज
- 7 संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं हैं प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता / उवाच / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भुरैना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भुरैना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवाच वि. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552064

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक 2125 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

112046

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

समूह आर डी 30 मा 0 वि

सबभगाड

जिला- सुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर / जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 (आपकी) संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अनुभागीय अधिकारी की शीप
- 2 अनुसार आया भवन व भूमि, जमीन पुस्तकालय प्रयोगशाला में पेयजल,
- 3 विद्युत एवं प्रसाधन, सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यवस्था सम्पन्न है। बीरान विद्यालय
- 4 हेतु कक्षाओं-उपलब्ध का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ, यह कारणों पर-उपलब्ध नहीं है।
- 5 विद्यालय है। जिसका स्थानीय समिति में भी उल्लेख किया है, मान्यता नहीं दी
- 6 जाना प्रमाणित है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता / उत्तर / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, *उत्तर* की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक 2725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112099

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

दुर्गे, उ० मा० वि० चिन्तौनी  
करैरा जौरा  
जिला- सुपौल म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिटर रिपोर्ट 2012 की अप.प/संस्था पदाधिकारी/स्थापक
- 2 प्र. (आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल प्रमाण पत्र (अ.प.प/संस्था भवन के
- 3 लोक सामने पदाधिकारी/स्थापक की रंगीन फोटो, प्रार्थना करते समय की रंगीन
- 4 फोटो, न्यायशाला, पुत्रशाला दो अध्यापक कक्षा, दो इंडीपेंडेंट गै
- 5 रंगीन फोटो फोटो अस्थापक/पदाधिकारी दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के
- 6 प्रमाणित नहीं है/समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना
- 7 आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध म.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिना कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना पुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक/सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुपौल मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुपौल मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, सुपौल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

कार्यालय-0755-2551650, 2761667

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112034

क्रमांक 2725/मान्यता/उता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

तनुरंग उषमा/वि०, धमकन  
विकास रवठ, जौदा  
जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाप्त है। पंजीकृत किरायानामा।
- 2 भूमि मकान संबंधी स्थिति से पूर्ण अनिधि 2012 तक का अपाप्त/त्पार्थना कर।
- 3 समय की रीजिन फोटो, डो इच्छा, वैल्यू, एजेंडा, पुस्तकालय की रीजिन फोटो
- 4 मान्यता मापदंड अनुसार अपाप्त/दस्तावेज संख्या सार्थक/अपेक्ष से
- 5 अपाप्त/नहीं है। अपाप्त/होना आवश्यक है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 06 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2726/मान्यता/उता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112069

क्रमांक 2725 / मान्यता / 3 वा / 2013  
प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमेश कुमार सिंह  
हुबलाह कापुरा पडावली  
जिला- मुँना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत भूमि भवन संतैबी अभिलेख अपठकीय रूप पर प्रतियां भेजे जाडि
- 2 रिपोर्ट 2012 की अप्रप्त। निरीक्षण प्रतिवेदन की-रीफ अनुसार भजन एव
- 3 कमीया अप्रप्त है। सुरक्षा तिथि-अंक 40,000/ का-पालान अप्रप्त है।
- 4 समस्त अभिलेख संस्था संचित। अध्यक्ष के समाप्ति हेतु आवश्य
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11 / 1 / 2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता / 3 वा / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उतापिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

112114

क्रमांक 2725 / मान्यता / उता / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

कल्याण लोक, उता म.प्र.  
मुरैना  
जिला- मुरैना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिटरिपोर्ट 2012 की उम्पात/सुरक्षा निधि शुल्क
- 2 H.P. 0001- उम्पात उम्पात है। हे उम्पात रवेको भी- रगत को उम्पात है।
- 3 समान दस्तावेज संख्या सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2726 / मान्यता / उता / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुरैना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उता म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक 12725/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112182

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

राशिगिरि स्नार कन्वेंट, 37 मार्ग वि०  
पोरसा

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 122 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. डाटा रिपोर्ट 2012 की अप्रामाण है। दस्तावेज संख्या सचिव/अध्यक्ष
2. समाप्ति होता आवश्यक है। सुरक्षा तिथि शुल्क ₹ 40,000/- का चालान
3. अप्रामाण है।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा. क्रमांक 12726/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल





क्रमांक/ /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

112125

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

स्वामी विवेकानन्द, 30 मार्च/10  
रूपरती अम्बाला

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षक/अनुभागीय अधिकारी (राजस्व) के हस्तक्षेप नहीं है/अनुशासक की रूप धारण नहीं है/जाफ़र खान दलवावेज संपूर्ण सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है/दस्तावेज (अभिलेख) संपूर्ण सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2728/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



112199

क्रमांक 127/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

मदर टेरेसा कॉलेज, इंदौर  
इ.उ.सी. बोर्ड काकोरी, उरैन  
जिला- उरैन म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पैलीक्यु किराघानामा पूरा हुआ है 2013 तक
- 2 पूरा किराघानामा भेजे
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 127/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उरैन मध्यप्रदेश।
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उरैन मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

2727

112189

क्रमांक / प्रति, /मान्यता/उत्पाद/2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

कलेक्टर, जिला शिक्षा, भोपाल

भोपाल

जिला- भोपाल म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 112189 दिनांक 15/1/2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न 3 अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का परीक्षण किराणानाथ शूल विवरण सहित शूल
- 2 अर्थात् 2015 तक का अपात्र रिपोर्ट 2012-13 अपात्र रिपोर्ट
- 3 प्रदायितारी/हस्ताक्षर पर अपराधिक नमूना दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र
- 4 अपात्र शपथ सभी रंगीन फोटो का परीक्षण नुद ही अर्पित नहीं-
- 5 कि फोटो को फिसवा है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से, 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा क्रमांक/2728 /मान्यता/उत्पाद/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भोपाल मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भोपाल मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/प्रति. 2724 / मान्यता/उत्तर/2013

112175

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

जे.एस. पब्लिक उच्च मा. वि.  
वा.उ.सि.ग. बोर्ड कालोनी भुईना  
जिला- भुईना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आउट रिपोर्ट 28/2 की अपाप्त है/ सुरक्षा निधि
- 2 शुल्क 40,000 का चालान अपाप्त है/ दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष
- 3 के समामित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2728/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भुईना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भुईना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112110

क्रमांक 2725/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मन्त्रालय, 30 मार्च 2013

शाहिदा (रायपुर) ब्लॉक पोरसा

जिला- सुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के प्रशिक्षित शिक्षकों की सूची अपाए हैं।
- 2
- 3 दस्तावेज संख्या सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2728/मान्यता/उवा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

क्रमांक/प्रति, 2725 /मान्यता/उत्तर/2013

112142

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उद्योगि, उरमा वि०

गोशपुरा, सुरेन्द्र

जिला- सुरेन्द्र म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाठ है/ उत्तरावेदन
- 2 संस्था स्वयं/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।


सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2726/मान्यता/ /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551850, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112135

क्रमांक 2725 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

आध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

राजीव गांधी उन्माद वि.

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 25/12/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमन सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से प्राप्त किराया नामा में काट काट होने से शूल...
- 2 किराया नामा भेजे गए रिपोर्ट 2012 की अपात्र है/ने इकोर खेले...
- 3 रंगीन फोटो अपात्र है/समस्त इन्फ्रावेल् संस्था संचित/अप्राप्त से प्रमाणित...
- 4 होना आवश्यक है।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक/212/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश; उत्तरादिप्रा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



112116

क्रमांक 2725 / मान्यता / उता 0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

मां प्रल्हाद देवी, हाई स्कूल अगरेता

वि. रवण प्रहादशाह

जिला- मुर्ना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के पंजीकृत भूमि भवन संबंधी पूर्ण अभिलेख पूर्ण अतिथि
- 2 2015 तक के अग्राप/आडिट रिपोर्ट - 012 की- अग्राप/प्रयोगशाळा के इलेक्ट्रॉनिक
- 3 रिकॉर्ड की- रोजाना जागे अग्राप/सिस्टम पराधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक प्रवृत्त
- 4 दर्ज म लेने का मूल शपथ पत्र अग्राप है/समस्त दस्तावेज संपन्न सारीक-
- 5 अध्यक्ष के समाप्ति लेना आवश्यक है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध काना मुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता / उता 0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुर्ना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुर्ना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अध्यापक

सहायक सचिव-  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



112187

क्रमांक 2725 / मान्यता / ग्वाठ / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

नीला, 30 मार्च को जोरी  
शिक्षा नगर जोरी  
जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था ने पंजीकृत किराचानामा/भूमिभवन संबंधी अभिलेख
- 2 पूर्ण अवधि 2015 तक का समाप्त है/समाप्ति संस्था सचिवा
- 3 अध्यक्ष के समाप्ति के आश्चर्य है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2726 / मान्यता / / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, सुरेन्द्रा  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2725 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

112139

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

बाल मंदिर, हाई स्कूल

भोरा

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आउट रिपोर्ट 2012 की अप्रामाणिकता पदाधिकारी/स्थापक
- 2 या उपरांत प्रमाण दर्शाने का मूल शर्त पत्र अप्रामाणिकता पत्र
- 3 के बीच सामने पदाधिकारी/स्थापक की रंगीन फोटो, मार्किंग करके समय की रंगीन फोटो
- 4 प्रमाण शाला, पुस्तकालय के अभाव में कक्षा के इकोर खेलों की रंगीन फोटो
- 5 संलग्नता में प्रमाण अनुक्रम अप्रामाणिकता पत्र दर्शा के संस्था समिति (अ.व.स.)
- 6 के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिना कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2726 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक / 2125 / मान्यता / उपा / 2013  
प्रति,

112192

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

इमानुअल हाई स्कूल

भुरैना

जिला- भुरैना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था से आउट रिपोर्ट 2012 की अपात्र है/संस्था भवन के नीचे
2. सामने पदाधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो, आपकी करते समय ही-रंगीन फोटो
3. पुस्तकालय, प्रयोगशाला, के अध्यापन कक्षों, के इन्टोर रकबों की- रंगीन फोटो
4. मान्यता नवीनीकरण अनुक्रम अपात्र/समस्त फोटो एवं दस्तावेज संस्था स्थान पर
5. अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव,  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्य प्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2726 / मान्यता / उपा / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भुरैना मध्य प्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भुरैना मध्य प्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपाधि

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्य प्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112196

क्रमांक 2725/मान्यता/उपा/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सरोजनी कन्या, विद्या निकेतन  
30 मार्च 2010 ता. इ. सि. ज. बोर्ड का. लो. अ. भ. प्र.  
जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172/317 दिनांक 4/8/12  
21/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था ने आडिट रिपोर्ट 2012 की उपस्थापन हेतु के इच्छा रखे
- 2 की रंगीन लोरे उपस्थापन/दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के समक्ष
- 3 होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726/मान्यता/उपा/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जलाभिमत

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112193

क्रमांक 2725 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सिरी मानेशरी, 30 मार्च को  
बेनास रोड, मुंता  
जिला- मुंता म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 312 दिनांक 21/1/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के संस्था पदाधिकारी / स्टाफ पर आपराधिक प्रमाण
- 2 दर्ज न होने का चला शपथ पत्र अप्राप्त तथा दस्तावेज संस्था सचिव।
- 3 अहम स हे समाप्ती हेतु आवश्क है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2726 / मान्यता / 2010 / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुंता मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुंता मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, मुंता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय - 0755-2551850, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/1/2013

112136

क्रमांक/प्रति 2635 / मान्यता/उत्तर/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री रविन्द्र नाथ शर्मा, 30 मार्च 2010

दोहरसा

जिला- मुँदेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचन-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के पंजीकृत किरायेनामों में मार हाई होने मूल्य किरायेनामा
- 2 भेजी/संस्था पदाधिकारी/स्थापक पर आपकाधिकृत सत्रांतर होने पर मूल्य अपय
- 3 पत्र अपाप्त/संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी/स्थापक की रंगीत फोटो सार्पना
- 4 करते समय की रंगीत फोटो, प्रयोगशाला पुस्तकालय दो अध्यापक कक्षों के इनो
- 5 रंगीतों की रंगीत फोटो आत्मनय आपदण्ड अनुक्रम अपाप्त/समस्त दस्तावेज संस्था
- 6 स्थानिक/अध्यक्ष से सम्भाषित नहीं है/सम्भाषित होना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 11/1/2013

पृष्ठा क्रमांक/प्रतिलिपि :- 2636 / मान्यता/उत्तर/2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मुँदेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुँदेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

112194

कार्यालय - 0755-2551650, 2781567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/1/2013

क्रमांक / 2635T मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शानोदय उ० मा० वि०

औरी रोड सुरेना

जिला- सुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपको संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आउट रिपोर्ट 2012 की उपलब्ध है/तत्काल भेजे।
- 2
- 3 दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष ले प्रमाणित होना आवश्यक है/सुरेना नि
- 4 40.000 का चालान अर्थात्
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2636 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3 प्रतिलिपि

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551850, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552081

भोपाल दिनांक 14/11/2013  
पं-4-1-14

112120

क्रमांक 2635 / मान्यता / उवा 10 / 2013.  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

राहुल कान्वेट, हाई स्कूल

पोरसा

जिला- भुरैना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 67 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के धरीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर संभागीय अधिकारी उवापिनर ने अपनी-  
2. रीप में लिखा है, विद्यालय में शीन सेट है, जर्नीचर, लेब, पुस्तकालय विद्यालय  
3. में नहीं पाये गये। मालूमता विलिपम 28.10 के अनुसार विद्यालय संचालित होते  
4. कही जाया गया मालूमता हार्डि नी अनुशंसा नहीं के जात है। प्रति कराकर ताकाप  
5. मेरे  
6.  
7.  
8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध भा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

2636

पृष्ठा, क्रमांक / मान्यता / उवा 10 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भुरैना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भुरैना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवापिनर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 14/11/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 11/1/2014

112102

क्रमांक 2635 / मान्यता / ज्वा० / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

मान्यता उ० भा० वि० ग० म० प्र०  
नेहो: अम्बारा  
जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

पंजीकृत किराया नामा में काट कांटे की जायी प्रतीत होती है, मूल किराया नामा में के इन्फो रिकॉर्ड की रीजिन लोरो उपलब्ध है। दस्तावेज सही स्याहीन/अच्छा से समाप्त होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंतर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2014

पृष्ठा क्रमांक 2636 / मान्यता / ज्वा० / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ज्वा०

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 6/1/2014

112188

क्रमांक 2635 / मान्यता / जवाए / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

बी. एच. उ. मा. वि. सुजानगरी

प. हा. ग. 6

जिला- सुरैना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 5/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण मत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आउट रिपोर्ट 2012 की तैयारी हे. संस्था सचिव/-
- 2 अध्यक्ष के प्रमाणित करार भेजे।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 6/1/2014

पृष्ठा. क्रमांक 2636 / मान्यता / जवाए / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरैना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरैना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाए

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4 / 1 / 2013

112195

क्रमांक / 2135 / मान्यता / जवा0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

संजीवनी पब्लिक 37 मा0 वि0  
काउंसिल का कार्यालय मुरेना  
जिला- मुरेना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 21/1/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाफ/ दो इच्छा रखते
- 2 1- रंगीन फोटो अपाफ/ दस्तावेज संख्या सचिव/ अ.प्र.स. के समाप्ति होने
- 3 आब-प्र-प्र है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

राक्षसक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4 / 1 / 2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2136 / मान्यता / जवा0 / 2013.

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला- मुरेना मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुरेना मध्यप्रदेश।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाभिपत्र

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/1/2014

112165

क्रमांक 2635 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

पं. देवी प्रसाद पुजारी, 30 मार्च 10

अस्वात

जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था पंजीकृत किरायेनाम शर्तितक 2012 तक का उपलब्ध है।
- 2 ऑडिट रिपोर्ट 2012 की उपलब्ध है, सुरक्षा निधि युक्त 40,000 का निर्धारित
- 3 चालान उपलब्ध है। समस्त रंगीन फोटो संप्ला संचित/उपलब्ध से प्रमाणित नहीं है।
- 4 प्रमाणित होता आवश्यक है।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध गा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

2636  
पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/1/2014

112163

क्रमांक 2635 / मान्यता / उवा0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श.म.बी.डी.0, हाई स्कूल, सेठवारी

पो. चैनपुरा

जिला- बुंदेलखंड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक: 65 दिनांक 26/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमल सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

1 आपकी संस्था के किराघानामा में मंजूर होने से पूर्व पीसीकन किराघाना  
2 तत्काल भेजे। आडिट रिपोर्ट 2012 की उत्पत्ति है। दस्तावेज संलग्न सचिव/  
3 ज.प्र.स. के तत्परि होने आवश्यक है।  
4  
5  
6  
7  
8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2014

2636  
पृष्ठा. क्रमांक / मान्यता / उवा0 / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- बुंदेलखंड मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- बुंदेलखंड मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाबिदार

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/ज्वा०/2013  
प्रति,

132239

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

रम. पी० रेजुमेशन, ज्वा० वि०

आपपुरा

जिला- मिह म.प्र

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ति हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234, दिनांक 27/12/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की संपूर्ण सार्चिव/असमझ ले प्रसारित
- 2
- 3 अज्ञाप/
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिसंबर के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक/2455/मान्यता/ज्वा०/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिह मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिह मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 245/5/मान्यता/उपा/2013  
प्रति,

142411

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

के.डी.एस. का.वे.ए, हाई स्कूल  
राजि नगर, मुरार, उवालिपा  
जिला- उवालिपा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर को अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की गैर उपलब्धता पर प्रति सुनिश्चित नहीं है।
- 2 आडिट रिपोर्ट 2012 की अभाव।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 245/5/मान्यता/उपा/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिपा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिपा, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552081

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/उत्ता0/2013  
प्रति,

142417

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

न्यू ज्ञान मॉडर्न हाई स्कूल  
ग्राम-मकड़, मिरवाड़ा  
जिला-उत्ताखण्ड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अंश प्रसिद्धा भवन के बीच सामने पदाधिकाारी/स्टाफ
- 2 की रंगीन फोटो, संपिना करते समय की रंगीन फोटो प्रयोगशाला, पुस्तकालय के इन्टोर
- 3 खेले दो अक्षयपत्र नक्षीकी रंगीन फोटो मान्यता आपका अयुक्त नहीं है। प्राप्त समस्त
- 4 दस्तावेज संस्था मान्यता/अक्षयपत्र से समाहित नहीं। संस्था पदाधिकाारी/स्टाफ पर
- 5 अक्षयपत्र संकाय दर्ज न होने का साथ शपथ पत्र अक्षयपत्र निरीक्षण प्रतिवेदन अयुक्त
- 6 पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा कमरे पदपत्र व्यवस्था नहीं है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा, क्रमांक/2453/मान्यता/उत्ता0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-उत्ताखण्ड मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-उत्ताखण्ड मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्ताखण्ड

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454 / मान्यता / 2013  
प्रति,

142407

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सुकलव्य विद्या मंदिर, हाई स्कूल  
मोतीश्रील जवापिघाट  
जिला- जवापिघाट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की शीप अनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय अद्यतित हैं।
- 2 आग्निशामक यंत्र नहीं हैं। आग रिपोर्ट 2012 की अप्रार/पंजीकृत किराघानामा
- 3 शीप अवधि 2015 तक के अप्रार/संस्था पदाधिकारी/स्थापक/अध्यक्ष प्रमाण
- 4 दर्ज न होने के कारण आपका पत्र अप्रार/
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2455 / मान्यता / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवापिघाट मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवापिघाट मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवापिघाट

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय -0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/1/2018

142464

क्रमांक / 2597 / मान्यता / उता० / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

ल्यूसेन्ट स्टार हाई स्कूल  
जोवन्ति काप्राती झरार उता०  
जिला- उवासीघाट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60.6667 दिनांक 3/9/17

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. निरीक्षण प्रतिवेदन पर सुसं.डी०एम० क्षेत्र झरार उवासीघाट में दीप में अंशिक
2. है, अप्रति स्थापित एवं अप्रति सुविधाएं अनुसंसा नती में जाती हैं। आडिट रिपोर्ट
3. 2012 में अज्ञात/
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/1/2018

पृष्ठा. क्रमांक 2594 / मान्यता / उता० / 2013.

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवासीघाट मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवासीघाट मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवासीघाट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



142421

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/1/2013

क्रमांक/2597/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री राधा कृष्णन विद्या मंदिर  
राई स्कूल रायक जमर उत्तरप्रदेश  
जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओ  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की शीप अनुसार प्रयोगशाला, पुस्तकालय व्यवस्था
- 2 आतिशयन संघ नहीं है, (अवश्या) नहीं है। संस्था प्रदाधिकारी/स्था
- 3 पर आपराधिक प्रकाश नहीं होने का स्थल शपथ पत्र अपाप्त। संस्था में के दो
- 4 सामने प्रदाधिकारी/स्था की रीति न जो दो, साधना करने समय की रीति जो दो
- 5 शास्त्र पुस्तकालय, दो अश्यापन कसों, दो इन्डोर खेलों की रीति जो दो अपाप्त
- 6 प्राप्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष हे प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित होना
- 7 आवश्यक है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्य प्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2598/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्य प्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्य प्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश मध्य प्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तरप्रदेश  
सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्य प्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/11/2013

142156

क्रमांक 12597 / मान्यता / ज्वा10 / 2013  
प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शिवानी, हाई स्कूल

मिर्जापुर

जिला- ज्वालिपट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606662 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण रत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की पढने योग्य भेजे/ दो इच्छा रेजलें की रंगीन
- 2 कोरी भेजे/ संसाधन दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष को प्रमाणित कराए
- 3
- 4 ही- भेजे/
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक 12598 / मान्यता / ज्वा10 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वालिपट मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वालिपट मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ज्वालिपट

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

142457

क्रमांक 2454/मान्यता/2010/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

ब्रिजेश्वर स्टाड हार्स स्कूल

आनन्द नगर, उवासीम

जिला- उवासीम म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदभित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. ~~पंजीकृत किराएदार/भूमि भवन एवं दी वहावेज पूर्ण अवधि 2015 तक के~~
2. ~~उप्राप्त/आडि रिपोर्ट 2012 की उप्राप्त/~~
3. ....
4. ....
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा. क्रमांक 2454/मान्यता/2010/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवासीम मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, ला.क.शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवासीम मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवासीम

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551498, 2552061  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

142433

क्रमांक 2454/मान्यता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/रचित/प्राचार्य

सोनपाल मैमो पाठशाला, हास स्कूल  
खुररी कुगर जवाहिर  
जिला- जवाहिर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की शीप (सुदुर्गा, पदादि विचार/फर्नीचर आदि नहीं हैं।
- 2 अनुरासा नहीं है।
- 3 आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाप्त सिस्टम प्रदायिका/हराफु पर आपराधिक लवणों के तले के
- 4 का सार आपराधिक अपराध/पिपीकन किरासातासा पुनः सुनाया 2015 तक न अपाप्त
- 5 संस्था सफल है कि, सामने पदायिका/हराफु की रेगुलर फोटो सापना ऊपर समसूची रेगुलर
- 6 फोटो; पुस्तकालय समेकित शाखा के सहायक कर्मियों के रजिस्टर खोलने की रेगुलर फोटो मान्यता
- 7 आपराधिक अनुरूप अपाप्त समसूची देसगवेला एवं रेगुलर फोटो संस्था सापना/अपराधिक
- 8 अपभारित बरका मेरे।

अति: कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455/मान्यता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहिर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहिर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142450

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

बाल भारती हाई स्कूल, सिंहपुर रोड

मुरार, उत्तरप्रदेश

जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 406667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन में 200 युग्म खेल मैदान पदार्थ नहीं है, प्रयोगशाला
- 2 अपूर्ण है। प्रांतीय किराया नामा प्र. अ. दि. 2015 तक 45 असाफ/इसरोब
- 3 स्वीकृत लिपि/असाफ - 6 प्रमाणित करवाकर भेजे।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियां को पूर्ण कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियां की पूर्ण न करना की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455/उत्तर/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/जा0/2013  
प्रति,

142434

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सूर्य देव, हाई स्कूल, कुपैत रोड भिजावारी

पोस्ट लखीमपुर

जिला- उवासीमर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत विहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की रीप अनुसार प्रयोगशाला पुस्तकालय अथवा अन्य
- 2 स्थल भवन में विरासत निवासन है, अग्निशमन घंटा नली मान्यता नवीनीकरण
- 3 की अनुसंधान नली भी जाती है। आदि रिपोर्ट 2012 की- उपचार/संस्था प्रदाधिकारी/-
- 4 द्वारा प्र.आपराधिक प्रकृत दल न होने का मूल शपथ पत्र अभाव/संस्था भवन के
- 5 दीर्घ नामने प्रदाधिकारी/दस्तावेज की रंगीत फोटो, प्रार्थना करते समय की रंगीत फोटो,
- 6 प्रयोगशाला पुस्तकालय के इन्ट्रि स्केलो, दो उपकरण कक्षों की रंगीत फोटो उपस्थापित
- 7 किराये नाम की अक्षरों में काट दांड है, मूल पंजीकृत किराये नामा भेजे/आप इत्यादि
- 8 संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्राप्ति करनी।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों को पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक 31/05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2455/मान्यता/जा0/2013

- प्रतिलिपि :-
- 1 कलेक्टर, जिला- उवासीमर मध्यप्रदेश
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण सचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवासीमर, मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2454 / मान्यता / जता 0 / 2013  
प्रति,

142423

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

समाप्त पाठ्यक्रम, हाई स्कूल  
शिवपुरी, शिव कालोनी (पिन्डो) पार्क, भुसार  
जिला- जवाहर नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60.666/ दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की रैप अनुसार शाला भवन व भूमि परिसर
- 2 पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सुरक्षा रण सुरक्षात्मक व्यवस्था अपूर्ण है।
- 3 मान्यता नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं जाती। डाटिरिपोर्ट 2012 की अप्रार
- 4 संस्था पदाधिकारी/हस्ता पर अथ आपराधिक प्रमाण दर्ज न लेने का मूल
- 5 शपथ पत्र अप्रार/संस्था भवन के हाथ सामने पदाधिकारी/हस्ता की रैगिन कोरी
- 6 प्रार्थना करते समय की रैगिन कोरी, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के अप्रारपन सुको
- 7 के इन्डोर खेलो की रैगिन कोरी अप्रार/प्राप्त दर्जा के संस्था सचिव/अध्यक्ष के समीक्षा
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455 / मान्यता / जता 0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहर नगर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहर नगर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर नगर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

142439

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सनराईज मान्येश्वरी, हाई स्कूल  
इन्द्रभागी नगर छुआर  
जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. पंजीकृत किराणानामा/भूमि भवन संबंधी अभिलेख पूर्ण अथवा 2012-13 का असाप्त/साप्त रिपोर्ट 2012 की असाप्त/संस्था पदाधिकारी/स्थापक या आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का प्रमाण पत्र असाप्त/पुस्तकालय प्रयोगशाला अपूर्ण/संस्था भवन के ठीक सामने पदाधिकारी/स्थापक की रंगीन फोटो प्रार्थना करते समय की रंगीन फोटो, समेषा शाखा, पुस्तकालय के अध्यापन कक्षों, डे. इलेक्ट्रॉनिक के रंगीन फोटो
2. मान्यता मापदण्ड अनुसार असाप्त हैं/साप्त दस्तावेज संख्या मान्यता/अ.प्र.क.स. के प्रमाणित
3. नंबर के दस्तावेज संख्या सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख त्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तरप्रदेश

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

142395

क्रमांक/2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

केरला कॉन्वेंट, हाई स्कूल  
जौकिन्पुरी हाईपुर सुपर जवाहर  
जिला- जवाहर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60.666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. निरीक्षण प्रतिवेदन की त्रुटि अनुसार पुस्तकालय प्रयोगशाला में अपर्याप्त
2. संलग्न पदाधिकारी/हस्ताक्षर आपराधिक प्रकृतियों वाले न होने का प्रमाण उपलब्ध
3. अभाव/दो इन्फॉर्मर रतिलेखों का प्रयोगशाला की-इंगीत कलेक्टो अभाव दो अध्याप
4. कक्षाओं की-इंगीत कलेक्टो अभाव
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142370

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

देहली पब्लिक आवासीय 30 मार्च 2013

आनन्द नगर उच्च शिक्षा  
जिला- उत्तरांचल म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत शहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- पंजीकृत किराघाना में भूमि भवन का क्षेत्रफल रूप स्पष्ट नहीं है।  
अडिटर रिपोर्ट 2012 की अध्यापक/सहायक शिक्षा पदाधिकारी/स्थापक पर अध्यापक प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अध्यापक/पुस्तकालय अध्यापक/स्थापक को उपरोक्त संकेतों को अध्यापक कक्षों की रंगीन फोटो अध्यापक/

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधान के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरांचल मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरांचल मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/आवक/2013  
प्रति,

142394

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सिद्धेश्वर इंग्लिश पाब्लिक हाई स्कूल  
जयंतम नगर, सुरसर, जवाहरपुर  
जिला- जवाहरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्वित समितित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की रीप अनुयाय शाला भवन व भूमि पुस्तकालय प्रयोगशाला
- 2 सुरक्षा एवं अग्निशमन व्यवस्था उपयुक्त है परंतु स्थान एवं सुविधाएं नहीं
- 3 अनुशासन नहीं की जाती है। अनुशासन अंगण / पंजीकृत किराया नामा सत्र अक्टूबर 2015 तक
- 4 का अप्रार/आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रार/सत्यापन पत्राधिकारी / एडाफ पर अप्रार/अभिलेख प्रस्तुत
- 5 नहीं की है। अतः प्रारंभिक पत्र अप्रार/सत्यापन के ही सामने पत्राधिकारी / एडाफ की रंगी
- 6 प्रारंभिक करके समझ की रंगीन फोटो प्रयोगशाला पुस्तकालय के इंडोर खेलों के
- 7 उपलब्ध नहीं की रंगीन फोटो अप्रार/सत्यापन के सत्यापन सचिव / म.प्र.श. के
- 8 प्रस्तुत नहीं।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रभारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2455/मान्यता/आवक/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरपुर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142359

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 15/12/2013

क्रमांक/2260/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शैली-चाहल पाठशाला, काई स्कूल  
अधिकारिक परम सहायक प्रचारक  
जिला-उत्तर प्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्त हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60.666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 सैलवा पदाधिकारी/स्वायत्त प्र. उपरिष्ठित संस्था दर्ज न लेने का प्रमाण प्रस्तुत
- 2 अथवा/के इकोर केले की रंगीन फोटो के अस्थापन कइयो की रंगीन फोटो अथवा
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 15/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2261/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142341

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

विश्व भारती पब्लिक स्कूल  
सैतिल कालोनी पिरोपार्क  
जिला- उवासीमर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ सम्बन्धित अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012-13 की अप्रामाण्य/त्रुटिपूर्ण सभी रंगीन फोटो एवं दस्तावेज
- 2 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणांक सही हैं/प्रमाणांक भंगे/
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवासीमर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लघु शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवासीमर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवासीमर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/उपा0/2013 प्रति.

142358

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्रीमती गार्डन हाई स्कूल  
मे 2 विनाय नगर जवाहरिया  
जिला- जवाहरिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के सम्बन्धी हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत विद्यार्थियों की सूची अवधि 2012-13 का उपचार/अपडेट रिपोर्ट
- 2 2012-13 का उपचार/निरीक्षण प्रतिवेदन की सीप अनुसार अति पंजीकृत नही।
- 3 मान्यता नवीनीकरण की अनुसंधान नही की जाती।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कार्यों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2454/मान्यता/उपा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरिया मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरिया मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहरिया

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142388

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/11/2013

क्रमांक / 2597 / मान्यता / उवा / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

वर्षा कान्वेंट 30 मार्च को  
समागी नगर मुरार उवापिघर  
जिला- उवापिघर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की रीप पर S.D.M. मंडला द्वारा अपर्याप्त फर्नीचर एवं
- 2 अन्य सुविधाएं मान्यता नवीनीकरण की शर्तों का नहीं की जाती हैं। आडिटर
- 3 2012 की अस्थापन/संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने
- 4 मूल-शपथ पत्र अस्थापन/संस्था भवन के ठीक सामने पदाधिकारी/हस्ताक्षर की रजिस्टर प्र
- 5 वरते समय की रजिस्टर प्रोद्योग, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, के अस्थापन करों, के इन्सुरें
- 6 की रजिस्टर प्रोद्योग मान्यता मण्डल अथवा अस्थापन/प्राप्त समय दस्तावेज संस्था सचि
- 7 अस्थापन के समाप्ति नहीं हैं, प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक 12598 / मान्यता / उवा / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवापिघर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवापिघर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवापिघर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/1/2013

142362

क्रमांक / 2597 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

30 मार्च 2013  
भिरवा

जिला- ज्वालपूर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667, दिनांक 3.1.12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडि रिपोर्ट 2012 में अप्राप्त है दो अध्यापन कइसे भी-रैगिन
- 2 लोरे अप्राप्त / दस्तावेज संस्था सचिव / अध्यक्ष के प्रमाणित होना
- 3 आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2598 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वालपूर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वालपूर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, ज्वालपूर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/1/2014

142315

क्रमांक 2635 / मान्यता/उत्पा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सी.एन. कांन्वेंट, 370 मार्गविकी  
19 इन्डमारी नगर मेला शांकर उत्पा05  
जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आउट रिपोर्ट 2012 की उपलब्ध है/संस्था भवन के हीतु सामने पर्याप्त
- 2 स्थल की रंगीन फोटो, तैयार न करे समस्त की-रंगीन फोटो प्रयोगशाला
- 3 पुस्तकालय के उपलब्ध न हो की-रंगीन फोटो मान्यता मापदण्ड उपलब्ध उप
- 4 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं हैं/समस्त दस्तावेज सही ढंग से
- 5 अध्यापक के प्रमाणित नहीं हैं/समस्त दस्तावेज सही ढंग से
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी। . .

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2014

पृष्ठा क्रमांक 2636 / मान्यता/उत्पा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



142372

क्रमांक 2635/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री जीनियस कान्वेट,  
हाई स्कूल निचरा उत्तरप्रदेश  
जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का किराया नामा पंजीकरण सूची अर्थात् 2815 गदु का अंगण/
- 2 संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर अपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र
- 3 अंगण/संस्था भूखण्ड के बीच सामने पदाधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो प्रार्थना कर
- 4 समग्र की रंगीन फोटो, बच्चों/राक्षाला, पुस्तकालय, दो अध्यापन बसों, दो इको खेतों
- 5 की रंगीन फोटो मान्यता मापदंड संतुल्य अंगण है। मापदंडों के संस्था
- 6 सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित होना आवश्यक है। सुरक्षा निधि
- 7 25000 का न्यायान अंगण का 2015 तक दो वर्ष की मान्यता ही कि शुल्क का न्यायान
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक ५/१/२०१३

पृष्ठा क्रमांक 2636/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142381

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/1/2014

क्रमांक 2635/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आशुतोष कान्तेट उमाठ वि.  
उमाठ नगर सुरार उवाठ म.प्र.  
जिला- उवाठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी सरथा की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी सरथा से पंजीकृत किराघाना 2015 नु 51
- 2 उमाठ संस्था सचिव/अध्यक्ष ने समाप्ती हेतु उमाठ म.प्र. है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2014

2636  
पृष्ठा क्रमांक / मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाठ म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाठ म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवाठ म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142365

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/1/2013

क्रमांक 2635/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

द. गोडस शीखा, 30 मार्च 2013

करहिण, मिरवा, जिला- उवादिघा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण स। 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के आडि रिपोर्ट 2012 की अपाए/एक इकोरकेलर शं
- 2 पुस्तकालय रीगिन कोरे अपाए है/ दस्तावेज संस्था सचिव/प्रमुख के प्रमाणित
- 3 होना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2013

2636  
पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवादिघा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवादिघा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवादिघा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551850, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/11/2012

क्रमांक 2597 / मान्यता / 2013  
प्रति,

142340

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री रामवारण उग्रभावा वि० अन्वार

नेहरो भिरवा

जिला- जवाहरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के धरीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाफ/पंजीकृत किराया नामा पूरा अवधि 2012
- 2 का अपाफ/पाप दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित मही प्रारवना का
- 3 समय की रीगिन दोरो, लकोगशाखा, पुनर्पाठ्य से अपाफन वरको की रीगिन दोरो
- 4 मान्यता आपदाड अतुकप अपाफ/समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्य
- 5 के प्रमाणित कएना ही भेजे।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/11/2012

पृष्ठा क्रमांक 2598 / मान्यता / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरपुर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरपुर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142330

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/जा/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आरेकल पब्लिक उच्च माध्यमिक

क.पू. रोड, जयपुर, जयपुर

जिला- जयपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3090 दिनांक 17/9/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाठ/पंजीकृत किराणानामा 2012 अप्रैल 2015
- 2 क.पू. का अपाठ/संस्था भवन के ही सामने पदाधिवारी/हाफ की रैंगीन फोटो
- 3 ल्याब/कमरे लक्ष्य की रैंगीन फोटो, प्रयोगशाला सुलभता लक्ष्य के अपाठ/पंजीकृत
- 4 क.पू. के इंडोर खेलों की रैंगीन फोटो मान्यता मापक अनुसंधान अपाठ/पंजीकृत फोटो
- 5 एवं संलग्न दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित की
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध भा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक 05 दिसंबर के अंतर्गत मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करना की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कानूनी 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2454/मान्यता/जा/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जयपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जयपुर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जयपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454 मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

142374

अध्यक्ष/रचित/प्राचार्य

ज्ञान भारती विद्या मंदिर हाई स्कूल  
राधाजी कवोली ज्योला का मंदिर उत्तर  
जिला- उत्तराखण्ड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संदर्भित अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाठ है। पंजीकृत किरादानामा की साफ
2. (स्पष्ट) नही भेजी। संस्था हानित/अध्यक्ष के सम्भागीय होना चाहिए।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से छह दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2454 मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/जाट/2013  
प्रति,

~~112383~~  
~~112383~~  
142383

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

कोपल, 30 मा 6 वि 0  
इन्डियनगट हारीपुर जवाहरिया  
जिला- जवाहरिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थित निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की त्रुटि अनुसार फर्नीचर, प्रयोगशालाएं तथा उपकरण/
- 2 पूर्णतः सुविधारे नहीं मान्यता नवीनीकरण की अवशंसा नहीं की जाती है।
- 3 परीक्षित विद्यार्थियों का अंक 2015 तक का अपात/संस्था प्रदायिका/स्टाफ पर
- 4 अपात/संस्था प्रदायिका/स्टाफ पर न होने का प्रमाण/संस्था प्रदायिका/स्टाफ पर
- 5 प्रदायिका/स्टाफ की- रेगीत कोरे, आपता करत समग्र की- रेगीत कोरे, प्रयोगशाला, पुस्तकालय
- 6 दो अध्यापक कर्मों, दो डस्टी कर्मों की- रेगीत कोरे, अपात/आपता प्रदायिका/स्टाफ/सचिव/-
- 7 प्रदायिका/स्टाफ की- रेगीत कोरे, अपात/आपता प्रदायिका/स्टाफ/सचिव/-
- 8 अपात/आपता प्रदायिका/स्टाफ/सचिव/-

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455/मान्यता/जाट/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरिया मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरिया मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/ 2454 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

142345

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

जे० ए० पाठशाला, 30 मार्च 2013  
मिर्जापुर

जिला- जवाहर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012-13 की अभाव/पंजीकृत किराया नामा शर्त
- 2 अवधि 2015 तक का अभाव है। दस्तावेज सहीपा लघि०/अ०२५३५०
- 3 अभावित कानून अजे।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 नवंबर के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियां की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 1455 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर म.प्र.

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक / 2454 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रति,

142337

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सेन्ट जॉन्स हाई स्कूल

22 झारकाधीश कॉलोनी, हारीपुर मुराह, जवाहर

जिला- जवाहर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आइटि रिपोर्ट 2012 की अप्रामाण संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर या अप्रामाण प्रमाण दर्ज न
- 2 होने का मूल शपथ पत्र अप्रामाण संस्था भवन के ठीक सामने पदाधिकारी/हस्ताक्षर की रंगीन फोटो
- 3 प्रामाण्य करने सम्पन्न की रंगीन फोटो, सयोगशाला पुस्तकालय, दो अक्षयपत्र, कक्षाओं के इन्टोर
- 4 स्वोपकी की रंगीन फोटो अप्रामाण मान्यता प्राप्त 2008 अनुसूची अप्रामाण प्राप्त फोटो एवं दास्तावेज संस्था
- 5 सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं/समाप्त इलाकज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित
- 6 कारण ही भेजे।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनास के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्र.वधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2454 / मान्यता / 2010 / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/प्रति 2454/मान्यता/उत्ता/2013

142382

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शारदा विद्या मंदिर, हाई स्कूल

चारीगांव

जिला- उत्तराखण्ड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन ए। साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किरागानामा सूची अतिथि 2015 तक का अपाए/संस्था पदाधिकारी/-
- 2 ए21ए पर अपराधिक प्रकरण के डक न होने का प्रमाण पत्र अपाए/संस्था
- 3 भवन के बीच सामने पदाधिकारी/ए21ए की रंगीन फोटो, प्राचीन काले समय की रंगीन फोटो
- 4 प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो इलेक्ट्रॉनिक खेलो, दो अध्यापन के कक्षों की रंगीन फोटो मान्यता
- 5 सापेक्ष अनुक्रम अपाए/प्राप्त समस्त इस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के
- 7 प्रमाणित नहीं है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/प्रति 2454/मान्यता/उत्ता/2013

- प्रतिलिपि :-
- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश।
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तराखण्ड मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142246

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/1/2013

क्रमांक/2597/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

द्वारा श्रीवाजी उमाठार  
जिला- उत्तराखण्ड (जीवाजीगंज)  
म.प्र.  
जिला- उत्तराखण्ड

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किरायेनामा 2012-13 तक का अप्रॉप्राइट रिपोर्ट 2012
- 2 की-अप्राप्त/S.D.M. की-रीड आउटसाइड खेला का मैदान नहीं है प्रयोगशाला
- 3 प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं है। अतिरिक्त प्रयोगशाला नहीं है, अदुरीया सभ्य नहीं है
- 4 भवन के बीच खाने पदाधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो मांगता करते हैं। समूह 4- रंगीन
- 5 प्रयोगशाला, प्रयोगशाला दो अध्यापन कक्षों, दो इन्टोर रकमें की रंगीन फोटो मांगता मांग
- 6 अदुरीया अप्रॉप्राइट संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक प्रस्ताव दर्ज न होने का प्रमाण
- 7 उपरोक्त/आप इलाके संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2598/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल  
**WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in**

142207

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3 / 11 / 2013

क्रमांक / 2597 / मान्यता / जवा / 2013  
 प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

स्वामी अरवोडानंद सरस्वती  
 हाई स्कूल, गुरार, जवा  
 जिला - जवा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. निरीक्षण प्रतिवेदन पर यह अनुसूच पत्र पर सुविधाएं नहीं अनुरांसा नहीं
2. की जाती हैं। आडिटरिपोर्ट 2012 में आपका/संस्था प्रबंधकारी/हस्ताक्षर पर आपका
3. सहायक दल न होने का स्पष्ट शपथ पत्र समाप्त/संस्था संकलन के बीच सासने प्रबंधकारी/स
4. की रंगीन फोटो, प्रार्थना करते समय से रंगीन फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के संस्था
5. कसौटी, दो इकोर खेती की रंगीन फोटो मान्यता मण्डल अनुसूच आपका/पंजीकरण
6. प्रमाणित होना आवश्यक है।
7. प्रमाणित होना आवश्यक है।
8. प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 3 / 11 / 2013

पुष्ता. क्रमांक / 2598 / मान्यता / जवा / 2013  
 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला - जवा म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला - जवा म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवा म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव,  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक 2454 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रति,

142219

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री. श्री. शिखा कान्हेरे, उपाध्यक्ष  
द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी  
जिला- जवाहरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. निरीक्षण प्रतिवेदन की शीट अनुसार पद्यति स्थान एवं सुविधाएं नहीं।
2. मान्यता नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की जाती है। आउटरपोई उपाध्यक्ष
3. आपका दस्तावेज लक्ष्य सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं।
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला- जवाहरपुर, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरपुर, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2562061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

142203

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्रीमती प्रिंसिपल, उई स्कूल  
खिखर, सिपौली, उवालिपर  
जिला- उवालिपर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत शिक्षा कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिलेख सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की सीप अनुसार प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय मापदंडों के
- 2 अनुकूल नहीं हैं। भवन का स्वीकृत मानचित्र (भवन परमिश्रान) संलग्न नहीं है।
- 3 आडिट रिपोर्ट 2012 की- उत्तरांचल/इलाहाबाद/अभिलेख संख्या सचिव/अ.प्र.स. (उ)
- 4 प्रमाणित करवा ली जाये।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिलेख सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कालेक्शन 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2455/मान्यता/उत्तर/2013

- प्रतिलिपि :-
- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिपर मध्यप्रदेश
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिपर मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

142209

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

भारतीय शिक्षा मंदिर, 30 मार्च  
मुरार, उत्तरप्रदेश  
जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60.6667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कर्मियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किराया नामा 2012-13 तक का अंशदा आदि रिपोर्ट 2012 की -
- 2 अंशदा/संस्था पदाधिकारी द्वारा पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का प्रमाणपत्र
- 3 पत्र अंशदा/नाम दर्ज न होने संस्था साधक/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनास के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761667

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454 / मान्यता/उत्तर / 2013  
प्रति,

142248

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

गुरुनानक डेव हाई स्कूल  
चारखोड़ी, जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरान्त जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई

1. चारखोड़ी र. घानासा/श्रीमि भवन एवं श्री अभिलेख 2013 उत्तरप्रदेश 2015 तक का अप्रार/
2. आर. 2 रिपोर्ट 2012 की अप्रार/संस्था पदाधिकारी/2015 पर अप्रार/संस्था पदाधिकारी
3. दर्ज न होने से भूत संस्था अप्रार पत्र अप्रार/संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी
4. 2015 की-रंगीन जोड़े प्रार्थना करने समय की-रंगीन जोड़े, उत्तरप्रदेश प्रयोगशाला
5. को अस्थापन नकों के दो रजिटर खोलो की-रंगीन जोड़े मान्यता मापदंड अनुसार
6. (अप्रार/संस्था पदाधिकारी संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है। समस्त
7. रजिस्ट्रार संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित है। अप्रार/संस्था
8. रजिस्ट्रार संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित है। अप्रार/संस्था

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142244

कार्यालय-0755-2551850, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/1/2013

क्रमांक/2597/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

नं. 30 मा. वि.  
दुष्यन्त नगर मुरार जवाहरिया  
जिला- जवाहरिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अस्थापना हेतु दो अध्यापन कक्षों की
- 2 रीगिन दोरो अस्थापना/दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित हो
- 3 आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शिन. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 5/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2598/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरिया म.प्र.
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरिया म.प्र.
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहरिया  
सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





142200

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/11/2013

क्रमांक/2597/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

नवीन कांवेट, हाई स्कूल  
मान्यता पार, ताल, मुरार, उवापिप्रा  
जिला- उवापिप्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई:-

1. पंजीकृत किराया नामा पूर्ण अर्थात् 2015 तक का अर्थात् डिमाण्ड रिपोर्ट 2012 की
2. अर्थात्/संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर अपराधिक प्रदात इज्जत देने का कृपया पत्र
3. संस्था प्रबन्ध के बीच सामने पदाधिकारी/स्टाफ की रीगिन को प्रार्थना करते समय की रीगिन
4. प्रो. प्रो. ग. शाखा पुस्तकालय, के स्थापन कसे, के इन्तरे खे जो की रीगिन प्रो
5. अर्थात्/प्राप्त इन्तरे संस्था सार्विक/अपराधिक प्रदात इज्जत नहीं है। संस्था
6. अर्थात्/प्राप्त इन्तरे संस्था सार्विक/अपराधिक प्रदात इज्जत नहीं है। संस्था
7. अर्थात्/प्राप्त इन्तरे संस्था सार्विक/अपराधिक प्रदात इज्जत नहीं है। संस्था
8. अर्थात्/प्राप्त इन्तरे संस्था सार्विक/अपराधिक प्रदात इज्जत नहीं है। संस्था

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना मुनिश्चय करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 5/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2598/मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवापिप्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक. शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवापिप्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवापिप्रा  
सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



142202

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
 फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
 भोपाल दिनांक 3/1/2013

क्रमांक / 2597 / मान्यता / ज्ञा० / 2013  
 प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आर० डे० पब्लिक, उ० मा० वि०  
 आय० वि० सुन्दर उवालिपट  
 जिला- उवालिपट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन पर चर्चा S.D.M. कोठी में थी अनुसूचित पंचायत में
- 2 स्थान एवं सुविधाएं नहीं हैं, अतः सा नहीं की जाती हैं। यंस्था भवन के
- 3 सामने पक्की बरारी/दरवाजा भी रंगीन फ्लोरो प्राथमिक करने समेत भी रंगीन फ्लोरो
- 4 प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अक्षपात्र कठों के इन्टोर खेलों में रंगीन
- 5 फ्लोरो मान्यता मापदंड अत्यल्प अभाव/सभी फ्लोरो एवं दरवाजे समेत
- 6 सचिव/अक्षपात्र के प्रमाणित होना आवश्यक है/पत्र दर्शावेत्त है। पर
- 7 सचिव/अक्षपात्र के प्रमाणित नहीं है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध करना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 3/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2598 / मान्यता / ज्ञा० / 2013  
 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिपट मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिपट मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवालिपट  
 सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/1/2013

142273

क्रमांक 2635/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

विक्रम शिला शिक्षा मंदिर, उवासा वि०  
सतप नारायण सतप मुरार उवा०  
जिला- उवादिपा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संगन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था में पंजीकृत किराया नामा पूर्ण अर्थात् 2012 तक का समाप्त है।
- 2 एग्रीड रिपोर्ट 2012 की समाप्त। सतप नारायण/सहायक प्राचार्य/सहायक प्राचार्य
- 3 आपराधिक तक्रल इन में होने का मूल शपथ पत्र समाप्त/मान्यता इति अर्थात् तीन
- 4 वर्ष की समाप्त/सुरक्षा निधि अर्थात् 40,000/अथवा का चालान 60 समाप्त/सतप भवन
- 5 हीड सामने प्राधिकारी सहायक प्राचार्य की रीगन कोरे, प्रार्थना करते स्वयं ही रीगन कोरे, दो
- 7 अध्यापक कर्मों, दो इगोर खेखे की रीगन कोरे मन्त्रता शपथक अनुभव समाप्त
- 8 समाप्त दस्तावेज सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणीत प्रती है प्रमाणीत लेना अर्थात्

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. 3 मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2635/मान्यता/उवा०/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवादिपा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवादिपा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 11/1/2014

क्रमांक 2635 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

142229

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मिशन, 30 मार्च विठ नानाचन्द्रवती

प्रश्न उत्तर विभाग

जिला- जवाहर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन की रीप अनुसूच, अनुबंधा मही में जाती
- 2 की रीप अंकित है। आडिटर रिपोर्ट 2012 की अपाप्त है। संस्था भवन के डीडी पर
- 3 प्रशासकीय/एडिटर की रीप जोड़े प्रार्थना करें समस्त रीप जोड़े प्रयोगवाला
- 4 पुस्तकालय के अद्ययावत वक्तों की रीप जोड़े मान्यता आपका अनुक्रम अपाप्त।
- 5 प्राप्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है। प्रमाणित देना
- 6 आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 11/1/2014

पृष्ठा. क्रमांक 2636 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454 मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

142262

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उमर लघोरी काठवेर, 30 मार्च 2013  
सुबेरा नगर सुराज उवालिमा  
जिला- उवालिमा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयानुगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की शीप अनुसार, पर्याप्त सुविधाएं स्थान/फर्नीचर
- 2 पुस्तकालय नहीं हैं।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कान्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिमा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिमा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवालिमा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2455 / मान्यता / जरा / 2013  
 प्रति,

142194

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आशीष कान्हेट 30 मार्च/10  
आदर्श कालोनी रोड का प्रसिद्ध मुरार जरा  
 जिला- उज्जैन म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत सदरित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गईं -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की समाप्ति
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों को पूर्ण कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455 / मान्यता / जरा / 2013  
 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उज्जैन मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उज्जैन

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.npbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142198

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/उत्तर/2013 प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/भाचार्य

माला मावेड, 30 मंगल वि.  
आदिम पुरम मुरार उत्तरप्र.  
जिला- उत्तरप्र. म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संदर्भित अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किराया नामा/भूमि भवन संबंधी अभिलेख पूर्ण अवधि 2015 तक
- 2 का अभाव/आडि रिपोर्ट 2012 की असाफ दि इस्टीमेट शैलों की- संशोधित
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तरप्र.

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

142176

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री गणेश चन्द्रन, आई स्कूल

बुराद, उत्तरप्रदेश  
जिला- उत्तरप्रदेश म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की शीट अनुसूचित स्थान एवं सुविधाओं पर पंक्ति
- 2 नहीं हैं/ अनुशांसा नहीं दी जाती/ प्राप्तांक जैसे शंका सामान्य इत्यादि स्थान
- 3 सचिव/अध्यक्ष के समामोति नहीं है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

गत: कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसर उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक 05 दिस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियां की पूर्ति न करनी की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761587

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/1/2013

क्रमांक 2635 / मान्यता / उत्तर / 2013

142.87

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श.कुमार (मा) मान्यता, 30 मार्च 2012  
शिक्षार्थ लगेर सुरार उत्तरीय  
जिला- उत्तरीय म.प्र.

मायता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60.6667, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से साइट रिपोर्ट 2012 की उपप्राप्त/संस्था पदाधिकारी/स्थापक
- 2 आपकी संस्था परमाणु दर्जा न होने का सापेक्ष पत्र उपप्राप्त/संस्था भवन के बीच पत्र
- 3 प्राचार्य/स्थापक की रंगीन फोटो आपकी संस्था में रंगीन फोटो, प्रयोगशाला,
- 4 पुस्तकालय, के अद्ययावत कक्षा, से डाटो खोजो की रंगीन फोटो साक्षात् मापदंड अनुसार
- 5 उपप्राप्त/स्थापक संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित होना आवश्यक है/सुरक्षा
- 6 निधि कुल 40,000 का चालान उपप्राप्त
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2013

2636  
पृष्ठा. क्रमांक / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तरीय मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तरीय मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तरीय

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142133

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/1/2013

क्रमांक 12597/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

भगत सिंह उवा0/वि0

जौहरी बी-फडी अशकर उवा0/मं

जिला- उवा0/मं म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/13

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की रीप अनुसार शाला भवन व भूमि, पुस्तकालय
- 2 प्रयोगशालाये अपघटित हैं, सुदुरीया नदी की जाली है/पंजीकृत किराया नामा प्र
- 3 2012 अक्टूबर 2015 तक का अक्षर/संस्था पदाधिकारी/स्थापक पाठ्यपत्राधिद प्रमाण
- 4 दर्ज न होने का शल अपघट पत्र क्रमांक/अक्षर/स्थापक/अक्षर/स्थापक/अक्षर/स्थापक
- 5 शाली 40,000/45 न्यायान अक्षर/संस्था भवन के ठीक सामने पदाधिकारी/स्थापक
- 6 रीगिन फोटो माथना करने समय की रीगिन फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अक्षर/पत्र
- 7 कसो के इन्फो/वेको, की रीगिन फोटो अक्षर/सभी इन्फो/वेको संप्ल/स्थापक/अक्षर/स्थापक
- 8 प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मां.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 12598/मान्यता/उवा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवा0/मं मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवा0/मं मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवा0/मं की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/8/2013

क्रमांक 2635/मान्यता/जा0/2013  
प्रति.

142145

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मदर इन्डिया कॉन्वेंट, हाई स्कूल  
बाबू दीपुरा (एन. हाइवे किंग कोड बालोती कुर्ना  
जिला- कुर्ना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 172 दिनांक 4/8/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत विराधानामा पढने योग्य नहीं है न ही अवधि का
- 2 उल्लेख है पूर्ण अवधि 2015 तक का पढने योग्य गणना में सुरक्षा निधि शुल्क
- 3 25000/ का चालान अज्ञात है। मान्यता हेतु शुरुआत तीन वर्ष की अज्ञात आँकड़े
- 4 रिपोर्ट 2012 की- अज्ञात/संस्था प्रदाधिकारी। एराफ पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न हो
- 5 का मूल शपथ पत्र अज्ञात/संस्था भवन के बीच सामने प्रदाधिकारी। एराफ की रजिस्ट्रेशन
- 6 साधना कर संसद की रजिस्ट्रेशन प्रयोग शाखा, पुस्तकालय के इलेक्ट्रिकल के
- 7 अज्ञात कक्षा की रजिस्ट्रेशन अज्ञात/दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के
- 8 प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत, संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 4/11/2013

पृष्ठा क्रमांक/ 2636 /मान्यता/जा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- कुर्ना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- कुर्ना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाब पत्र

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

142144

कार्यालय-07:5-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 3/1/2013

क्रमांक / 2547 / मान्यता / जा 0 / 2013  
प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री ० राम ० दुर्गा ० शिशु मंदिर  
३० मार्च ० फूलबाग परक जवाहर

जिला- जवाहर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अंतिम है/संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी/
- 2 स्टाफ की रंगीन फोटो प्रार्थना करने समय की रंगीन फोटो प्रयोगशाला
- 3 पुस्तकालय, दो स्कोर खेलों, दो अद्यपन कमरों की रंगीन फोटो मान्यता मापक
- 4 अनुरूप अंतिम/पाप फोटो एवं वित्तगत संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित
- 5 नरी ६ प्रमाणित बना आवश्यक है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र-प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 3/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2548 / मान्यता / जा 0 / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहर म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की.ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





142179

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
 फैक्स - 0755-2151499, 2552061  
 भोपाल दिनांक 3/1/2013

क्रमांक/2597/मान्यता/उकाठ/2013  
 प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शेवनेजर उकाठ/वि. भगत सिंह नगर  
 जिला- उकाठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. पंजीकृत किराया नामा/भूमि भवन संबंधी दस्तावेज पूर्ण अर्थात् 2015 तक का
2. अर्थात्/संस्था भवन के बीच सामने पड़ाधिकारी/स्थापक की रंगीन फोटो प्रार्थना
3. करने सम्मति की रंगीन फोटो प्रयोगशाला पुस्तकालय के अर्थात् नक्शे के
4. इन्तौर रवेलों की रंगीन फोटो मान्यता मापदंड अनुसूचक अर्थात्/दस्तावेज
5. संस्था सचिव/अध्यक्ष के अर्थात् केना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जायेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 3/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2598/मान्यता/उकाठ/2013  
 प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला- उकाठ म.प्र. मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उकाठ म.प्र. मध्यप्रदेश।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



142159

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
 फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
 भोपाल दिनांक 3/11/2013

क्रमांक 12597 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
 प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

के० एस० प्रेमो०, हाई स्कूल  
 गरमखंड भुरर ज्वालिया

जिला- ज्वालिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन पर शीप अनुयायन प्रमाण पत्र नही।
- 2 की-अप्राप्त/संस्था प्राधिकाारी/रहास्य पर अपराधिक प्रकृत न होने का छल शप
- 3 पत्र अप्राप्त/प्रायोगिक उपकरणों की सूची पुस्तकों की सूची अप्राप्त/भूमि भवन
- 4 संबंधी अभिलेख अप्राप्त/संस्था भवन के बीच सामने प्राधिकाारी/रहास्य की रंगीन फोटो
- 5 प्रार्थना करते समय की रंगीन फोटो प्रयोगशाला पुस्तकालय के अप्राप्त/कमरे दो
- 6 इन्डोर खेलों की फोटो रंगीन मान्यता मापदंड अनुयायन अप्राप्त/अप्राप्त/दस्ता
- 7 संस्था सचिव/अध्यक्ष हे प्रमाणित नही है। प्रतिवेदन पर अनुयायन नही की
- 8 धानी की शीप अंकित है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 3/11/2013

पृष्ठा. क्रमांक 12598 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वालिया मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वालिया मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ज्वालिया  
 सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454 / मान्यता / उवा 0 / 2013  
प्रति,

142185

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

नेहरू हाई स्कूल  
हाई नगर नुरा उवालिप  
जिला- उवालिप म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60665/ दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की 21 वीं अनुबन्ध स्थान पर यह स्थिति है मान्यता नवीनीकरण
- 2 की अनुबन्ध नहीं की जाती है/पैलेंट की रिपोर्ट प्रो (अवधि 2015 तक का अप्रॉप
- 3 संस्था पदाधिकारी / हाई नगर नुरा उवालिप पर न होने का सूत्र शपथ पत्र अप्रॉप
- 4 आर्टि रिपोर्ट 2012 की अप्रॉप संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी / हाई नगर नुरा
- 5 कोटे, प्रार्थना करने समय की रंगीन कोटे, प्रयोग शाला, पुस्तकालय, के इच्छा विलो,
- 6 दो अप्रॉप क्रमों की रंगीन कोटे मान्यता मण्डल अनुबन्ध अप्रॉप पुस्तकों की
- 7 सूची अप्रॉप/हाई नगर नुरा संस्था सचिव (अवधि के समाप्ति नहीं)
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक 05 दिसंबर के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2455 / मान्यता / उवा 0 / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिप मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिप मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवालिप की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2635 / मान्यता / ज्वा० / 2013  
 प्रति.

142068

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य  
विश्वेश्वर कान्हेर इण्डिया  
इण्डिया भवन लोर्ड रोड ज्वा०  
 जिला- ज्वाल्मिर् म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रिम है। आडिट रिपोर्ट 2012 की
- 2 अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर उपरांत मूल सत्र के अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर
- 3 अग्रिम/सुरक्षा निधि 40,000 की चालान अग्रिम/मान्यता वही के अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर
- 4 अग्रिम/सूची अग्रिम/शिक्षक/हस्ताक्षर अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर
- 5 अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर
- 6 अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर
- 7 अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर
- 8 अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर अग्रिम/संस्था प्रशासक/हस्ताक्षर

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक ५/१/२०१५

पृष्ठा क्रमांक 2636 / मान्यता / ज्वा० / 2013  
 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वाल्मिर् मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वाल्मिर् मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, ज्वाल्मिर् की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



142002

क्रमांक / मान्यता / जवाब / 2013 प्रति.

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

पी० जी० वही० उपाध्यक्ष

जीवाजीराज अशरफ उपाध्यक्ष

जिला- उवाछेडा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/12/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर दिए गए अनुसूची संस्था भवन में अन्य
- 2 माध्यमिक विद्यालय सन्नाधित है प्रयोगशाला नहीं है निरीक्षण हेतु टूटे फूटे भवन व
- 3 दिखाया गया है जहां प्रवेश द्वारों में भी दिक्कत आ रही थी अनुसूची नहीं दी जाती
- 4 आडिटरिपोर्ट 2012 की संस्था भवन के रीफ सामने पदाधिकारी/स्थापक की रंगीन फोटो
- 5 तैयारी करने समय की रंगीन, प्रयोगशाला पुस्तकालय दो अध्यापक कक्षों दो इले
- 6 क्वेटो की रंगीन फोटो आन्तारा मापदंड अनुरूप अपना पत्र संवि/अ.स.स. प्रमाणित हो
- 7 है प्रमाणित नहीं है। समस्त दस्तावेज संस्था संवि/अ.स.स. प्रमाणित हो
- 8 आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2636 / मान्यता / जवाब / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाछेडा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाछेडा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवाछेडा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक 2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति

142047

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

भवभुवा चिल्ड्रेन, उच्चतर विद्यालय  
राम नगर, मुन्ना, जवाहरपुर  
जिला- जवाहरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. ~~आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रति संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमातिन~~
2. ~~प्रकार अज्ञेय~~
3. ~~.....~~
4. ~~.....~~
5. ~~.....~~
6. ~~.....~~
7. ~~.....~~
8. ~~.....~~

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.ग., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कोण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 4455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरपुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरपुर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक नार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142069

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 28/12/2013

क्रमांक/2454/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री. एस. कान्हेर, हाई स्कूल  
कम्प. पारका, लखिमपुर  
जिला- उत्तर प्रिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3090, दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभारीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन में साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के पंजीकृत अभिलेख पर कुल निर्मित कोमठका कुल सुली भूमि का क्षेत्रफल
- 2 का. रूप से उल्लेख नहीं है। संस्था पराधिकारी/हस्ताक्षर आपकी संस्था पर नहीं होते हैं।
- 3 मूल शपथ पत्र (अपना) / संस्था भवन के बीच साझा पराधिकारी/हस्ताक्षर की प्रतियां सावधानी
- 4 वाले समग्र की प्रतियां, संयोग शाला, मुक्त काल में के अक्षय पत्र को, दो इन्डोर (बैलेंस) की
- 5 परीक्षा प्रयोग असाध्य प्रयोगों की दृष्टि अपाप्र/निरीक्षण प्रतिवेदन पर ही अनुसूच
- 6 रेलवे मैदान में उपलब्ध नहीं है। आडि रिपोर्ट 2012 की अपाप्र/समस्त
- 7 दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित करावा भेजे/द्वंद्व भेजा गया
- 8 मूल्य मात्रात्मक के पत्र 00/9400 दिनांक 14/12/12 की अपाप्र

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका B.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 28/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2455/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तर प्रिया म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तर प्रिया म.प्र., मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 22/1/2013

112049

क्रमांक 2511/मान्यता/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

के.एस.एस. हा.मा.वि.

सुरेन्द्र

जिला- सुरेन्द्र म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओ  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 317 दिनांक 22/1/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ मूल्य अगिलेधों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कृपियां पाई गई -

1. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत किराया का पूरा अदायगी न होना
2. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत संपत्ति के अदायगी न होना
3. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत संपत्ति के अदायगी न होना
4. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत संपत्ति के अदायगी न होना
5. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत संपत्ति के अदायगी न होना
6. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत संपत्ति के अदायगी न होना
7. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत संपत्ति के अदायगी न होना
8. उपर्युक्त सूचना के अंतर्गत संपत्ति के अदायगी न होना

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल को वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. मं.प्र. मान्यता विनियम 2012 के अनुसूची उपरोक्त कमेंटों को ध्यान में रख कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित प्रतिवेदन पत्र प्रसारित दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने। निर्दिष्ट विनियम के अंतर्गत मान्यता नवीनीकरण की पूर्ति न होना की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2012 के अंतर्गत 8.3 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पुस्तक क्र.मांक 2511/मान्यता/ /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्र मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, को और सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तराधिकारी

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

112055

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 22/1/2013

क्रमांक / 2814 / मान्यता / उपार / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

संलग्न नर्स स्कूल  
सुजान रावो टेक - जौरा  
जिला- सुरेन्द्रा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/2013

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न क्रमिया पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत किराफानामा 2012 तक का अद्यतन है।
- 2 ऑडिट रिपोर्ट 2012 सी- अक्षाण्ड संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी/स्थापकी
- 3 रंगीन फोटो आर्चना करते समय की रंगीन फोटो प्रयोगशाला पुस्तकालय के अद्यतन क्रमों
- 4 के इन्टो रवेले की रंगीन फोटो मापदंड अनुरूप अद्यतन/प्राप्त समाप्त/रावेले
- 5 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नदी है प्रमाणित लेना आवश्यक है। प्रमाणित की
- 6 सूची अद्यतन/प्रतीक्षा सूची अद्यतन।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त क्रमियों को पूर्ण कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक क्रमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक 1285 / मान्यता / / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सुरेन्द्रा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरपार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

112138

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 22/1/2013

क्रमांक/2814/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/पाचार्य

श्री. आर. शाही, उ. मा. वि.

मु.ना

जिला- मु.ना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3.17, दिनांक 21/01/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ सलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का अभिमत संबंधी पत्र/कृ. अभिलेख 2012 का अपडेट 2012 की अपडेट है।
- 2 आपकी संस्था का अभिलेख 2012 की अपडेट है।
- 3 आपकी संस्था का अभिलेख 2012 की अपडेट है।
- 4 आपकी संस्था का अभिलेख 2012 की अपडेट है।
- 5 आपकी संस्था का अभिलेख 2012 की अपडेट है।
- 6 आपकी संस्था का अभिलेख 2012 की अपडेट है।
- 7 आपकी संस्था का अभिलेख 2012 की अपडेट है।
- 8 आपकी संस्था का अभिलेख 2012 की अपडेट है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 22/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2815/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मु.ना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मु.ना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय - 0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 22/1/2013

क्रमांक / 2815 / मान्यता / 2013  
प्रति.

112123

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमती वैकुण्ठी देवी मेमोरियल

हाई स्कूल, गारा पोस्ता

जिला- मुलेना म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 65 दिनांक 26/2/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिगत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां आई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत विद्यालय नाम ही दायाली में पिछले भाग की
- 2 दायाली नहीं है पूर्ण पंजीकृत अभिलेख की दायाली संस्था सचिव (अध्यक्ष
- 3 के प्रमाणित वाता में जे/के अध्यापन कक्षों की रैंगीन फोटो उत्थाप/
- 4 सभी दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के समक्ष प्रमाणित होना आवश्यक
- 5 है।
- 6

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 22/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2815 / मान्यता / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुलेना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुलेना मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, गारा पोस्ता की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2014

162106

क्रमांक 2875 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आइ डिप्लोम डेवेलपिंग 20 मार्च 2013  
माइनिंग सेक्टर के पीछे करै  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के पंजीकृत किरायेनामा पूर्ण अवधि 2015 तक की
- 2 असाप/आडिट रिपोर्ट 2012 की असाप/संस्था पदाधिकारी/सहायक पर
- 3 असाप/संस्था पदाधिकारी/सहायक पर
- 4 असाप/संस्था पदाधिकारी/सहायक पर
- 5 असाप/संस्था पदाधिकारी/सहायक पर
- 6 असाप/संस्था पदाधिकारी/सहायक पर
- 7 असाप/संस्था पदाधिकारी/सहायक पर
- 8 असाप/संस्था पदाधिकारी/सहायक पर

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अगिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2014

पृष्ठा क्रमांक 2876 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162103

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2012

क्रमांक ~~2875~~ / मान्यता/उत्तर/2013

प्रति. 2875

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री. अमरीक सिंह राई स्कूल  
गुरुद्वारा पटोरा शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/2/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आपकी संस्था का पंजीकृत किराया नामा 2015 तक का
2. अप्रति दस्तावेज संख्या सचिव अध्यक्ष से प्रसारित होना आवश्यक है।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

2876

पृष्ठा क्रमांक ~~2875~~ / मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2012

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162115

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सैन्ट्रल कॉलेज, हाई स्कूल  
जौनपुर, बिहार, बाघोली, शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/1/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. निम्न आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर मान्यता नहीं हेतु अनुशासनात्मक कार्य की
2. हैं। पंजीकृत किराया नामा शर्त अर्थात् 2015 तक का अपात / आउट रिपोर्ट 2012
3. की अपात / संस्था पदाधिकारी / स्टाफ पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का शपथपत्र
4. पत्र अपात / संस्था प्रबन्ध के बीच सम्पत्ति पदाधिकारी / स्टाफ की रेगुलर फोरे स्पार्चिंग करने सम्पन्न
5. की रेगुलर फोरे स्पार्चिंग, पुस्तकालय, दो सभ्यापन कमेटी, दो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलर फोरे
6. अपात / निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सुरक्षा एवं आग्नि
7. शमन व्यवस्था अपूर्ण हैं। आउट टोर गेम के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है।
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2876 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तमिष

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2014

162011

क्रमांक 2815 / मान्यता/उत्तर/2013 प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

का.प्र., उ.प. मा. वि. क.रेरा जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर जिला स्तरीय समिति ने कमियां/अनुशंसाएं
- 2 उल्लिखित की हैं। पंजीकृत किराया नामावली अप्रति- 2015 तक का अपात्र है। जो किराया
- 3 प्रस्तुत किया है उसमें कोटिदार की गई है। संस्था पदाधिकारी/उत्तरदाता पर अपराधिक
- 4 प्रकीर्ण दर्ज न लेखे जाने का स्थल-आवृत्त पत्र अपात्र। संस्था भवन के बीच सामने पदाधिक
- 5 स्थल की- रंगीत छोटे, न्यायिता करने सम्म की- रंगीत छोटे, न्यमो-आवृत्त, पु.क.का
- 6 के अस्थापित कक्षों के इन्ट्री (खोपों की) छोटे मान्यता मापदण्ड अनुसूच अपात्र।
- 7 दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं हैं प्रमाणित होना आवश्यक है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2014

पृष्ठा क्रमांक 2816 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

162045

क्रमांक 2875 / मान्यता / उत्तर / 2013

प्रति, 2875

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

केरिया कॉम्पे 2 हाई स्कूल  
शिवपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 2/2/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक कक्षा, प्रयोगशाला, सुरक्षा
- 2 एवं आगशमन व्यवस्था, स्वच्छ भोजन उपकरण, आदि 2 दिनों के अभाव में
- 3 संस्था प्राचार्य/सचिव या आपराधिक न्याय दल के द्वारा का सल हीपप पत्र उपरोक्त संस्था
- 4 भवन के हीड सामने प्राचार्य/सचिव की शीत कोरी नार्थना कले समय ही स्थित कोरी
- 5 प्रयोगशाला, प्रत्येक कक्षा के अभाव में, के अलावा स्वयं ही शीत कोरी अभाव में
- 6 पंजीकृत किरानानामा शीत अर्थात् 2015 तक का अभाव में प्राप्त दस्तावेज
- 7 संस्था सचिव/अध्यक्ष के समक्ष कले है, न्यायित होना आवश्यक है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा. क्रमांक / मान्यता / उत्तर / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2014

क्रमांक 2815 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रति,

~~162000~~  
162120

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

गीता पब्लिक, हाई स्कूल  
कोलारस

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की आउट रिपोर्ट 2012 की अप्राम है। संस्था पदाधिकारी/स्टाफ प
- 2 आपराधिक प्रकृतियों होने का सूचना प्रेषण पत्र अप्राम/संस्था स्तर के शिक्षकों
- 3 पदाधिकारी/स्टाफ से रंगीन रंगीन फोटो प्रार्थना करते समय की रंगीन फोटो प्रयोगशाला
- 4 पुस्तकालय के अध्यापन कक्षों के इन्हें लेखों की रंगीन फोटो अप्राम/प्राम प्रस्ताव
- 5 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं है। सभी दस्तावेज संस्था सचिव/-
- 6 अध्यक्ष से प्रमाणित लेना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2014

2876

पृष्ठा. क्रमांक / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162025

कार्यालय-0755-2551650, 2761667

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक ~~2875~~ / मान्यता / 29/1 / 2013  
प्रति, 2875

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सरस्वती विद्या पीठ, उन्नाव कि०  
कलेक्टर कोठी शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/2012

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रप्त है/ संस्था पदाधिकारी -
- 2 एडमि. प्र. उपपराधिकार पदाधिकारी न करने का मूल आपका पत्र अप्रप्त/ संस्था
- 3 भवन के बीच सामने पदाधिकारी/ एडमि. की रंगीन फोटो प्रार्थना करते समय
- 4 की रंगीन फोटो, सभोगशाला, पुस्तकालय के अक्षमापन कड़ों, दो इलाक़ों के
- 5 रंगीन फोटो मान्यता सापेक्ष संरक्षण/ सभी इलाक़ों की संस्था साक्ष्य/अध्यक्ष
- 6 से प्रमाणित नहीं है, प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / 29/1 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

162047

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सनराईस चिल्ड्रन, 30 मार्च वि०,

शिवपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 37/6 दिनांक 2/2/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण दल द्वारा अभिमत
- 2 अंकित की जा रही है। पंजीकृत फिरोजानामा से ला.हा.र. लकीत वाली रूप
- 3 फिरोजानामा से ला.हा.र. लकीत वाली रूप
- 4 फिरोजानामा से ला.हा.र. लकीत वाली रूप
- 5 ला.हा.र. लकीत वाली रूप
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2876 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

162069

क्रमांक/2875/मान्यता/उता/2013

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्रीमती गार्डिन इरमाविकी  
स्कोड

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 27/1/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से संस्था भवन के बीच सामने पदार्थवारी/स्टाफ की
- 2 रंगीन फ्लोरे, स्याबलिया वगैरे सजावटी रंगीन फ्लोरे त्योहारशाला, पुस्तकालय
- 3 के अस्थापना कसों, दो स्टोर्स खोलों की रंगीन फ्लोरे वल अस्थापना हैं। आडि
- 4 रिपोर्ट 2013 की मान्यता मापदण्ड अनुबन्ध अस्थापना/दस्तावेज लक्ष्मी संस्था
- 5 सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं हैं। प्रमाणित होता अनुरोध है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उता/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उता/पत्र की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162073

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक / 2815 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

राईलीग पाठ्यालय हाई स्कूल  
बैराड

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 07.07.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था में आडि 2012 की अपाठ है। सुरक्षा निधि शुल्क
- 2 25000/- का चालान अपाठ है। संसप्त दस्तावेज संख्या सचिव/
- 3 अपाठ 6 समाप्ति लेना आवश्यक है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक / 2876 / मान्यता / 2010 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2015

16/2015

क्रमांक 2875 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

स्वामी विलेकानन्द, उधमपुरी

रावठोरा, उधमपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 37/16 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के भूमि भवन के पंजीकृत आभिलेख में भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल
- 2 कुल खुला भूमि का उल्लेख नहीं है। आडिट रिपोर्ट 2012 की प्रत्यापन है। संस्था
- 3 प्राधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक प्रवृत्त न होने का झूठ सापेक्ष पत्र प्रत्यापन है।
- 4 संस्था भवन के हींग सामने प्राधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो, प्रार्थना करते समय
- 5 रंगीन फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय को ऊपर प्राप्त नसो, के शहीर खोलो की रंगीन
- 6 फोटो उपस्था/प्राप्त दस्तावेज संस्था सचिव/उधमपुरी के प्रमाणित नहीं है। प्रमाण
- 7 होना आवश्यक है। निरीक्षण के प्रतिवेदन पर अभिमत अंकित नहीं है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2015

2876  
पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / ज्वा0 / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ज्वा0/मि/प्र

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/2875/मान्यता/उता/2013  
प्रति,

162097

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आदर्श विद्या मंदिर हाई स्कूल  
हस्तिनापुर बामौर कला  
जिला-शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/2012

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आर्डर रिपोर्ट 2012 की अपूर्ण संख्या पदाधिकारी/-
- 2 स्टाफ पर आपराधिक तंत्रण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अपूर्ण
- 3 दो अध्यापन बकों की शीत फोटो अपूर्ण सभी दस्तावेज सभ्य संस्था सार्पिन
- 4 अधिस है प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.ग., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक/2876/मान्यता/ /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162002

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/2875/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री जगेशाक्षर, उधमपुरी

शिवपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716, दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की समाप्त नहीं की जावेगी।
2. संस्था संचित/उधमपुरी 6 समाप्त होना आवश्यक है।
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा क्रमांक/ /मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

16/20/27

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2875 / मान्यता/उत्ता0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

के.डी.ए.जे.ओ., मैमोरियल  
कॉन्वेंट स्कूल, दत्त रोड, शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत किरायेनामा शर्त अवधि 2015 तक का अंश नहीं है।
- 2 आडिट रिपोर्ट 2012 की अंश नहीं है। संस्था पराधिकारी। स्टाफ पर आपकी पत्र प्रकाश
- 3 दर्ज न होने का मूल बापप पत्र अंश। संस्था भवन के बीच सामने पराधिकारी। स्टाफ
- 4 की रंगीन फोटो, त्पार्थना करते समय की रंगीन फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के
- 5 आस्थापन कर्मों, डो इन्टो रवेलों की रंगीन फोटो अंश। निरीक्षण प्रतिवेदन के
- 6 अनुसार संस्था बंद मिली, काम सरेखा का उल्लेख नहीं है। भूमि भवन संबंधी कोई
- 7 जानकारी अंकित नहीं अनुशंसा नहीं है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876

पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता/उत्ता0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in &amp; E-mail id : mpbse@mp.nic.in

162038

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक 2815 / मान्यता/2010/2013  
प्रति 2815

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमता उषा वि०

सरवर विकास रतन नरवर

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र ॥

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाफ है/ पंजीकृत किराया नामा पूर्ण
- 2 जूरी 2015 का अपाफ है/ संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक मुकदमा दर्ज न
- 3 होने का मुकदमा पत्र अपाफ/ संस्था पदाधिकारी/स्टाफ की रंगीन फोटो, मोर्चना करते
- 4 समय की रंगीन फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय दो अस्थापन कक्षों, दो इलाहाखानों
- 5 की- रंगीन फोटो अपाफ/ पाठ्य दस्तावेज संस्था सचिव/संस्था लक्ष्मण
- 6 जारी है, समाप्ति केला आवश्यक है।
- 7

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2816 / मान्यता/2010/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

162018

क्रमांक/2875/मान्यता/उता0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आपकी संस्था, उता0/10/2013

शिवपुरी

जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 2/2/2012

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसंधान हेतु कोई भी व्यक्ति नहीं है।
- 2 आडिट रिपोर्ट 2012 की अण्डा/संस्था पदाधिकारी/स्थापक पर आधारित प्रमाण
- 3 दर्ज न होने वाले शपथ पत्र अण्डा/पंजीकृत किराया/सहायक प्रमाण
- 4 संस्था भवन के बीच सामने पदाधिकारी/स्थापक से शीत कोशे प्रार्थना करने समय की
- 5 की- शीत कोशे नमोज्ञ शाखा पुस्तकालय दो शीत कोशे के अद्यतन कक्षा की
- 6 शीत कोशे में मातृमता मापक उपकरण अण्डा/स्थापक द्वारा सहायक/संस्था सचिव
- 7 अद्यतन 6 प्रमाणित नहीं है प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

2876  
पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उता0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उतालिपर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

162031

क्रमांक 2875 / मान्यता / 27/0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य  
विश्व तनूचली 37500 वि०  
शिवपुरी  
जिला- शिवपुरी म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7/2/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के अभि निरीक्षण प्रतिवेदन के ई जानकारी अर्द्धित नहीं
- 2 है, मान्यता योग्य नहीं है अर्द्धित, अर्द्धित अर्द्धित नहीं है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक 2876 / मान्यता / 27/0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाल्पुर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल  
WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 29/1/2013

क्रमांक/2875/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

162111

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शिवार्श हाई स्कूल  
खजौरा (शिवपुरी)  
जिला- म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 27/1/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था निरीक्षण के समय तैयार नहीं की गई, पिछले मान्यता नवीनीकरण संबंधी प्रश्नों की दृष्टिकोण संलग्न नहीं है, निरीक्षण प्रतिवेदन निरंक है। पंजीकृत अभिलेख इति भवन संबंधी शर्त. स्वधिता 2015 तक का अप्रार/संस्था पराधिकारी/स्वा. प्रा. अपराधिक. प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रार/आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रार/संस्था भवन के बीच सामने पडा-धिकारी/स्वा. प्रा. रंगीत लोरे, न्यायिता करते समय की रंगीत लोरे, प्रयोगशाळा, पुस्तकालय के अध्यापन कर्मों के इलाके खेले की रंगीत लोरे अप्रार/प्रयोगशाळा उपकरणों की सूची, पुस्तकालय की सूची, समस्त शिष्टिका शिक्षकों की सूची, स्वा. प्रा. अप्रार/दस्तावेज संस्था
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8 सचिव/अध्यापक के प्रमाणित होना आवश्यक है/मालख अप्रारिक के पत्र क्र. 9189 दिनांक 22/1/12

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 29/1/2013

पृष्ठा क्रमांक/2876/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्कालिपत

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012  
2013

क्रमांक/2098/मान्यता/  
प्रति, /2012  
2013

132252

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श.सं.एस.0 मेमेरिपल 30 मा 0 कि

भारोली रोड मिड

जिला- मिड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक.....NIL..... दिनांक.....NIL.....

-c-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत
- 2 सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त दिनांक 15 अक्टूबर/सेवा पदाधिकारी/फाइल
- 3 पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अपूर्ण
- 4 किरायादाता की अर्थात् समाप्त हो चुकी है/पूरी अर्थात् 2015 तक
- 5 का पंजीकृत भूखे/मानचित्र भी भेजे जिसमें खुली धरती का शेड्यूल खिंच
- 6 भवन निर्माण शेड्यूल, कुल क्षेत्र का उल्लेख हो/समस्त दस्तावेज संस्था
- 7 सचिव/अध्यक्ष के सुभाषित कठका भेजे
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 4/12/2012  
2013

पृष्ठा. क्रमांक/2098/मान्यता/  
प्रतिलिपि :- /2012  
2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

मा.शि.म.मु.भो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbose.nic.in & E-mail id : mpbose@mp.nic.in

4)

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2012 2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / जवा/2012 2013  
प्रति,

132254

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री तुलसी पाठिक, 30 मार्च 10  
अम्बेडकर नगर, अरेर रोड भिंड  
जिला- भिंड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था के आडिटर रिपोर्ट 2012 की- आपकी संस्था पदाधिकारी/स्थाप की
- 2 संस्था के सामने लगे, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के इन्डोर खेलों से अध्यापन न करने
- 3 की रंगीन फोटो से सातवरा आपका अनुभव/संस्था समिति/सहायक के प्रमाणित अध्यापन
- 4 संस्था पदाधिकारी/स्थापक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का मूल
- 5 शपथ पत्र अध्यापन/शक्ति का नकार भेजे/ सुरक्षा विधि भी अध्यापन
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / जवा/2012 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भिंड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भिंड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. भोपाल दिनांक 7/12/2012 2013

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक 2107/मान्यता/अपा/2013  
प्रति,

132265

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सनराइज पब्लिक  
हाई स्कूल मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2012

-c-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012 सी असाफ /
- 2 संस्था पदाधिकारी / स्टाफ पर आपराधिक पत्र दल न होने का
- 3 मूल शपथ पत्र असाफ, तत्काल भेजे/मान्य
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / / 2012

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता/अपा/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक 2197/मान्यता/उका0/2012 132218  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

स्वरूप विद्या निकेतन उ०मा०वि०

मुद्रिया खेड़ा

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/12/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण पर निरीक्षण दल ने रीप में लिखा है नकल
- 2 कराई जाती है। नवीनीकरण की अनुसंधान नही की जाती है। आडिट रिपोर्ट 2012
- 3 की अपाठ/संस्था पदाधिकारी/स्थापक पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का
- 4 मूल शपथ पत्र अपाठ/समस्त छोटे मान्यता मापदण्ड अनुकूल नहीं है।
- 5 संस्था के भूमिसवत कुल भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित अपाठ, कुल खुले
- 6 भूमि का उपभोग नहीं है। समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से
- 7 प्रमाणीत नहीं है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

ए.म. के. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2012

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उका0/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ए.म. के. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक / 2190 / मान्यता / 2013  
प्रति,

142104

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

एडि एडि टेक्नीकल पब्लिक उच्चशिक्षण  
उड़ी पब्लिक, उड़ी नगर, म.प्र.

जिला- रायसेन म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL  
मण्डल का पत्र क्र. 9861-48 5-173

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गईं-

- 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- कंपनी द्वारा की गई मान्यता नवीनीकरण हेतु जिला स्तरीय समिति के निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार लक्षित कमियां हैं। 2215 पत्राचार के माध्यम से कोसे नगर के (गठित) स्तरीय उच्च माध्यमिक उच्च शिक्षण केंद्र।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- रायसेन, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- रायसेन, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, 2013 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिभंमुभो-08-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



क्रमांक 2230 / मान्यता / ज्पा० / 20123  
प्रति.

162052

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीता 230223 कान्हेर हाईस्कूल क२२१

जिला- शिवपुरी म.प्र.

पोस्ट-क२२१  
स६ क२२१

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

सदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7.7.12

---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति कें अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1
- 2 ① मान्यता पूरी हेतु अधिकांश कमीयां नहीं हैं
- 3
- 4 ② किराया नामा की कमीयां लगायी हैं
- 5
- 6 ③ आर्टिस्ट वीजिट लगायी हैं
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

2231

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / ज्पा० / 20123  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sectt.

भोपाल दिनांक 7/12/2012

शिवपुरी  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sectt.





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

172061

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2012

क्रमांक/2190/मान्यता/प्रकाश/2012  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मा. स्तरस्थली शा. मन्दि. 412-500, गुवा

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- गुवा म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 4226 दिनांक 27/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 ① अपराधिक प्रकार से भूत प्रपत्र प्रेषित
- 2 ② जिला स्तरीय समिति के अनुशोना नहीं है
- 3 ③ निरीक्षण प्रतिवेदन में डाउट नुमी का उल्लेख नहीं है
- 4 ④ मान्यता पूर्वी हेतु अनुशोना नहीं है
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता/प्रकाश/2012

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुवा, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुवा, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवालि

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक 2190 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति.

172042

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य  
विद्येकांत उदितक सिंह-शर्मा भूपाल

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- गुन्ना म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1426 दिनांक 27.7.12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 कलेक्टर उप निरीक्षण पर आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण के लिए कलेक्टर के
- 2 मध्यमिक शिक्षा मण्डल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित
- 3 निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत
- 4 आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-
- 5 1. शिक्षा, युवा एवं खेल विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं कराया गया है।
- 6 2. शिक्षा, युवा एवं खेल विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं कराया गया है।
- 7 3. शिक्षा, युवा एवं खेल विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं कराया गया है।
- 8 4. शिक्षा, युवा एवं खेल विभाग के अधिकारी द्वारा निरीक्षण नहीं कराया गया है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुन्ना मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुन्ना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

140

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक 2196 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रति,

17/2025

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमती युक्तिम हासिल 17/2025  
23/11

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- 23/11 म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 16084 दिनांक 18/3/2013

-c-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिभंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

141

क्रमांक 207 / मान्यता / 2010 / 2012  
प्रति.

172059

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री जगदम्बिका पाठशाला, स्कूल  
सदर बाजार, गुना

जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर / जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 4849, दिनांक 5/9/2012

--0--

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपने संस्था भवन पर एकास्टर व पुनर् नही है आप को
- 2 माह में अन्तर उक्त कार्य को पूरा संपन्न करें। पूर्ण करें।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

ए. अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / 2010 / 2012

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवालिप

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिंमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता/उत्ता0/2013  
प्रति,

182031

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

धारदा विद्या निदेशन हाई स्कूल

मुगावली

जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495, दिनांक 3/5/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 सुरक्षा निधि राशि 250000 का ब्याज प्राप्त
- 2 समस्त दस्तावेज सही सचिव/अध्यक्ष ले प्रमाणित नहीं हैं।
- 3
- 4 दो स्टॉक रबेलों की रंगीन फोटो अपाप्त
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उत्ता0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

147

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012

क्रमांक 2230 / मान्यता/उपा/2012  
प्रति,

182045

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्रीमंत महाराज ज्योतिरादिच  
माधवराव सिधिया हाई स्कूल  
जिला- अशोक नगर म.प्र. अशोक नगर

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1345/एच.1495 दिनांक 14.07.2013  
1345/एच.1495 03.05.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आडिट रिपोर्ट वर्ष-2011-2012 की अप्रूप।
- 2 प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के द्वापा चित्र रंगीन अप्रूप।
- 3 के अध्यापन कक्षों एवं के इतिहास खेलेके रंगीन द्वापाचित्र अप्रूप।
- 4 संस्था भवन के सामने पदाधिकारी स्ट्राफ के रंगीन द्वापाचित्र अप्रूप।
- 5 संस्था भवन के सामने प्रार्थना काले समय के द्वापाचित्र अप्रूप।
- 7 समस्त दस्तावेज संस्था सिजिव/अहमदा के प्रमाणित नहीं है प्रमाणी कराना भर्षे।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उपा/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7-12-13

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190/मान्यता/उपा0/2013  
प्रति,

182017

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आदर्श बाल्य विकास मंदिर हाई स्कूल  
सायदे कालोनी अशोक नगर

जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 3/5/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 ~~कक्षा पदाधिकात्री/स्टाफ पर अपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का प्रमाण~~
- 2 ~~आपका पत्र अग्रिम (2) साथ समान दस्तावेज लेखा सचिव/अध्यक्ष के~~
- 3 ~~समाप्ति नहीं। (3) आडिट रिपोर्ट 2012 सी-अग्रिम (4) सचिव कोटे माप डों~~
- 4 ~~अनुक्रम अग्रिम/संकाय प्रशि कर भेजे, जिससे मान्यता नवीनीकरण सी-~~
- 5 ~~आपका ही की जा सके।~~
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक/उपा0/मान्यता/ /2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपाधि

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल





159

182020

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2 / 12 / 2013

क्रमांक 2100 / मान्यता / अका 0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

डी० ए० वी० पब्लिक,  
ई० 31 मार्च 2013 मुगावली  
जिला- अररोड नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर / जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 3/5/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की किराया नामा की अवधि समाप्त हो चुकी है। पूर्ण अवधि
- 2 2015 तक का सत्र (पंजीकृत) (2) सभी कोटे माध्यम मापदण्ड अनुक्रम संपन्न।
- 3 प्रति कक्षा लक्ष्यक सत्रों/जिले मापदण्ड नवीनीकरण की कार्यवाही की जाये। आडिट रिपोर्ट
- 4 2012 की अपवाद।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अररोड नगर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अररोड नगर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

150

182023

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190 /मान्यता/उपा/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आकाश पब्लिक उपावि

मिपटई ज/व

जिला- उशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 3/5/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का परीक्षण किराघानमा मई 2014 में समाप्त हो रहा है।
- 2
- 3 शेष अर्धक 2015 तक का तत्काल भेजे। जिससे मान्यता नवीनीकरण
- 4 की कार्यवाही की जा सके।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उपा/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपावि

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

182025

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190 /मान्यता/उपाठ/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उद्योगी ज्ञान मंदिर हाई स्कूल  
वराहपुरपुर तहसील मुर्गावली  
जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 406 दिनांक 4/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था में प्राप्त समस्त दस्तावेज एवं दाय्याचित्र संख्या सही/
- 2 अध्यक्ष के प्रमाणीक नही/मानचित्र पूर्णकृत नही/अ संख्या पदाधिकारी/
- 3 22/6 पर आपराधिक संकलन दर्ज न होने का प्रमाण पत्र अज्ञात/
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उपाठ/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवालिपि

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

182029

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190/मान्यता/ज्वा0/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सिटी पाब्लिक हाई स्कूल

अशोक नगर

जिला- अशोकनगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495, दिनांक 30/5/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संगन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से प्राप्त फोटो एवं अन्य दस्तावेज संस्था सचिव /
- 2 - अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 2/12/2013

पुष्ता क्रमांक/ /मान्यता/ /2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

स्वालिप

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



182015

क्रमांक 12/90 /मान्यता/उपा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

माधकराव उपाध्याय

बामपास रोड तापडे कालोनी अशोकनगर  
जिला- अशोकनगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 14-07-2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के मान्यता मापदण्ड अंतर्गत भूमि भवन संबंधी
- 2 जानकारी के कुल खुली भूमि, नि. कुल निर्मित क्षेत्रफल कुल खुली भूमि
- 3 की पैलीकृत समितिके तत्काल भेजे, जिससे मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही
- 4 की जा सके।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उपा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

182041

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190/मान्यता/उपा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

तस्माशीला खान मंदिर हाई स्कूल  
पिपरई

जिला- उशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 19/6/2013

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का किराया नामा की अवधि 2015 तक का (मंजीकृत)
- 2 मिलावाये / 3 संस्था पदाधिकार/स्थापक पर आपराधिक त्रुटि दर्ज न
- 4 होने का मूल शपथ पत्र अप्राप्त
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उपा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उपादिपार की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

25

क्रमांक 2197/मान्यता/उकाश/2013  
प्रति,

132213

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री सहदेव सिंह काली स्कूल

ग्राम: मोरी सिंह कापुरा (मानहड़) तहसील मैहगोव

जिला- मिर्जापुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/07/2012

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आडि रिपोर्ट वर्ष 2012 की अप्रार, तत्काल भेजें।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक / मान्यता/उकाश/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. दिनांक / /2013

उपाधि

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.

माशिंमंभु-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक 2197/मान्यता/आ/2012 प्रति,

132265

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सनराइज पब्लिक  
हाई स्कूल मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012-13 अप्रदात
- 2 संस्था प्रदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक चक्रवा दल न होने का
- 3 मूल शपथ पत्र अप्रदात, तत्काल भेजे/पहन
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / /2012

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/आ/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
Asstt. Sect. मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिममुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

27

2197

132127

क्रमांक / /मान्यता/2013 प्रति,

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

अनुसूचित जाति 30 मा 0 वि 0  
मोररवी वडी (मदर)

जिला- भोपाल म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/02/2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 वर्ष 2012 की आडिटर अप्रान्त है, तत्काल भेजे।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/2013 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भोपाल मध्यप्रदेश।
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भोपाल मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.

माशिममुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14.000



2197

132236

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक / /मान्यता/उवा/2012  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

किसान उपा मा 0 वि 0

नया गाँव

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/12/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी ओर से वर्ष - 2012 की आडिट रिपोर्ट अप्लाई है,
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उवा/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA दिनांक / /2012  
Asstt. Sect.

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 11/12/2012  
2013

क्रमांक 2197 / मान्यता / जमा 0 / 2012  
प्रति, 2013

132092

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शिवकपी मेमो. 31/10/12  
अरेर रोड मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से 2012 की आडिट रिपोर्ट अप्राप्त/संस्था पदाधिकारी
- 2 ह्राफ की फोटो, प्राथता कले सम्प की फोटो पुराने शाला पुस्तकालय
- 3 के अस्थापन कले की फोटो के इन्डोर रबले की फोटो मान्यता मापदण्ड
- 4 अयुक्त अप्राप्त है, संलग्न दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के पत्रागत नहीं
- 5 हैं/ कमियों की पूर्ति तत्काल करें, जिससे मान्यता नवीनीकरण की कार्रवाई
- 6 की जा सके।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIY मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect. दिनांक 11/12/2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक 2198 / मान्यता / जमा 0 / 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIY मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

132233

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक 2197/मान्यता/उपा0/2012  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल

जिला- गोरखी म.प्र.  
मिठ

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12230 दिनांक 5/9/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था प्राप्त समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से
- 2 प्रमाणित नहीं। दो इंडोर रवेलों की- रंगीन फोटो अप्राप्त हैं। नक्काश
- 3 संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का प्रमाण
- 4 शपथ पत्र अप्राप्त। तत्काल भेजे। जिसके प्रमाण पत्र भेजने की कार्यवाही की
- 5 जा सके।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

एम. अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2012

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उपा0/2012

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

एम. अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिममुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbose.nic.in & E-mail id : mpbose@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक 2197 / मान्यता / जवाब / 2012  
प्रति,

132116

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य  
30 मार्च 2012

मि०

जिला- मि० म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 किराया नामा मूल तालमेलें जिनसे मान्यता नवीनीकरण
- 2 की कार्यवाही की जा सके।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

ए.म. अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012

पृष्ठा क्रमांक / मान्यता / जवाब / 2012

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मि०, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मि०, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ए.म. अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभु-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

32

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक 1093/मान्यता/उत्पा0/2012

132171

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

हर्षण विद्या मंदिर, 30 मार्च 0

गोवर्ध

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अपूर्ण है। किरातानामा (भूमि भूवल) अभिलेख
- 2 अपूर्ण/शाला भवन के डीफ सामते पदाधिकारी/स्टाफ की फोटो, प्राप्ति करते समय
- 3 की फोटो प्रयोगशाला पुस्तकालय दो अध्यापन कक्ष दो स्टोर रैकलो की रंगीन
- 4 फोटो अपूर्ण/संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने पर
- 5 मूल शपथ पत्र अपूर्ण/आडिट रिपोर्ट वर्ष-2012 की अपूर्ण/समस्त दस्तावेज
- 6 संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित होना आवश्यक है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दश में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, इसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

ए.म. के अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2012  
2013

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उत्पा0/2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्पा0

ए.म. के अतिरिक्त सचिव।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल।

माशिमंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14.000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

33

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2013

क्रमांक 2109/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

132187

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आयुक्त उच्च माध्यमिक परीक्षा

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2013

--C--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण दल द्वारा मान्यता
- 2 नवीनीकरण की अनुमति नहीं दी जाती है।
- 3 ~~मान्यता नवीनीकरण नहीं है।~~
- 4 ~~मान्यता नवीनीकरण नहीं है।~~
- 5 आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाप्त है।
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उवा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवालिपर

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 11/12/2012  
2013

क्रमांक 1197/मान्यता/जा0/2012  
प्रति, 2013

132267

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आर० एस्० पब्लिक हाई स्कूल

भोनेपुरा (मिठ) म.प्र.  
जिला- मिठ

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14825 दिनांक 26/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से 2012 की डाटिस्ट रिपोर्ट अप्रदाप्त कि सुरक्षा निधि
- 2 की अप्रदाप्त है, तत्काल भेजे ताकि मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही
- 3 की जा सके।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

एम्.के. मालवीय  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012-2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता जा0 / 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, मिठ की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

एम्.के. मालवीय  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक 2197/मान्यता/उका०/2013  
प्रति,

132218

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

स्वरूप विद्या निकेतन उ०मा०वि०

मुडिया खेड़ा

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण पर निरीक्षण दल ने शीप में दिखाए हैं नकल
- 2 कराई जाती हैं, नवीनीकरण की अनुसंधान नहीं की जाती है। आडिट रिपोर्ट 2012
- 3 की अप्रामाण्य संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर अपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का
- 4 मूल शपथ पत्र अप्रामाण्य/समस्त दौरे मान्यता मापदंड अनुरूप नहीं है।
- 5 संस्था के भूमि मालक कुल भूखंड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल, कुल कुल
- 6 भूमि का उल्लेख नहीं है। समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से
- 7 प्रमाणित नहीं है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

एम.के. मालवीय  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक/ /मान्यता/उका०/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपाध्यक्ष

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012  
2013

132252

क्रमांक/2098/मान्यता/ /2012  
प्रति, 2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

स्व. एस. मेमेरिपल डू मा. वि.

भारौली रोड मिठ

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक.....NIL..... दिनांक.....NIL.....

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ रलग्गन अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का कलेक्टर द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत
- 2 सहित निरीक्षण प्रतिवेदन आजे दिनांक 15 अक्टूबर/संस्था पराधिकारी/प्राचार्य
- 3 पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र उपलब्ध
- 4 किरायानामा की- अवधि समाप्त हो चुकी है/पूरी अवधि 2015 तक
- 5 का पंजीकृत भेजे/मानचित्र भी भेजे जिसमें खुली धरती का क्षेत्रफल विधि
- 6 भवन निर्मित क्षेत्रफल, कुल क्षेत्र का उल्लेख हो/समस्त दस्तावेज मालिक
- 7 सचिव/अध्यक्ष के सुमोहित कएना भेजे।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 4/12/2012  
2013

पृष्ठा. क्रमांक/2098/मान्यता/ /2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशि.मं.भो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

37

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक 2194/मान्यता/आए/2012  
प्रति,

132260

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य  
सरमन सिंह मैमोरियल हाई स्कूल  
बी.टी. आई रोड मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/12/2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- आडि2 रिपोर्ट वर्ष 2012 की अप्रूप, तत्काल भेजें।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल

Asstt. Sectt. दिनांक / / 2012

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/आए/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल

Asstt. Sect.

मा.शि.मं.सू.मो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2013

क्रमांक/2107/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति.

132272

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

नालन्दा गुरुकुल स्केडमा हाई स्कूल

गोल्डमबर के पास गोहद

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक.....NIL....., दिनांक.....NIL.....

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण सत्र 2012-13 का अज्ञात है।
- 2 आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012 की अज्ञात है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MALVIYA माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
Asstt. Sect. मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण सचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MALVIYA माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
Asstt. Sect. मध्यप्रदेश, भोपाल

मा.शि.मं.भो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2013

क्रमांक 2077 / मान्यता / 2012  
प्रति.

132247

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

हेरीटन पाठशाला, डरमाठिका

कीरतपुरा

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025, दिनांक 26/7/2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था के बाल्याभवन का कुल अक्षरों का क्षेत्रफल कुल निर्मित क्षेत्रफल
- 2 भवन के लगी कुल खुली भूमि का क्षेत्रफल नहीं पंजीकृत किया गया (अभिलेख) अक्षाप्त
- 3 संस्था भवन के लोक सामने पदाधिकारी/स्टाफ की फोटो अक्षाप्त/प्रदर्शन करने समझ
- 4 की फोटो अक्षाप्त/प्रयोगशाला पुस्तकालय की अस्थापित नहीं, के इन्डोर खेलों
- 5 की रंगीन फोटो अक्षाप्त हैं। संस्था पदाधिकारी/स्टाफ का आपराधिक प्रमाण दर्ज
- 6 न होने का मूल शपथ पत्र अक्षाप्त/समस्त दस्तावेज अक्षाप्त/साथ से
- 7 प्रमाणित नहीं हैं। निरीक्षण प्रतिवेदन पर भवन, खेल मैदान, प्रयोगशाला कक्षा
- 8 पक्षाप्त नहीं हैं। आपने मूल्य प्रमाणित पत्र क्रमांक 9400 भोपाल दिनांक 14/12/12 की-प्रमाणित

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता की है। विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल

Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / 2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तरलिपि

अतिरिक्त सचिव

M.K. MALVIYA माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

Asstt. Sect. मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



क्रमांक 2197 / मान्यता / जवाब / 2012  
प्रति, 2013

132205

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सरस्वती शिबु मंदिर हाई स्कूल

जिला- मिठु म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234, दिनांक 5/7/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से 2012 की आडिट रिपोर्ट अप्राप्त। आपकी संस्था के अभिलेख पर
- 2 शाखा भवन का कुल विस्तृत क्षेत्रफल, भवन से लगी खुली भूमि का उल्लेख नहीं।
- 3 संस्था प्रदाधिकारी/स्टाफ की फोटो भवन के हीट सामने रखी गई, आपका कलेक्टर
- 4 की फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के संधारण कलेक्टर के उच्चतर इलेक्ट्रो की फोटो मापक
- 5 अतुरूप अप्राप्त। संस्था प्रदाधिकारी/स्टाफ पर आपका कलेक्टर प्रमाण दर्ज न होने का
- 6 साथ आपका पत्र अप्राप्त। संलग्न समस्त दस्तावेज संस्था लांचक। प्रमाण ले प्रमाणित
- 7 नहीं। प्रतिवेदन के अनुसार फर्नीचर पुस्तकालय प्रयोगशाला सुरक्षा एवं अग्निरक्षण
- 8 व्यवस्था नहीं। पूर्व में मंडल द्वारा भेजा गया पत्र क्र. 9400/दिनांक 15/12/12 की भी पूर्ति नहीं की गई।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / जवाब / 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठु, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठु, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।

जवाबिया 8

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 2107 / मान्यता / 2013  
प्रति,

132263

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

महावीर विद्या मंदिर हाई स्कूल  
माधोसिंह गपुरा लखेड़ा  
जिला- मिर्जापुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक.....NIL..... दिनांक.....NIL.....

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है (सत्र 2012-13 का)
- 2 आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012 की अप्राप्त है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध करा-ग सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

ए.अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ए.अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

42

क्रमांक / मान्यता / प्रति, 2012

132223

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री कृष्णा रामाचारी

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 20017 दिनांक 12-12-2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमिया पाई गई-

- 1 आपकी संस्था की आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्राप्त है/समस्त कोठे संस्था
- 2 सचिव/अध्यक्ष के समानित नहीं है/किरापा नामावली इतिषि 2015 तक नहीं
- 3 है/दो शर्त खोलों की फोटो दो अध्यापन कक्षा की फोटो/प्रयोगशाला पुस्तकालय
- 4 की-कोठे मान्यता मापदंड अनुक्रम अप्राप्त है/
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 81 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Secy दिनांक / /2012

पृष्ठा क्रमांक / मान्यता / प्रति, 2012

- प्रतिलिपि :-
- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
  - 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
  - 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
  - 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.

माशिमंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

132199

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 11/12/2013

क्रमांक 207/मान्यता/असा/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

अनुसूचित जाति उपायुक्त

क्र. 2 देवोह  
जिला- म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/2/13

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 किराघाना पूर्ण अवधि 2013 तक का अभाव है।
- 2 असाइड रिपोर्ट वर्ष 2012 की अभाव है।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/असा/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- म.प्र., मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- म.प्र., मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

44

क्रमांक 207/मान्यता/उपा/2012  
प्रति,

132057

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आदर्श हाई स्कूल

जिला- दतौर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था की ओर से दो इण्डोर खेलों, प्रयोगशाला एवं
- 2 पुस्तकालय की फोटो मापदण्ड अनुरूप आपका सारा समस्त दस्तावेज
- 3
- 4 संस्था/सचिव/अध्यक्ष के समक्ष नए नए भेजे।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.  
भोपाल दिनांक / / 2012

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उपा/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- दतौर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- दतौर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.

माशिममभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / 2013  
प्रति,

132256

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

भारती हाई स्कूल  
शास्त्री नगर मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक N/C दिनांक N/C

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 निरीक्षण रिपोर्ट सत्र-2012-13 की अभाव।
- 2 सुरक्षा निधि अभाव।
- 3 संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक प्रकृति दर्ज न होने का
- 4 मूल शपथ पत्र अभाव।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA दिनांक 7/12/2013  
Asstt. Sect.

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

46

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

क्रमांक  
प्रति,

2230

/मान्यता/उवा/2012  
2013

132083

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

रायल पब्लिक हाईस्कूल  
महावीरगंज मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रदा/ दो इन्डोर खेलों की-फोटो
- 2 अप्रदा/ प्रयोगशाला की फोटो अप्रदा/ सुरक्षा निधि शुल्क 25000 का
- 3 चालान अप्रदा/ प्रति के तत्काल भेजें
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा. क्रमांक/  
प्रतिलिपि :-

2231

/मान्यता/उवा/2012  
2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. दिनांक 7/12/2012  
2013

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिंमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2012-2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / जवाब / 2012 2013  
प्रति,

132254

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री तुलसी पाठशाला, 30 मार्च रोड  
अमलेडकर नगर अटोल रोड भिंड  
जिला- भिंड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12274 दिनांक 5/7/12

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था के आडिटर रिपोर्ट 2012 की- आपकी संस्था पदाधिकारी/स्थापकी
- 2 संस्था के सातने लोके, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के इन्डोर खेलों, दो अध्यापन कक्षाओं
- 3 की इंग्लिश के से मान्यता मापकण अनुक्रम/संस्था समिति/सध्यक्ष के प्रमाणित अध्यापन
- 4 संस्था पदाधिकारी/स्थापक पर आपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल
- 5 क्षपण पत्र अध्यापन/इंग्लिश न तत्काल भेजे/ सुरक्षा विधि भी अध्यापन-
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Secty.  
भोपाल दिनांक 7/12/2012-2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / जवाब / 2012 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भिंड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भिंड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाब  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

48

क्रमांक 2230 / मान्यता / 2012  
प्रति, 2013

132114

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

जनता उपाचारक शिवहरे कापुरा  
बी.टी. आइ. रोड मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक.....N/C..... दिनांक.....N/C.....

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण
- 2 प्रतिवेदन अप्राप्त है।
- 3
- 4
- 5 इमडिट रिपोर्ट 2012 की- अज्ञात है। तत्काल भेजे / भिजवाये जिहसे
- 6 संस्था की मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही की- जा सके।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

49

क्रमांक / 2230 / मान्यता / उपा / 2012 / 2013  
प्रति,

132043

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आचार्य नरेन्द्र देव हाई स्कूल

पाठशाला  
जिला- मिर्जापुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर / जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/5/2012

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रस्तुत है, तत्काल
- 2 भेजे, जिससे मान्यता वृद्धि की कार्यवाही की जा सके।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा. क्रमांक / 2231 / मान्यता / / 2012 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MAVIY  
Assst. भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. S  
Assst. S

माशिंमंभु-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

क्रमांक 2230 मान्यता / 2012  
प्रति, 2013

132180

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

शिवराज सिंह मेमो. 30 मार्च 2013

सतारवाडी

जिला- मिर्जापुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/12

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की उपलब्ध है।
- 2 संस्था पराधिकारी/हटाफ पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का
- 3 मूल शपथ पत्र उपलब्ध, तत्काल मेमो लिखते मान्यता नवीनीकरण की
- 4 कार्यवाही की जा सके।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
MAULVIYA  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक/ 2231 / मान्यता/30/12/2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर  
अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/प्रति 2230 /मान्यता/उवा/2013

132270

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

अमर भारतीय विद्या मंदिर  
खैरिदा मेहरान

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12230 दिनांक 05/09/2013

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से सुरक्षा लिथि शुल्क 25000/- का चालान
- 2 अभाव है, तत्काल भरे।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/प्रतिलिपि :- 2231 /मान्यता/उवा/2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवादिपति

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/प्रति. 2230 / मान्यता/उपा/2013

132153

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

अनंता हाई स्कूल

खिड़किम मोहल्ला भिख

जिला- भिख म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234, दिनांक 5/12/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाप्त है, तत्काल भेजें।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

M.K. MALVIYA सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
Asstt. Secy.  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/प्रतिलिपि :- 2231 / मान्यता/उपा/2013

1. कलेक्टर, जिला- भिख, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भिख, मध्यप्रदेश।
4. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक 2230 / मान्यता/उपाध/2013  
प्रति.

132150

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

महाराणी अवंती बाई उपाधिका

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/7/12

—0—

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से डाइट रिपोर्ट वर्ष 2012 की अपाव है।
- 2 तत्काल भेजे।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect. दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उपाध/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपाधिका

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

54

क्रमांक 2230 / मान्यता / 2012  
प्रति, 2013

132054

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

राम सहाय कन्दा हाई स्कूल

खूप

जिला- भिंड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/2/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से धर्म भवन हेतु प्रस्तुत दान पत्र पंजीकृत नहीं है/ पंजीकृत भेजे।
- 2 आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाफ/समस्त छोटे खरबा खण अन्य इत्यादि
- 3 संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं। श्रमियों का तत्काल भेजे, जिसके
- 4 मान्यता वृद्धि की कार्रवाई की जा सके।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पुष्ठा. क्रमांक 2231 / मान्यता / जवा/2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- भिंड मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भिंड मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिभंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

क्रमांक/2230 /मान्यता/उपा०/2012  
प्रति, 2013

132217

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सुपर माॅलेज हाईस्कूल बजरिया  
कनेरा (अरेर)  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/12

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

1. आपकी संस्था के द्वारा 2012 की आडि रिपोर्ट अप्राप्त/संस्था प्रशासिका/
2. स्टाफ पर आपसविक प्रकटा दर्ज न होने का अप्राप्त/पत्र अप्राप्त/
- 3.
4. सुरक्षा निधि शुल्क का चालान अप्राप्त/
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MAL माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
Asstt. Secy मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पृष्ठा. क्रमांक/2231 /मान्यता/उपा०/2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MAL माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
Asstt. Secy मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14.000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

56

क्रमांक 2230 / मान्यता / प्रवाह / 2012-2013  
प्रति

132261

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012-2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

जमैन्स कॉन्वेंट हाई स्कूल

जॉर्जटा नगर, मिड  
जिला- मिड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025, दिनांक 26/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिटर रिपोर्ट 2012 की अपूर्ण है,
- 2 तत्काल भेजे, जिससे मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही भी
- 3 की जा सके।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
M.K. MALHOTRA  
Asstt. Secty. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2012-2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / प्रवाह / 2012-2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14.000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक / 2012  
2013

132266

क्रमांक / /मान्यता ~~5776~~ /2012  
प्रति, 2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

उत्तरांचल चारित्रिक हाई स्कूल  
उत्तरांचल चौराहा, अरेर रोड मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

सदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 13234 दिनांक 5/2/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ सलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

1. ~~आपकी संस्था में इन्सिडेंट रिपोर्ट 2012 की अपाठ है।~~
2. ~~सुरक्षा लिफ्ट शक्ति का -यातायात इन्सिडेंट है तत्काल ठीक कर लिये।~~
3. ~~मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही की जाए लिये।~~
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता ~~5776~~ /2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहर

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल Sect.

माशिंमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14.000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

58

क्रमांक 2230/मान्यता/ प्रति, /2012 2013

132216

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012 2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

स्व. श्री श्याम बिहारी मेमो. 30570/वि

जिला- गोरख म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 20017, दिनांक 12-12-12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था की किराया नाम की अवधि 2012 में समाप्त हो चुकी है पूर्ण अवधि
- 2 2015 तक पूर्ण भूखंड भूजमा/संस्था पदाधिकारी/हत्या पर आपराधिक प्रकरण दर्ज न होने
- 3 का प्रत्येक वर्ष पत्र अर्पण सुरक्षा निधि 40.000 का चालान भरण संस्था भवन
- 4 के बीच सामने पदाधिकारी/हत्या के रजिस्टर फोरो, आर्षण करने समझ कर फोरो
- 5 दो इन्डोर रूबले के दो अस्थापन कर्मो पुष्पगशाला में, पुस्तकालय की दोरी
- 6 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं। आडिट रिपोर्ट 2012 की अर्पण
- 7 समस्त दस्तावेज हस्ता मन्थि/अध्यक्ष से प्रमाणित कराकर भेजे।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2012 2013

पृष्ठा क्रमांक 2231/मान्यता/ प्रति, /2012 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- गोरख, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गोरख, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभुमो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

59

क्रमांक 2230 / मान्यता / अक्टो / 2012  
प्रति, 2013

132144

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

बाबा गान्धेय हाई स्कूल  
महाराजपुरा मिठ  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/9/2012

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण संत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 सापेक्ष संस्था से सुरक्षा निधि मुक्त 25000/- का निधि रिज चालान
- 2 अप्राप्त है, तत्काल भेजे।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम-2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

M. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
Ass. मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / अक्टो / 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तारिप

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

माशिमंभु-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2018

क्रमांक 2230 / मान्यता / 2018  
प्रति,

132035

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

अशोक उमराठिया

जयपुर

जिला- मिर्जापुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/1/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिटरिपोर्ट 2012 की अपाए
- 2 सुरक्षा निधि शुल्क अपाए/प्रमाणित नही है
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2018

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / 2018  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230 /मान्यता/उत्पाद/2013  
प्रति,

132221

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

एल.बी.एस. हाई स्कूल

एड्डार रोड मिठ

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2012

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था किराया नामा की अवधि समाप्त है।
- 2 एच.आर. 2015 तक का पंजीकृत किराया नामा भेजे।
- 3 ऑडिट रिपोर्ट 2012 की उपरोक्त समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष
- 4 के समक्ष तुरंत तत्काल भेजे।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231 /मान्यता/उत्पाद/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

132235

क्रमांक 2230 /मान्यता / 2012  
प्रति, 2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रेष्ठों उच्च माध्यमिक मेहगाँव

गांधी रोड मेहगाँव

जिला- मिर्जा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234, दिनांक 5/7/12

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का किराया नामा समाप्त हो चुका है, पूर्व अवधि 2015 तक
- 2 भेजे/आडिटरिपोर्ट 2012 की अप्रॉफ/नल्लाल भेजे जिसके मान्यता
- 3 नवीनीकरण की कार्यवाही की जा रहे।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

M. माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

Ass. मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक/ 2231 /मान्यता / 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिर्जा, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिर्जा, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



क्रमांक / 2230 / मान्यता / 2012  
प्रति,

132012

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री. साँजनेय उदयशंकर

मुहम्मद (लखर)

जिला- मिर्जापुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण दल ने विचारपत्र में दायें
- 2 की उपस्थिति प्रमाणित नहीं प्रयोगशाला/कनीनर/पुस्तकालय नहीं की-रीफ
- 3 अंकित की है/मान्यता नवीनीकरण की अनुशंसा नहीं की जाती है/आडिट रिपोर्ट 2012
- 4 की उपस्था के हीड सामने पदाधिकारी हाफ की फोटो प्रार्थना करने समय की-
- 5 फोटो/प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो मध्यापन कक्षों, दो इलेक्ट्रॉनिक की फोटो मान्यता
- 6 मापदंड अनुरूप उपस्था/समाप्त दायें चित्र सन्नि/सहाय्य हे प्रमाणित नहीं है/संस्था
- 7 नाम का उल्लेख नहीं है/पूर्ति कर तत्काल भेजे।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Assu. Sect.

भोपाल दिनांक 7/12/2012  
2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2230 / मान्यता / 2012  
प्रतिलिपि :- 2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिर्जापुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवाचिपर

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2198/मान्यता/2वा/2013  
प्रति,

142103

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

2वा लिखर पाठशाला 36270 विहार  
3वा अलिगढ़ उरर  
जिला- 2वा लिखर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606662 दिनांक 3/8/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गईं-

- 1 पंजीकर क्रिये गये की डकवनी तमाम हे गरी है।
- 2 पंजीकर क्रिये गये तमाम शीथ उमर छे।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक/ /मान्यता/2वा/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- 2वा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- 2वा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, 2वा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/290/मान्यता/2013/2013

142239

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

नवीन विद्या केंद्र 30000 वि.  
रायपुर कलेक्टर, 1200 2013  
जिला- रायपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3-9-12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
- वर्तमान नए की झण्डर डिफर शायु मेडो 1  
सत्र 2012-13 की

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक/ /मान्यता/ /2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- रायपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- रायपुर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190/मान्यता/2013/2013  
प्रति,

142241

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शिवम कलेक्टर 30270 विद्यालय  
मिर्जापुर, रामकृष्णपुरी  
जिला-उवालिखर म.प्र. राडीपुर

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/12  
मण्डल का पत्र क्र. 94630/191212

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 पंजीकृत कमिलेख में कुल निरीक्षित क्षेत्रफल, खुली जमीन का 30 सेक्य. 0.00 है
- 2 दो कच्चापन कक्षों, दो इंडोर खेलों, प्रयोगशाला के, गलत कि. लम्बे 22x15
- 3 पत्राचार कक्षों के, प्राथमिक कक्षों का कम के लम्बे के खोले कोठे का 14x8
- 4 गली का कमिटर खोले का 14x8 / सख्त के पत्राचारी/22x15 के ऊपर
- 5 काप्यारूमि 5000 का खोले का 14x8 पत्राचारी है। खुली जमीन
- 6 40.00/- का 14x8 / निरीक्षण उपरोक्त के ऊपर का 14x8 में 42x15
- 7 42x15 का है।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 2/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2191/मान्यता/2013/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-उवालिखर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-उवालिखर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbose.nic.in & E-mail id : mpbose@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/ 2190 / मान्यता/ 2010 / 2013  
प्रति,

142163

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री श्री सुनील हरेन्द्र  
शारदा नाल रेडि हजीर  
जिला- 2010 म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2090 दिनांक 17-09/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 पंजीकरण- किरायाकार 24-10-2014 तक ही वैध है।
- 2 2010 के किरायाकार 24-10-2014 तक ही वैध है।
- 3 2010 के किरायाकार 24-10-2014 तक ही वैध है।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक/ / मान्यता/ / 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- 2010 मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- 2010 मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, 2010 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिभंमुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14.000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2130/मान्यता/2013  
प्रति,

142247

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री 0107 पी.ए.डी. डी.एम. विद्यालय

पारस विहार नाका चंडवारी लखर

जिला-देवसिंह म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक..... दिनांक 21/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 को डोडोर खेले की फोटो लगाई है
- 2 प्रमाणपत्र / स्टाम्प पर कोई कल्पनायुक्त प्रमाण नहीं है
- 3 को लखर की शपथ पत्र मूल लगाई है
- 4 प्रोफेसर (गैर) का निवेदन नहीं है/कल्पनायुक्त प्रमाणपत्र नहीं है
- 5 सत्र 2012-13 की डाइट रिपोर्ट नहीं कड़ी।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-देव, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-देव, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, देव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

मा.शि.मं.मु.भो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

70

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230 / मान्यता/2010/2013  
प्रति,

142323

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

कार्मल कान्वेंट हाई स्कूल  
आसराबाबा बाजार, अशोक जवाहरिया  
जिला- जवाहरिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090, दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाठ है / संस्था पराधिकारी/स्थापक
- 2 अपराधिक कारण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अपाठ/दुरुस्त मिथी
- 3 शुल्क 25000/- का प्रोवाजन अपाठ
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231 / मान्यता/2010/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

142240

क्रमांक 2230 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मौवल मान्वे 2 उवाभा 0 वि०

लश्कर उवाधिया

जिला- उवाधिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक: 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 प्रस्तुत पंजीकृत अभिलेख स्पष्ट नहीं हैं, एवं मान्यता भी अपहनी हुई
- 2
- 3 पंजीकृत अभिलेख किराघानामा शर्त अवधि 2015 तक का उपजा
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाधिया मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाधिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवाधिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक/2230 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

14 2013

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मध्य माडल हाई स्कूल  
सायरोड मुरार खासिया  
जिला- उत्तराखण्ड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिटर रिपोर्ट 2012 की अप्रति संस्था भवन के पूरे सामने संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर
- 2 के रंगीन फोटो अप्रति/आपकी मुरार मुरार की फोटो पुस्तकालय, प्रयोगशाला के
- 3 अध्यापक कर्मियों के रजिस्टर रजिस्टर की रंगीन फोटो अप्रति/संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर
- 4 अप्रति संस्था भवन के पूरे सामने संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर
- 5 अप्रति संस्था भवन के पूरे सामने संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर
- 6 संस्था भवन/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक/2231 /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

142276

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

राजीव गाँधी हाई स्कूल

दोसीपुरा मुरार चन्दनपुरा उवादिशर  
जिला- उवादिशर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 धनीकृत बिराघा नामा शूट अवधि 2015 तक का अप्रार्ष
- 2 इन्टोर खेलो की फोटो रंगीत अप्रार्ष संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक
- 3 प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रार्ष आडिट रिपोर्ट 2012
- 4 की- अप्रार्ष
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

2231  
पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवादिशर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवादिशर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142254

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आर० सी० कान्वेंट उ० मा० वि०  
सिद्धपुर रोड, झरार, जवाहरपुर  
जिला- जवाहरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन पर गैप में सुविधाये पर्याप्त नहीं का उल्लेख है।
- 2 दो अध्यापन उद्देश्य, दो इन्टैर/आउटडो (नेटो) पुस्तकालय की संज्ञित फोटो अभाव।
- 3 आडिट रिपोर्ट 2012 की अभाव/साथ समाप्त दस्तावेज संस्था सचिव।
- 4 सक्षम के समाप्ति नहीं।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

2231  
पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरपुर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहरपुर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

# 142280

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आईडिपल पाब्लिक हाई स्कूल  
वित्तम नगर, सेक्टर 4 उवाधिया - 3  
जिला- उवाधिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090, दिनांक 12/9/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन 21 प अनुसार, भूमि निर्धारित मापणों के अनुसार कम है, स्थली
- 2 भूमि स्थल निरीक्षण की पर रिपोर्ट देना पड़ती है। ऐसी रिपोर्ट अनुमाना संभव नहीं।
- 3 हस्ता पदाधिकारी/स्थापक या अध्यापक स्तर पर न होने का मूल रूप से पत्र अप्रामा
- 4 आउटडोर/इंडोर खेलों की रंगीन फोटो अप्रामा/आउट रिपोर्ट 2012 की अप्रामा
- 5 पीजीकेन किरायानामा 2015 तक का अप्रामा/स्थापक दस्तावेजों की सूची सचिव-
- 6 अध्यापक के प्रमाणित नहीं।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक/सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाधिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाधिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / उत्तर / 2013  
प्रति,

142327

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

माडल प्राइवेटेशन उद्योगिक विद्यालय  
सागरनाथ रोड, जवाहरिया  
जिला- जवाहरिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अज्ञात है।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2230 / उत्तर / मान्यता / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उत्पाद/2013  
प्रति,

142136

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री जौरी शंकर, 30 मार्च 2013

विनायक नगर, जवाहरपुर

जिला- जवाहरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की उपशाप
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231/मान्यता/उत्पाद/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरपुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरपुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवाहरपुर

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

88

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

142304

क्रमांक 2230 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री काउन्डेशन उच्च माध्यमिक  
सिद्धेश्वर नगर पुरा उवाछिपल  
जिला- उवाछिपल म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 सिरीझा प्रतिवेदन अनुसार पत्र लिख कर नोटीस रवेल मैदान आदि नहीं हैं।
- 2 अनुबासा नहीं की जाये।
- 3 पंजीकृत किराणानामा 2015 तक का अप्रॉप/अभिलेख भूमि
- 4 भूकन के अभिलेख में कुल खुली भूमि, कुल निर्मित क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का उल्लेख नहीं
- 5 छाया पदाभिलेख/रिपोर्ट पर आपसे अधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रॉप
- 6 आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रॉप सिकुरक्षा निधि मुताबक रूप में 40,000/- का
- 7 उल्लेख नहीं।
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2231 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाछिपल मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाछिपल, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवाछिपल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता/उत्तर/2013

142419

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

गायत्री 30 मार्ग राधवेन्द्र नगर  
सिटी सेंटर जवाहर  
जिला- जवाहर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. पंजीकृत किराया नामा पत्र अक्टूबर 2013 तक का अपात्र सिंघा -
2. -पदाधिकारी/हस्ता पर आपदाधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल प्रमाण पत्र अपात्र
3. संस्था के पास कुल भूमि 2400 वर्गफीट है, निर्मित क्षेत्रफल 4800 वर्गफुट है,
4. कुल खुली भूमि नही है, निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार।
5. एस.टी.रूम - की रीफ में उल्लेख है, परमिटर सुविधाएं/ह्यान नही।
6. अनुशंसा नही है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/ /मान्यता/उवाठ/2013  
प्रति,

142258

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सहारा पब्लिक उपाचार्य  
नदीपार रा.स. सुरार ज्वालियर  
जिला- ज्वालियर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 1. आडिट रिपोर्ट 2012 की अभाव।
- 2
- 3 2. आडिट रीट/इंजीन लेबो की रंगीन फोटो अभाव।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. 7-12-13

2231  
पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उवाठ/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वालियर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वालियर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, ज्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

M.K. MALVIYA  
सहायक सचिव  
Asstt. Sect.  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

142252

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री. अ. चिन्मय 30 मार्च 2013  
मान्यता सुधार उवा प्र.  
जिला- उवा प्र. म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 कुल खुली भूमि मापदण्ड अनुसूची नवी के इन्डोर खेलों की फोटो अप्रार्षी
- 2 पुस्तकों की सूची अप्रार्षी संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर अप्रार्षी प्रमाण दर्ज
- 3 न होने का शपथ पत्र अप्रार्षी/पुस्तक समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष
- 4 6 प्रमाणित नहीं / आडिट रिपोर्ट 2012-13 अप्रार्षी
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.ग., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्दार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2231/मान्यता/उवा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवा प्र. म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवा प्र. म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवा प्र.

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

92

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

142152

क्रमांक 2230 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

पी.ओ.डी. मान्यता उवा0/वि0  
रमयापुरा रोड उवालिखर-3

जिला- उवालिखर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था साफ \* पीपी डूब बिना मिराघामासा से अवधि समाप्त है
- 2 पूरा अवधि 2015 तक का फल फल मिराघामासा भेजे। (अ) आडिटी रिपोर्ट 2012
- 3 अ-प्राप्त।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिखर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिखर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवालिखर

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल  
**WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in**

क्रमांक/2230/मान्यता/उपाठ/2013  
 प्रति,

142029

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
 फ़ैक्स - 0755-2551499, 2552061  
 भोपाल दिनांक 7/12/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सनातन धर्म कन्या उपाधि म.प्र.

कलेक्टर जवाहिपट म.प्र.  
 जिला- जवाहिपट

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
 कारण बताओं  
 सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 सिरीयल प्रतिवेदन पर अनुशासन नहीं है। प्रतिवेदन अनुसार प्रयोगशालाएँ
- 2 व्यवस्थित नहीं तथा व्यवस्था करने हेतु समिति का दायित्व बनाया है, तथा समिति का
- 3 सहयोग नहीं/पंजीयन भूमि भवन हेतु केवल मानचित्र प्रस्तुत किया है। जो अहमद है।
- 4 संस्था भवन के सामने पदाधिकारी/हस्ताक्षर प्रार्थना करते समय की रंगीन फोटो प्रयोगशाला
- 5 पुस्तकालय के अध्यापन कक्षा, दो इलेक्ट्रॉनिक खेलों की रंगीन फोटो मान्यता मापदंड अनुसार
- 6 अभाव। संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर पर आपराधिक घटना दर्ज न होने का प्रमाण प्रमाण पत्र अभाव।
- 7 आडिट रिपोर्ट 2012 की अभाव। दुर्घटना विधि 40,000/- का ब्याजान अभाव। प्रायदत्त विधि
- 8 संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल  
 भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2231/मान्यता/उपाठ/2013  
 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहिपट मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहिपट मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहिपट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
 माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
 मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142261

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / उवा 0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

अन्ताकिया हाई स्कूल, उवाडपुरा  
कम्प्यू अरकर, उवासिया  
जिला- उवासिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090, दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन में मान्यता नवीनीकरण हेतु नवीन पुस्तकालय
- 2 अभिलेखन की व्यवस्था नहीं प्रयोगशाला की व्यवस्था नहीं, खेल का मैदान
- 3 उपलब्ध नहीं है, रेसोरीय में उल्लेख है।
- 4 पुस्तकालय प्रयोगशाला, दो स्टूडेंट खेलों के अध्यापन ब्रह्म, संस्था भवन के ही
- 5 सामने पदाधिकाारी/हस्ताक्षर, तारीख कलेक्टर के समक्ष 2-रंगीन फोटो अज्ञात
- 6 संस्था पदाधिकाारी/हस्ताक्षर, प्र. अज्ञात प्र. अज्ञात प्र. अज्ञात
- 7 पंजीकृत निराग्रामाणा पूर्ण अर्थात् 2015 तक का अज्ञात-अज्ञात 2012 की अज्ञात
- 8 अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम

2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2231 / मान्यता / उवा 0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवासिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवासिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवासिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

28

142115

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230 / मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

महेन्द्र स्मृति हाई स्कूल

जिला- धोलीपुरा म.प्र. उत्तराखण्ड

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

2231

पृष्ठा. क्रमांक/ / मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उत्तराखण्ड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / ज्वाट / 2013  
प्रति,

142054

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सुभाष हाई स्कूल

आमरोप ज्वालिया

जिला- ज्वालिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पूर्णतः किराया नामा पूरा अवधि 2015 तक का अपाए/आडिट रिपोर्ट 2012
- 2 की अपाए/
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा. क्रमांक 2231 / मान्यता / ज्वाट / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वालिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वालिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

ज्वालिया

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



142238

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उपा०/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

एन.एस.ई. स्कूल इन्टरनेट शिवाजी  
राज्य उच्च शिक्षा  
जिला- उवालिपट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की-आरोप अनुसार "पर्याप्त स्थान नहीं।"
- 2 पुस्तकालय (आदि नहीं) / अनुशासना नहीं की जाती आदि रिपोर्ट 2012
- 3 की-अप्रामाणिक
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक/2231/मान्यता/ /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/ज्वा0/2013  
प्रति,

142154

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

संजीव उमराविक घासमणी  
हाथियापौर, ज्वालिपूर - 3  
जिला- ज्वालिपूर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किरायेनामा पूरा अवधि 2015 तक का अज्ञात है।
- 2 आडिट रिपोर्ट 2012 की अज्ञात है। संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपराधिक
- 3 प्रक्रिया दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अज्ञात। आप संलग्न दस्तावेज संस्था
- 4 सचिव/अध्यक्ष के प्रसारित नहीं हैं। संस्था भवन के बीच लगने पदाधिकारी/स्टाफ
- 5 शर्तना करने समय की जोड़े, शर्तना के अध्यापन व को के इन्डोर शैली
- 6 प्रयोगशाला पुस्तकालय की शर्तना जोड़े मान्यता मापदण्ड अनुरूप अज्ञात है।
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2231/मान्यता/ज्वा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वालिपूर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वालिपूर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / 2013  
प्रति,

142310

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री न बुड पाठशाला, उवालिघाट  
दी.त.द.माला नगर, उवालिघाट  
जिला- उवालिघाट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606.66 दिनांक 3/9/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आरिट रिपोर्ट 2012 की उपपत्र है।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2231 / मान्यता / /2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिघाट, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिघाट, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवालिघाट

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

83

क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

142459

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

रानी अवंली बाई हाई स्कूल  
आर.ए.पुरम भिख रोड खालिघाट

जिला- खालिघाट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 606667, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन पर "अवधि सुविधाये" अनुशंसा नही की जाती।
- 2 आडिटर रिपोर्ट 2012 की समाप्ति
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनास के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

पृष्ठा क्रमांक/2231/मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- खालिघाट, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- खालिघाट, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

142329

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आर्कीडिस 30 मार्च 2013  
सर्दार अरुण साहेबराव वाडा  
क.प्र. जवालिपट  
म.प्र.  
जवालिपट

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किराया नामा 2013 तक का अक्षर
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवालिपट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





क्रमांक 2230 / मान्यता/उवा0 / 2013  
प्रति,

142303

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

बैल डेयट पब्लिक हाई स्कूल  
धोलापुरा, जिला- उवालिपट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार स्कूल भूमि पर्यटन नहीं है। अनुसूचा
- 2 समत नहीं/आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रत्यापित दस्तावेज हस्ता सचिव/-
- 3 अ.प्र.स. के प्रमाणित नहीं/संस्था पदाधिकारी/हस्ता.पत्र (आपराधिक प्रमाण)
- 4 दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रत्यापित
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

2231  
पृष्ठा. क्रमांक/उवा0/मान्यता/ /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता/2010/2013

142444

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

कृष्णा कान्हेट हाई स्कूल

सुरार जवाहिरा

जिला- जवाहरिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 में उपरोक्त प्राव समाप्त इत्यादि संख्या सचिव/-
- 2 - उपरोक्त के सम्बन्धित नहीं हैं/संज्ञिक किराया नामा प्रो. अक्टोबर 2015 तक 4/
- 3 उपरोक्त प्रयोगशाला प्रकृति नहीं/
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/2010/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवाहरिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवाहरिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहरिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

142095

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

रीजनल कान्वेंट, 38 मा0 वि0

गोले का मंदिर उवाखिया

जिला- उवाखिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार खुली भूमि 930 वर्गफुट तथा कुल
2. भूमि 3600 वर्गफुट है। पूर्णकृत किरायातामा पूरा उपरि 2015 तक का
3. अपाफ है/प्राप्ति करने समय के छोटे, संस्था पदाधिकारी/स्टाफ के भवन ठीक सामने
4. का रैगिन छोटे अपाफ/पुस्तकालय, प्रयोगशाला के अस्थापन कक्षों दो इन्टोर रैगेलों
5. की रैगिन छोटे अपाफ/आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाफ/संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर
6. आपराधिक सत्राण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अपाफ त्रिपदा दर्तावेज संस्था
7. सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नही।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231/मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाखिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाखिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक / /2013

142334

क्रमांक / /मान्यता/उका०/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य  
गीतांजलि पब्लिशिंग, आई स्कूल  
हैदराबाद कोठी मुरार उतालिगल  
जिला- उतालिगल म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60.6667, दिनांक 3/9/12.

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किराया नामा पत्र अवधि 2015 तक का अग्रपत्र।
- 2 आडिटर रिपोर्ट 2012 की अग्रपत्र।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक / 2231 / मान्यता/उका०/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उतालिगल, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उतालिगल, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उतालिगल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / जवा0 / 2013  
प्रति,

142421

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

नेचुरल टिचिंग सेंटर  
कालोनी, धोबीपुरा, मुरार जवालिपट  
जिला- जवालिपट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. पंजीकृत किराया नामा पूर्ण अवधि 2015 तक का अप्रामाण्य।
2. संस्था सहायिका / हस्ताक्षर अपराधिक मरणा दण्ड न लेने का प्रमाण
3. शपथ पत्र अप्रामाण्य इण्डोर / आउटडोर खेलों में रंगीन जेरो अप्रामाण्य।
4. छनीचिट पदवि नही / प्रयोगशाला रसायन विज्ञान में रंगीन जेरो अप्रामाण्य।
5. दो अध्यापन कमों में रंगीन जेरो अप्रामाण्य। प्राप्त समस्त दस्तावेज संस्था साथ में।
6. अध्यापक के समाप्ति नही।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / जवा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवालिपट की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता/2010 / 2013  
प्रति,

142440

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

श्री. सरस्वती कॉन्वेंट हाई स्कूल  
राजकोपी मुरार जवालिपट  
जिला- जवालिपट म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन की टिप अनुसार आपका सुविधाये "दुकाना नहीं की जाली" / किर पंजीकृत किरायातामा 2015 रु. में अपादा/आडि रिपोर्ट 2012
- 2 की अपादा/संख्या भवन के सामने पदाधिकारी/हस्ताक्षर करके समय की पुस्तकालय
- 3 समीक्षा शाला के अध्यापन कर्मों के इन्फो, खेले में की रीगिन छोटे अपादा/हस्ताक्षर
- 4 पदाधिकारी/हस्ताक्षर पर अपराधिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल वापस पत्र अपादा/
- 5 आप दस्तावेज तैयार सचिव/अध्यापक के समाहित नहीं।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक 2231 / मान्यता/2010 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवालिपट, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / ज्वा/ 2013  
प्रति.

142191

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमती सुश्री उषा सुन्दर उषा सुन्दर नाता  
जिला- ज्वालिपर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रति
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक / मान्यता / ज्वा/ 2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- ज्वालिपर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- ज्वालिपर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 23/11/2013

क्रमांक 2136/मान्यता/23/2013  
प्रति.

142015

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आस्था 30/11/2013

23/11/2013

जिला- 23/11/2013 म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक..... दिनांक.....

---0---

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 कक्षा की छात्रों के विषय वक्त की हारा लागत
- 2 हो गई है।
- 3
- 4 नवीनीकरण हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित
- 5 समिति के सदस्यों की अनुसंधान निरीक्षण प्रतिवेदन
- 6 में उल्लिखित नहीं है। शीघ्र प्रवृत्त करें।
- 7
- 8 उक्त ही प्रवृत्त में ही तत्काल सुधारों के लिए कार्य करें।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / /2012

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/ /2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला:-....., मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला:-....., मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

मा.शि.मं.भो-96-भोपाल मान्यता -127.2012-14,000

142237

क्रमांक 2230/मान्यता/उकां०/2013

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

स्वच्छ मंडी हाई स्कूल

चन्द्रवदनी नाराज जवालिपर

जिला- जवालिपर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090 दिनांक 17/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. भूमि भवन के परीक्षण अभिलेख में भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल, कुल
2. निर्मित क्षेत्रफल, कुल खुरपी इमारत का उल्लेख नहीं है। संस्था पराधिकारी
3. कोठे में संस्था भवन नहीं दिख रहा है। दो इन्टोर खेले में रंगीन कोठे
4. अप्रार्ष आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रार्ष -
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

2231

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उकां०/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवालिपर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवालिपर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश. जवालिपर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

142165

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230 /मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शान्ति, हाई स्कूल  
शिव परादिवा, लखन, उवापिपरा  
जिला- उवापिपरा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 9090, दिनांक 17/09/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमिया पाई गई -

- 1 पंजीकृत किरामानामा 20/अक्टो 2015 तक का असाप/भूमि भवन के
- 2 अमिपेरव में उल्लेख नहीं/सभी फोटो मान्यता मापदंड अनुसार असाप/साप
- 3 दस्तावेज संख्या साचिव/अ.प्र.स हेतु असापित नहीं/संस्था प्रदाधिकारी/साप पर
- 4 आपदाधिकार प्रमाण दर्ज न होने का शपथ पत्र असाप/आडिट रिपोर्ट 2012 की,
- 5 पुस्तके की सूची असाप/संस्था भवन का कुल इमफल, कुल निमित्त अमफल
- 6 कुल खुली भूमि का उल्लेख नहीं है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अग्रिम सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231 /मान्यता/उवा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवापिपरा, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवापिपरा, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवापिपरा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / उवाए / 2013  
प्रति,

142454

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

डा. इन्द्र देव प्रकाश कान्हेट हाई स्कूल

हनुमान नगर, मुरार, उवाखिण्ड

जिला- उवाखिण्ड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन पर S.D.M. क्षेत्र मुरार उवाखिण्ड में अप्रमत्त सुविधाओं
- 2 कीप ऑकेट की है, निरीक्षण ने चीप में अनुशासन नहीं की- जारी।
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

2231  
पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / उवाए / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाखिण्ड मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाखिण्ड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवाखिण्ड की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2562061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

142175

क्रमांक / 2230 / मान्यता / ज्वा० / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

रस. आर० के. उमा० वि०  
मुरार उवाधिगर  
जिला- उवालिमा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 परीक्षा किराघाना का पूर्ण प्रवधि 2015 तक का अप्रॉफ, पूर्व के किराघे
- 2 नासे की अवधि समाप्त हो चुकी है। (2) स्कूल भूमि का मानचित्र
- 3 अस्पष्ट है। (3) संस्था पदाधिकारी/शाप पत्र आपराधिक प्रकृति दर्ज न
- 4 होने का मूल शाप पत्र अप्रॉफ (3) समाप्त प्रकृति में प्रमाणित नहीं।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

2231  
पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / ज्वा० / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिमा मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिमा मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवालिमा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

142289

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

लालाजी विद्या मंदिर हाई स्कूल  
शिव नगर धाटीपुर उवालिख  
जिला- उवालिख म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन पर टीप में श्वेल मेदान नहीं है/ अनुशासनात्मक विभागीय
- 2 संस्था भवन के सामने पदाधिकाारी/स्टाफ की-फोटो, प्रार्थना काले समय की-फोटो,
- 3 स्को पुस्तकालय, दो अक्षरघापन कक्षों, दो इन्डेंट बलेटो 4- रंगीन फोटो अक्षरघापन/
- 6 लक्ष्य पदाधिकाारी/स्टाफ पर अपराधित प्रकाश दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र
- 7 अक्षरघापन/परीक्षा किराया नाममा 2015 तक का अक्षरघापन है/आडिट रिपोर्ट 2012 की-
- 8 अक्षरघापन/

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की काण्डका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231/मान्यता/ /2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवालिख म.प्र., मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवालिख म.प्र., मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवालिख की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक 2230 / मान्यता / जवा / 2013  
प्रति,

142278

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

यूनार्डिटीस पब्लिक हाई स्कूल

भुवनेश्वर जवा

जिला- जवा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666, दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आडिट रिपोर्ट 2012 की अपाफ
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / जवा / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- जवा, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- जवा, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

142181

क्रमांक/2230/मान्यता/उत्पा0/2013

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

इन्डो रेडिया हाई स्कूल

मुरार उवाचिया

जिला- उवाचिया म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 60666 दिनांक 3/9/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अगिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एव साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 निरीक्षण प्रतिवेदन प्रतिकेन की शीप में रजेल का प्रदान उपयुक्त अनुशासन
- 2 नहीं की जारी/पंजीकृत किरादानामा 2015 का तह का अक्षर/संस्था प्रदाधिकारी
- 3 स्टाफ प्र (आपराधि प्रमाण दर्ज न होने का शून्य शपथ पत्र अक्षर/संस्था प्रदान के
- 4 निरु सामने प्रदाधिकारी/स्थाप के रंगीन फोटो साबित करने समय के रंगीन फोटो अक्षर/दी अक्षर
- 5 कसों के रजिस्टर खोलो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय के रंगीन फोटो अक्षर/साप समस्त
- 6 दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष से प्रमाणित नहीं हैं/सुरक्षा विधि 25000/-
- 7 का-चालान अक्षर

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231/मान्यता/उत्पा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उवाचिया, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उवाचिया, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवाचिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

125

क्रमांक / 2230 / मान्यता / ज्वा 0 / 2012 प्रति,

162050

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

ज्योती हाईस्कूल सर्वेदपनगर सिदेरपुर  
जिला- सिदेरपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716, दिनांक 2/2/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 शैला के रूपिय / रुद्रका हावा लेलन दत्तावेन उभागीय
- 2 दो इडोर बेटो का छाया पित्रा गही हे

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asst. Sect.  
भोपाल दिनांक 7/12/2012

पृष्ठा क्रमांक / 2231 / मान्यता / ज्वा 0 / 2012 प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- सिदेरपुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- सिदेरपुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012

क्रमांक 2230 / मान्यता / ज्वा0 / 2012  
प्रति,

162052

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीता 230203 कॉलेज हाईस्कूल करैरा

जिला- शिवपुरी म.प्र.

जोड करैरा  
रह करैरा

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 3716 दिनांक 7.7.12

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1
- 2 ① मान्यता पूर्ण है अतिरिक्त करैरा नहीं है
- 3
- 4 ② किराया नाम की कमी लगी है
- 5
- 6 ③ आई 2 बी जोड करैरा है
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sectt.

भोपाल दिनांक 7/12/2012

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / ज्वा0 / 2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sectt.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

172061

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2012

क्रमांक/2190/मान्यता/प्रवा/2012  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मा. सरस्वती शांति मन्दिर हरिश्चन्द्र, गुवा

जिला- गुवा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 4286 दिनांक 27/7/12

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 ① अपराधिक उफरना मूलक शायद पत्र भेज
- 2 ② जिला स्तरीय समिति के अनुशोला नहीं है
- 3 ③ निरीक्षण प्रतिवेदन में फाउंडर का उल्लेख नहीं है
- 4 ④ मान्यता वृद्धि हेतु अनुशोला नहीं है
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012  
2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता/प्रवा/20123  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुवा, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुवा, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, गुवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

माशि.म.भो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2012

क्रमांक 2190 / मान्यता / उत्तर / 2012

प्रति,

172042

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य  
विवेकानंद उच्च शिक्षा महापाल

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- गुन्ना म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 426 दिनांक 27.7.12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गईं-

- 1 कलेक्टर उप निरीक्षण पर आपकी संस्था में कलेक्टर के
- 2 मध्यम शिक्षा मण्डल की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय
- 3 समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियां पाई गई हैं, जिनमें से
- 4 1. कलेक्टर के प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियां पाई गई हैं, जिनमें से
- 5 1. कलेक्टर के प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियां पाई गई हैं, जिनमें से
- 6 2. कलेक्टर के प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियां पाई गई हैं, जिनमें से
- 7 3. कलेक्टर के प्रतिवेदन में उल्लेखित कमियां पाई गई हैं, जिनमें से
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / उत्तर / 2012

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुन्ना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुन्ना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिंमंभु-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

140

क्रमांक 2190 / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रति.

17 2025

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 2 / 12 / 2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमती उदितिका शर्मा 172025  
33611

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- 23611 म.प्र.

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 16084 दिनांक 18/3/2013

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / ज्वा0 / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता --12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

141

क्रमांक 207 / मान्यता / 2012  
प्रति,

172059

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्री जगदम्बिका पाठशाला, स्थापना  
सदर कांसार, जिला

जिला- गुना म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर / जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 4849, दिनांक 5/9/2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था भवन पर एक्सरसिस त पुनार नहीं है आप
- 2 माह में अन्दर उक्त कार्य को पूर्ण संपन्न करें। पूर्ण करे विषय
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

ए. अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक / / 2012

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / 2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- गुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवालिपर

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

माशिमंभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

182031

क्रमांक 2230 / मान्यता/उत्ता०/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शारदा विद्या निदेशन हाई स्कूल

मुगांवाली

जिला- अररोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495, दिनांक 3/5/13.

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 सुरक्षा निधि राशि 250000 का बालान अप्रप्त।
- 2 समस्त दस्तावेज सहित सचिव/अध्यक्ष ले प्रमाणित नहीं हैं।
- 3 के.ए.सी. रकबे की रंगीन फोटो अप्रप्त।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता/उत्ता०/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अररोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अररोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्कलिप

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

147

क्रमांक 2230 / मान्यता / जघा/ 2012  
प्रति,

182045

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 7/12/2012

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य  
माधवरव सिधिया हाई स्कूल  
जिला- अशोक नगर म.प्र. अशोक नगर

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक ~~1345 एच. 1495~~ दिनांक 14.07.2013  
1345 एच. 1495 03.05.2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुमागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आडिट रिपोर्ट वर्ष-2011-2012 की अप्रति
- 2 प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय के दायित्व रंगीन अप्रति
- 3 के अप्रतिपत्र कक्षा एवं के इंडोर खेलों के रंगीन दायित्व अप्रति
- 4 संस्था भवन के सामने पदाधिकारी स्टाफ के रंगीन दायित्व अप्रति
- 5 संस्था भवन के सामने प्रार्थना काल समय के दायित्व अप्रति
- 6 समस्त दस्तावेज संस्था सिधिया / अहमद से प्रमाणित नहीं है प्रमाणी
- 7 कराना भवे।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asst. Sect. / 2012  
7-12-13

पृष्ठा क्रमांक 2231 / मान्यता / जघा/ 2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

182017

क्रमांक/2190/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

आदर्श बाल विकास मंदिर हाई स्कूल  
हाथड़े कापोनी अशोक नगर  
जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 3/5/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 ~~संस्था प्रशासक/सहायक प्रशासक पर अपराधिक प्रकरण दर्ज न होने का प्रमाण~~
- 2 ~~आप पत्र अंगार/2 साक्ष्य समस्त दस्तावेज लेख्य सचिव/अध्यक्ष~~
- 3 ~~समाप्ति नहीं/3 ऑडिट रिपोर्ट 2012 में अक्षरपत्र/समाप्ति प्रोटो मापड08~~
- 4 ~~अनुक्रम अंगार/सकाल प्रति कर भेजे, जिससे मान्यता नवीनीकरण~~
- 5 ~~कार्यवाही की जा सके।~~
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक/उवा0/मान्यता/ /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवाशिध  
सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

169

182020

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 2 / 12 / 2013

क्रमांक 2190 / मान्यता / जला 0 / 2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

टी. 200 वी पब्लिक,  
815 31 मा. वि. मुगावली  
जिला- अरसोड नगा म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495, दिनांक 3/5/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था की किरायेनामा की अवधि समाप्त हो चुकी है। पूरा अवधि
- 2 2015 तक का भेजे (पंजीकृत) 2 सभी कोरे मापका मापका अचरुप असा।
- 3 शक्ति का लक्षण भेजे/जिसके मापका नवीनीकरण की कार्रवाई की जावे। आडि रिपोर्ट
- 4 2012 की असा।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा. क्रमांक / / मान्यता / / 2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अरसोड नगा, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अरसोड नगा, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

182023

क्रमांक/2190 /मान्यता/उपाध/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

आकाश पब्लिक उपाधवि

पिपरई गांव

जिला- उरशीक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 3/5/2013

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का पंजीकृत किराणानामा सत्र 2014 में समाप्त हो रहा है।
- 2
- 3 पूर्व अक्टूबर 2015 तक का ताकाल भेजे/ जिससे मान्यता का नवीनीकरण
- 4 की कार्रवाई की जा सके।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उपाध/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- उरशीक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- उरशीक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपलब्ध

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

182025

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स -- 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190 /मान्यता/2010/2013  
प्रति.

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

ज्योति शान मंदिर हाई स्कूल  
वसुपुरपुर ते.ह. सुगावली  
जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 406 दिनांक 4/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के प्राप्त समस्त दस्तावेज एवं द्वायाचित्र संस्था सचिव/
- 2 अध्यक्ष के समक्ष नहीं/मान्यता पूर्ण नहीं/अ संस्था पदाधिकारी/
- 3 हत्या पर आपराधिक संकेत दर्ज न होने का मूल राफत पत्र अपूर्ण
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/2010/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उवालिपि

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



182029

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 2/12/2013

क्रमांक/2190/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

सिटी पब्लिक हाई स्कूल

अशोक नगर

जिला- अशोकनगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1495 दिनांक 30/5/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था ने प्राप्त किये एवं अन्व दस्तावेज संस्था सचिव -
- 2 अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 2/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/ /2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2 वा लिपि  
सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

182015

क्रमांक 12190 / मान्यता/उत्पा0/2013  
प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

माधवराव उमराव विठ्ठल

लाघपास रोड हाफटे कालोनी अशोकनगर

जिला- अशोकनगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1345 दिनांक 14-07-2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था के मान्यता मापदण्ड अंशकूप भूमि भवन संबंधी
- 2 जानकारी के लक्षण शुद्धी भूमि, कि कुल निमित्त संशुद्ध कुल शुद्धी भूमि
- 3 की परीक्षा अभिलेख तत्काल भेजे, जिससे मान्यता नवीनीकरण की कार्यवाही
- 4 की जा सके।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनों के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उत्पा0/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोकनगर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, जवाहर नगर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 2/12/2013

182041

क्रमांक/2190 /मान्यता/उपा0 /2013  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मा.शि.म. मंदिरी हाई स्कूल  
मंदिरी

जिला- अशोक नगर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 2294 दिनांक 19/6/2013

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था का किराया नामा <sup>श्री</sup> प्रवधि 2015 तक का <sup>मंजूर</sup> भिन्नवाये / 2 संस्था चर्चाकारी/स्टाफ पर आपराधिक पत्राण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अज्ञात।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/उपा0 /2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- अशोक नगर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उषादिपट्टी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



क्रमांक 220/मान्यता/उत्पाद/2013  
प्रति,

112027

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

द कैरि ए पब्लिक स्कूल गुणमण्डि मुना

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

जिला- मुना म.प्र.

112027

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।


संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक..... दिनांक.....

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 पंजीकृत किराना लान रजिस्ट्रार का भेजे।
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

  
पंजीयक/मान्यता


माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल


भोपाल दिनांक 5/12/2013

पृष्ठा क्रमांक 2202/मान्यता/उत्पाद/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मुना, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मुना, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



  
पंजीयक मान्यता

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : [www.mpbse.nic.in](http://www.mpbse.nic.in) & E-mail id : [mpbse@mp.nic.in](mailto:mpbse@mp.nic.in)

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उवा0/2013  
प्रति.

122021

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

उगादवा उममावि0

शादी नगर बगदिया

जिला- रायपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक.....N/L..... दिनांक 3/5/2013

—0—

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आपकी संस्था से संख्या भवन की रखरखाव पदाधिकारी/स्थापक की शैली को अप्रामा
- 2 ण्यता प्राप्त करने, दो रजिस्टर रिकॉर्ड, प्रयोगशाला, पुस्तकालय मार्पना करने समय
- 3 की-शैली को अप्रामाण्य है, ऑडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रामाण्य/संस्था पदाधिकारी/-
- 4 स्थापक पर अप्रामाण्य प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रामा
- 5 ण्यता प्राप्त करने हेतु
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म. म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2231/मान्यता/उवा0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- रायपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- रायपुर मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उवादिनांक की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उत्ता0/2013  
प्रति,

122007

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

हजारे शवर उच्च मा० वि०

सोरेकला

जिला- इधोपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 235, दिनांक 2/2/13

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

- 1 आर्डर रिपोर्ट 2012 की अप्रामाणिक संस्था पदाधिकारी/हस्ताक्षर
- 2 अप्रामाणिक प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रामाणिक
- 3 संस्था के सामने पदाधिकारी/हस्ताक्षर का रंगीन फोटो प्रार्थना न करने
- 4 समय का फोटो, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दो अर्धोपन कक्षों के शर्करे रखने
- 5 की रंगीन फोटो मान्यता मापदंड अनुरूप अप्रामाणिक/प्रामाणिक त्रुटि -
- 6 सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं/सुरक्षा निधि रुपये 40,000 का अभाव/अभाव।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231/मान्यता/उत्ता0/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- इधोपुर मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- इधोपुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपलब्ध

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230 /मान्यता/उका0/2013  
प्रति,

122029

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

विश्वकर्मा हाई स्कूल

दोहरवा बरवा

जिला-शोपुर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1560 दिनांक 31.12.2012

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर आपसीधन प्रकृत वर्क न होने का मूल्यवापय
2. पत्र अप्राप्त
3. सुरक्षा निधि का चालान रूपमे 25,000 का अप्राप्त प्राप्त दाखलचित्त लम्बा समीव
4. अर्थसमाप्ति नहीं है
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिनांक के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा. क्रमांक/2231 /मान्यता/  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला-शोपुर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-शोपुर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

122018

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 7/12/2013

क्रमांक/2230/मान्यता/उत्तर/2013

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

मान्यता 30 मार्च 2013

जिला- रायसेन म.प्र.

जिला- रायसेन म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 1887 दिनांक 31/8/13

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई -

1. आडिट रिपोर्ट में 2 अप्रतिशोधित करने समय की दोषों के पुस्तकालय
2. प्रयोगशाला के अध्यापन तंत्रों के इन्डोर रखने की रंगीन दायी-बायें अप्रतिशोधित
3. संस्था पदाधिकारी/स्थापक अप्रतिशोधित प्रमाण पत्र न होने का मूल शपथ पत्र
4. अप्रतिशोधित/स्थापक संस्था पत्रिका/अध्यक्ष के अप्रतिशोधित नहीं हैं।
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 05 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक 7/12/2013

पृष्ठा क्रमांक/2231/मान्यता/उत्तर/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- रायसेन, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- रायसेन, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उत्तर  
सहायक सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

132056

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012

क्रमांक 107/मान्यता/ /2012  
प्रति,

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

शुभम उपाध्याय विन्डुवा मोड़

जिला- अरेर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/1/2012

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से सुरक्षा निधि का चालान अप्राप्त।
- 2 मान्यता नवीनीकरण शुल्क एक वर्ष के लिए प्रारंभ के बाद तीन वर्ष
- 3 चारों के वर्षिक मान्यता शुल्क का चालान अप्राप्त।
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / /2012

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/ /2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.

माशिममुभो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail Id : mpbse@mp.nic.in

18

क्रमांक 207 / मान्यता / 2013  
प्रति

132129

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 5/12/2013

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

सन्मति कक्षा उच्च माध्यमिक

अमायत

जिला- भिंड म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण सत्र-2012-13 का अग्रपत्र/संख्या भवन के सामने
- 2 पर्याप्त/स्वाच्छ फोटो, प्रार्थना करते समय की फोटो प्रयोगशाला, पुस्तकालय
- 3 दो अग्रपत्र नक़्तों दो इन्डोर स्टेजों की रंगीन फोटो मापदण्ड अनुसार अग्रपत्र
- 4 आडिट रिपोर्ट वर्ष 2012 की- अग्रपत्र/सुरक्षा नहीं जमा कराया/आपकी
- 5 संस्था के भूमि भवन के अभिलेख पर भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल कुल
- 6 भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल खुली भूमि का क्षेत्रफल का अभिलेख भेजे।
- 7 समस्त दस्तावेज संस्था सचिव/अध्यक्ष के प्रमाणित कराए भेजे।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध भा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Secy. भोपाल दिनांक / /2013

पृष्ठा क्रमांक / /मान्यता/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भिंड, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भिंड, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Secy.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2013

क्रमांक 2197/मान्यता/उपाध/2013  
प्रति,

132058

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

अशोक उपाध्याय

बड़ोखरी

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 14025 दिनांक 26/7/2012

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था से आडिट रिपोर्ट 2012 की अप्रदाप्त है।
- 2 के अप्रदाप्त ब.सो, स्थापना करते समय की-कोरो-रूनि-कोरो अप्रदाप्त
- 3 संस्था साधक/पदाधिकारी/हस्ताक्षर अपराधिक प्रमाण दर्ज न होने पर
- 4 आपका पत्र अप्रदाप्त सुरक्षा निधि शुल्क अप्रदाप्त तत्काल भेजें।
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल

Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा. क्रमांक/ /मान्यता/उपाध/2013

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जालिया

अतिरिक्त सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल

Asstt. Sect.



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

क्रमांक/ 2197 /मान्यता/क्रा0/2012  
प्रति,

132255

कार्यालय-0755-2551650, 2761567

फैक्स - 0755-2551499, 2552061

भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

अशोक उमराव वि० क्र० 3

साधनपुर

जिला- भि० म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक NIL दिनांक NIL

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का निरीक्षण प्रतिवेदन अग्रपत्र/आडिट रिपोर्ट 2012 की अग्रपत्र/प्रयोगशाखा
- 2 पुस्तकालय, दो बुकलेट खेले दो अध्यापन त्रिकोणी कोरे अग्रपत्र/संस्था पदाधिकारी/हरण
- 3 या अग्रपत्र/संस्था पदाधिकारी/संस्था का कोरे अग्रपत्र/संस्था पदाधिकारी/हरण
- 4 का कोरे/संस्था पदाधिकारी/संस्था का कोरे अग्रपत्र/संस्था पदाधिकारी/हरण
- 5 अग्रपत्र, खुली भूमि, कुल क्षेत्रफल संबंधी दस्तावेज अग्रपत्र/किरायानामा
- 6 2011 काविका 2015 तक भौजे/समाप्त दस्तावेज संचित/अग्रपत्र
- 7
- 8 समाप्ति काक भौजे

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect. भोपाल दिनांक / /2012

पृष्ठा क्रमांक/ /मान्यता/क्रा0/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- भि० म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- भि० म.प्र. मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, उतापिया की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.

मा.शि.मं.भो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000



कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2013

क्रमांक 297/मान्यता/उत्तर/2013  
प्रति,

132070

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

जनता कन्या हाई स्कूल

गोहद

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2013

-0-

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था के निरीक्षण प्रतिवेदन पर अनुभागीय अधिकारी (राजस्व)
- 2 गोहद मिठ ने सीप में उल्लेख किया है, संध्यापन हेतु 2 कक्षा हे मान्यता
- 3 दिये जाते योग्य नहीं, पुरानी मान्यता निरस्त योग्य है, निरीक्षण इल
- 4 भी अनुसंधान नहीं है। आपकी संस्था के शर्मि भवन के अभिलेख में भवन का कुल
- 5 निर्मित क्षेत्रफल, कुल भवन क्षेत्रफल, कुल कुल भूमि का एक उल्लेख नहीं है।
- 6 संस्था पराधिकारी एग्रेगट आपरेशन इकाण इज न होने का स्पष्ट शपथपत्र अप्राप्त
- 7 आडिट रिपोर्ट रिपोर्ट 2012 में अप्राप्त/प्रयोगशाला पुस्तकालय, दो संध्यापन कक्षा
- 8 के इन्डोर खेलों की रंगीन क्षेत्रों समाप्त हेतु अनुसंधान अप्राप्त है।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाइट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.  
भोपाल दिनांक / / 2013

पृष्ठा. क्रमांक / /मान्यता/उत्तर/2013  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश,  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2वालिपर

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

M.K. MALVIYA

क्रमांक 2107/मान्यता/उपा0/2012  
प्रति,

132189

अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य

कुलासराप उ० मा० वि०

अकल (कमरी)

जिला- मिठर म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/2012

-0-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुगायीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था का पाठ्य निरीक्षण प्रतिवेदन पर निरीक्षण दल ने प्रयोगशाला में
- 2 पर्याप्त उपकरण नहीं / पर्याप्त कर्मचारी नहीं / पुस्तकालय नहीं / मान्यता नवी
- 3 की अनुशासा नही जाली की रीप मंदिर है / आडिटरिपोर्ट 2012 की अप्र
- 4 ये इण्डोर रिको की रंगीन कोरी मर्राप / दो अर्थापन कसे की कोरी अप्र
- 5 संस्था पदाधिकारी/स्टाफ पर अपराधिक प्रवण दर्ज न होने का मूल अपरा पत्र अप्र
- 6 प्रयोगशाला की संस्था उपकरण सह कोरी अप्र / संस्था के भवन एवं की निमित्त से
- 7 सुलीभूमि बुल क्षेत्रफल हेतु दस्तावेज अप्र
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दश में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल दिनांक 4/12/2012

पृष्ठा क्रमांक 2108/मान्यता/उपा0/2012  
प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठर, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठर, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जवालिवाल

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
M.K. MALVIYA  
Asstt. Sect.





कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

WEBSITE : www.mpbse.nic.in & E-mail id : mpbse@mp.nic.in

23

क्रमांक 2107 / मान्यता / 2012 प्रति,

132206

कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 4/12/2012

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

जी.ए.आर. हाई स्कूल

जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234 दिनांक 5/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई-

- 1 आपकी संस्था 6 2012 की आडिट रिपोर्ट अपाप्त है, तत्काल
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल  
भोपाल दिनांक / / 2012

पृष्ठा क्रमांक / / मान्यता / 2012

प्रतिलिपि :-

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
मध्यप्रदेश, भोपाल

मा.शि.मं.मु.भो-96-भोपाल मान्यता -12.7.2012-14,000





कार्यालय-0755-2551650, 2761567  
फैक्स - 0755-2551499, 2552061  
भोपाल दिनांक 11/12/2012  
2013

क्रमांक / प्रति, /मान्यता / जवाब / 2012-2013

132241

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

श्रीमान कल्प पब्लिक हाई स्कूल सुरपुरा  
(दिदिमापुरा) तेहरे अरेर  
जिला- मिठ म.प्र.

मान्यता नवीनीकरण हेतु  
कारण बताओं  
सूचना-पत्र

विषय- मान्यता नवीनीकरण के समाप्ती हेतु कारण बताओं सूचना-पत्र।

संदर्भ- कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी का पत्र क्रमांक 12234, दिनांक 5/7/12

उपरोक्त विषयान्तगत संदर्भित पत्र द्वारा आपकी संस्था की मान्यता नवीनीकरण सत्र 2012-13 हेतु अनुभागीय अधिकारी से स्थल निरीक्षण उपरांत जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सहित निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन एवं साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आपकी संस्था में निम्न कमियां पाई गई- आपकी संस्था के प्रमि भवन परीक्षा केंद्रों में भवन के कुल निमित्त क्षेत्रफल का

1. आपकी संस्था के प्रमि भवन परीक्षा केंद्रों में भवन के कुल निमित्त क्षेत्रफल का
2. कुल भवन के लगी रबुली प्रमि का स्पष्ट इच्छेब नवी/संस्था भवन के प्रमि सामने
3. पदाधिकारी/हस्ताक्षर की जोरो, प्राधिका कले सत्रम की जोरो, प्रयोग शाला, पुस्तकालय
4. की जोरो, दो अध्यापन कक्षों, दो इच्छेब खोले की जोरो रंगीन अप्रार/संस्था पदाधिकारी-
5. र-शुद्ध पर आपराधित प्रमाण दर्ज न होने का मूल शपथ पत्र अप्रार/सुरक्षा निधि
6. शुल्क अप्रार/माफ समस्त दस्तावेज संस्था साक्षिक/अध्यक्ष के प्रमाणित नहीं/पूर्व में
7. मोडक द्वारा जारी पत्र क्र. 9189/22/11/12 का अप्रार अप्रार/समस्त प्रमिमा
8. तत्काल भेजे जिससे मान्यता नवीनीकरण की कार्रवाई की जा सके।

अतः कृपया माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल की वेबसाईट पर उपलब्ध मा.शि.म., म.प्र. मान्यता विनियम 2010 के अनुसार उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति के अभिमत सह अभिलेख पत्र प्रसारित दिनांक से 15 दिवस के अंदर मण्डल मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक कमियों की पूर्ति न करने की दशा में माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मान्यता विनियम 2010 की कण्डिका 8.1 में विहित प्रावधानों के तहत संस्था की मान्यता समाप्त कर दी जावेगी, जिसके लिए संस्था स्वयं जिम्मेदार होगी।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Secy भोपाल दिनांक / /2012-2013

पृष्ठा क्रमांक / प्रति, /मान्यता / जवाब / 2012-2013

- 1 कलेक्टर, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 2 आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, जिला- मिठ, मध्यप्रदेश।
- 4 संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अतिरिक्त सचिव  
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,  
M.K. MALVIYA मध्यप्रदेश, भोपाल  
Asstt. Sect.